लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
Out
Parliament Library

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

अंक 10, सोमवार, 27 नवम्बर, 1972/6 अग्रहायण, 1894 (शक)
No. 10, Monday, November 27, 1972/Agrahayana 6, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
181. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखंडों का सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाना	Sale of DDA's Residential Plots by Public Auction	1—3
184. निरक्षरता-दर में वृद्धि	Increase in Rate of Illiteracy	3—6
185. समुद्र तथा जलाशयों आदि से मछली पकड़ने के बारे में सहकारिता के आधार पर रूस के साथ करार	Agreement for Cooperation in Marine and Inland Fishing with USSR	6—8
186. चीनी के क्रय तथा विक्रय के सम्बन्ध में महाराष्ट्र की नीति	Maharashtra Policy regarding Purchase and Sale of Sugar	8—10
189. चावल का आयात करने के लिये भारतीय खाद्य निगम के स्थान पर गैर-सरकारी व्यापारियों को अनुमति देना	Permission to Private Traders instead of to FCI to Import Rice	11—13
191. उड़ीसा में अनधिकृत रूप से अन्न बेचने वाले भारतीय खाद्य निगम के एजेन्टों की गिरफ्तारी	Arrest of FCI Agents for Unauthorised Sale of Grains in Orissa	13—15
192. प्रमुख शहरों के विकास के लिये समेकित योजना	Integrated Planning for Development of Major Cities	15—18

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
194.	राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा विदेश से जहाज खरीदने सम्बन्धी सुझाव	Suggestion from National Shipping Board regarding purchase of Ships from Abroad	18—19
197.	पंजाब में हरिजनों के कल्याणार्थ धन का आवंटन	Allocation of Funds for Welfare of Harijans in Punjab	19—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
182.	अहमदाबाद नगर के लिए गन्दी बस्तियां हटाओ योजना	Slum Clearance Scheme for Ahmedabad City	20
183.	अलेप्पी पत्तन को कोचीन का सहायक पत्तन घोषित करने के सम्बन्ध में राज्य के अधिकारियों से बातचीत	Discussion with State Officials regarding Port of Alleppey as a Subsidiary Port of Cochin	21
187.	ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को धन का आवंटन	Allocation of Funds in Orissa under Crash Programme for Rural Employment	21
188.	तटवर्ती नौवहन के टन भार में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही	Steps taken to increase Tonnage of Coastal Shipping	21—22
190.	बिहार में खनिज पदार्थों के उचित खनन के लिये परिवहन सुविधाओं का अपर्याप्त होना	Inadequacy of Transport in Bihar for Proper exploitation of Minerals	22—23
193.	पश्चिम बंगाल को चावल और गेहूँ की सप्लाई	Supply of Rice and Wheat to West Bengal	23
195.	देशी औषध पद्धति का अनुसन्धान और विकास	Research and Development of Indigenous System of Medicine	23—24
196.	संगीत नाटक अकादमी के बोर्ड का गठन	Composition of Board of Sangeet Natak Akademi	24—25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृ० Pages
198. चौथी पंचवर्षीय योजना में तिलहनों का लक्ष्य तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में अनुमान	Target of Oilseeds during Fourth Plan and its Estimate for Fifth Plan	25—26
199. वन्य क्षेत्रों के स्थल	Location of Sanctuaries	26
200. अकादमियों के कार्यकरण के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन	Khosla Committee Report on Working Akademis	26—27

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1801. बूचड़खाने	slaughter Houses	27
1802. मध्य प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Foreign Countries to Educational Institutions in Madhya Pradesh	27—28
1803. सहकारिता विधियों में संशोधन	Amendments in Cooperative Laws	28—29
1804. मध्य प्रदेश के रीवा डिवीजन में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पावधि ऋण	Short term Loan by Central Co-operative Bank in Rewa Division M.P.	29
1805. विश्वविद्यालयों के स्नातकों की संख्या	Number of Graduates from Universities	29
1806. पुनरीक्षित बृहत योजना (मास्टर प्लान)	Revised Master Plan	29—30
1807. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये आवंटित राशि का राज्यों द्वारा उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation on Amounts by States Allocated for Welfare of S.C. and S.T.	30
1808. गत तीन वर्षों में देशवार निर्यात की गई चीनी तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा	Sugar exported during last three years country wise and Foreign Exchange earned	31—32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1809.	नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यापकों की पदोन्नति सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण	Revision of Promotion Policy of NDMC Teachers	32—33
1810.	दिल्ली में एक कमरे के मकानों में रहने वालों की जनसंख्या	Delhi Population living in Single Roomed Tenements	33 - 34
1911.	अन्तर्राष्ट्रीय दास प्रथा विरोधी सघ (इन्टर नेशनल एबोलीशनिष्ट फेडरेशन) का दिल्ली में हुआ 25वां सम्मेलन	25th Session of International Abolotio-nist Federation held in Delhi	34—35
1812.	भारतीय खाद्य निगम को गत तीन वर्षों में, राज्यवार माल की ढुलाई के दौरान हुई हानि	Transist Loss to Food Corporation of India during last three years	36—37
1813.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा बम्बई में गैर-सरकारी गोदामों का किराये पर लिया जाना	Hiring of Private Godowns by FCI Bombay	38
1814.	सरोजनी नगर, नई दिल्ली के एल और एम ब्लाकों में पानी की अपर्याप्त सप्लाई	Water Scarcity in 'L' and 'M' Blocks, Sarojini Nagar, New Delhi	38—39
1815.	दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता मंजूर करने की दिशा में हुई प्रगति	Progress in Sanction of Overtime to Staff of All-Day Milk Stalls of DMS	39
1816.	भूतपूर्व सैनिकों को मकानों के आवंटन की योजना	Scheme for Allotment of Houses to Ex-Servicemen	40
1817.	चौथी योजना के अन्त तक बेरोजगार कृषि स्नातकों की संख्या	Jobless Agricultural Graduates by the end of Fourth Plan	40—41

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1818.	मध्य प्रदेश में किसान साक्षरत्ता योजना	Farmer Library Scheme in Madhya Pradesh	41
1819.	राष्ट्रपति भवन में जयपुर स्तम्भ	Jaipur Pillar at Rashtrapati Bhawan	42
1820.	राजस्थान में दूषित पेय जल के कारण हड्डी की बीमारी	Contaminated drinking Water in Rajasthan Causing Disease of the Bones	42
1821.	दिल्ली राज्य के स्कूलों में गृह विज्ञान तथा कला के वरिष्ट अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेडों का दिया जाना	P.G.T. Scale to Senior Domestic Science and Arts Teachers in Delhi State Schools	42—43
1822.	गैर-सरकारी तौर पर बने मकानों की खरीद के लिये जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना	Grant of Loan by LIC and Nationalised Banks for the Purchase of Private Owned Built Houses	43
1823.	कोचीन शिपयार्ड की प्रबन्धक पदाली में नियुक्तियाँ	Appointments in Managerial Cadre of Cochin Shipyard	43—44
1824.	कोचीन शिपयार्ड के अधिकारियों द्वारा बातचीत के लिये जापान का दौरा	Visit of Officials of Cochin Shipyard to Japan for Negotiations	44
1825.	केरल में राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान की एक शाखा के खोले जाने के लिये अभ्यावेदन	Representation for Starting a Wing of National Institute of Sports in Kerala	44
1826.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम की प्रगति	Progress of Crash Programme on Rural Employment in Madhya Pradesh	44—42
1827.	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्थायी बनाये गये स्नातकोत्तर अध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड देना	Grant of Selection Grade to Confirmed P.G. Teachers in Delhi Government Schools	45

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1828.	सलैक्शन ग्रेड अध्यापकों के चयन के लिये कसौटी	Criteria for Selection of Selection Grade Teachers	45
1829.	जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना का बूथ	Delhi Milk Scheme Booth in Janakpuri New Delhi	46
1830.	नांगल राय, नई दिल्ली, में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालय	C.G.H.S. Dispensary in Nagal Rai, New Delhi	46—47
1831.	आसाम में ग्रामीण ऋण सम्बन्धी मामलों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंकों के कर्म-चारियों द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता	T.A. drawn by officials of R.B.I. regarding Rural Credit Affairs in Assam	47
1832.	आवश्यक वस्तुओं का राशन करना	Rationing of Essential Commodities	47—48
1833.	म्यूनिख से भारतीय टीम का पालम पहुँचना और खेलों में सुधार	Arrival of Indian Team at Palam from Munich and Improvement of games	48
1834.	1972 के दौरान मोटर गाड़ी दुर्घटना में मारे गये तथा घायल हुए व्यक्ति	Persons killed or injured in motor accidents during 1972	49
1835.	कांडला, गुजरात में उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plant at Kandla, Gujarat	49—50
1836.	दिल्ली में अक्तूबर, 1972 में आयोजित खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन में पाकि-स्तानी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा शामिल न होना	Non participation by Pakistani Delegation Flag at FAO conference held in Delhi during October, 1972	50—51
1838.	भूमिहीन कृषकों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution to Protect the Rights of Landless Peasants	51
1839.	त्रिपुरा में भूमि जल आयोग का कार्य	Work by Ground Water Commission in Tripura	51—52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1840.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक का राज्यवार वितरण	Distribution of Fertiliser State-wise by Fertiliser Corporation of India	52—53
1841.	बिहार में कृषकों को उर्वरक की सप्लाई में कमी	Reduction in the supply of fertilizer to the farmers in Bihar	53—54
1842.	भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने के लिये केरल सरकार का अध्यादेश	Kerala Ordinance to amend Land Reforms Act	54—55
1843.	दिल्ली के सरकारी परिवहन निगम द्वारा दैनिक यात्रियों को उपलब्ध की गई परिवहन सेवा	Commuters carried by Public Sector Transport Corporation of Delhi	55
1844.	छोटी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्यक्ष का सुझाव	Suggestion from Chief of Food and Agriculture Organisation on Minor Irrigation Project	55
1845.	मूक तथा बधिर बच्चों के लिये सुविधाएं	Facilities for deaf and dumb children	55—56
1846.	स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये मकान	Houses for Freedom Fighters	56
1847	ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना	Employment of one per individual per Family under crash programme on rural employment	56—57
1848.	1972-73 के लिये ग्रामीण रोजगार योजना	Rural employment scheme for 1972-73	57
1850.	बड़े नगरों को सुन्दर बनाना	Beautification of big cities	58
1851.	नई दिल्ली स्थित विश्वायतन योगाश्रम को सहायता, सुविधायें तथा अनुदान	Assistance, facilities and grants to Vishwayatan Yogashram, New Delhi	59—60
1852.	मध्य प्रदेश के आदिवासियों का उत्थान	Upliftment of Adivasis of Madhya Pradesh	60—61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1853.	वैस्ट कोस्ट रोड को राष्ट्रीय राजपथ बनाना	West Coast Road as National Highway	61
1854.	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन का निरीक्षण	Examination of report of study Group on Road Safety	62
1856.	म्यूनिख के ओलिम्पिक स्टेडियम में मारे गए इजरायलियों के लिये आयोजित मेमोरियल सर्विस का बहिष्कार	Boycot of Memorial Service for Murdered Israelis at Olympic Stadium in Munich	62
1857.	पीकिंग जाने वाला टेबल टेनिस दल	Table Tennis Team to Peking	62—63
1858.	देश में अपंग व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Handicapped Persons in the country	63
1859.	देश में महान व्यक्तियों की प्रतिमाओं सम्बन्धी विधान	Legistation on Statues of Great personality in the country	63
1860.	सूखाग्रस्त राज्यों को दी गई सहायता का उपयोग	Utilisation of assistanee given to drought effected States	64
1861.	नई दिल्ली स्थित विश्वायतन योगाश्रम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Vishwayatan Yogashram, New Delhi	65
1862.	भारत में पोलियो टीका का उत्पादन	Production of Polio Vaccine in India	65—66
1863.	गणेश फलोर मिल्स को अपने हाथ में लेने के लिये दिल्ली महानगर परिषद् में पारित संकल्प	Resolution passed in Delhi Metropolitan Council to take over Ganesh Flour Mills	66
1864.	कृषकों को दिये गये सहकारी ऋणों की वसूली के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेशकश	Approach made by the State of Madhya Pradesh regarding Recovery of cooperation Loans from Cultivators	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1865.	दालों की कमी को दूर करने के लिये उसका आयात	Import of Pulses to meet Shortage	67
1866.	गुलबर्ग में कृषि विश्व विद्यालय स्थापित करने के लिये मंजूरी	Sanction for Agricultural Universities at Gulbarga	67
1867.	मालरकोटला में सितम्बर, 1972 के दौरान आयोजित पंजाब वक्फ सम्मेलन में पारित संकल्प	Resolution passed at Punjab Wakf Convention during September, 1972 at Malerkotla	67—68
1868.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (क) विधेयक का पुनःप्रस्तुत किया जाना	Reintroduction of S.C. and S.T. Orders (A) Bill	68
1869.	कुछ राज्यों में पेय जल की कमी	Scarcity of Drinking Water in certain States	68—69
1870.	देश में उर्वरक अकाल	Fertiliser Famine in the country	69—70
1871.	सिन्दरी (बिहार) उर्वरक कारखाने में उत्पादित उर्वरक में बिहार का भाग	Share of Bihar in Fertiliser produced at Sindri Bihar	70
1873.	राज्यों में छोटी सिंचाई योजनाओं को पूरा करना	Execution of Minor Irrigation Schemes in States	70—71
1874.	शान्तिवन, दिल्ली में भूमि के अन्दर रखा गया कैपसूल	Capsule laid underground at Shantivana Delhi	71
1875.	भूख के कारण हुई मौतों तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा किये असंतोषजनक राहत कार्यों के बारे में त्रिपुरा विधान सभा के नेता से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from the Leader of Tripura Legislative Assembly regarding Starvation Deaths and unsatisfactory Relief Measures carried by Tripura Government	71—72
1876.	दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार और को-आप्स की जांच	Enquiry into Delhi Consumers Cooperative Wholesale Store and Co-ops	72

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1877.	ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के चम्पारन जिले में सड़कों के निर्माण में बेरोजगारों को उपलब्ध रोजगार	Employment provided in the construction of Roads in Champaran District of Bihar under crash programme for Rural employment	72—73
1878.	राजधानी में पेय जल की बिक्री	Sale of drinking water in the Capital	73
1879.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Coaching centres for IAS and other competition Examination for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	73—74
1880.	प्रधान मंत्री का बिहार के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में दौरा	Visit of Prime Minister to drought affected areas of Bihar	74
1881.	दिल्ली में उपद्रवों के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हुई हानि	Loss to DTC during disturbance in Delhi	74
1882.	चावल मिल समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना	Implementation of Report submitted by Rice Milling Committee	74—75
1883.	सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भेजे गये प्रतिनिधिमंडल	Delegation to such East Asian Countries to Establish Cultural Relations	75
1884.	देश में चीता संरक्षण संबंधी परियोजना	Project for preservation if Tiger population in the country	75—76
1885.	सहकारी बैंकों से छोटे कृषकों को दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर में वृद्धि का प्रभाव	Effect of Increase in Rate of Interest on Loans from Co-operative Banks to Small Farmers	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1886.	जलपोत दमोदर मंदोवी में सवार व्यक्तियों की दशा	Fate of persons on Board the Ship Damodar Mandovi	76—77
1887.	तेंदुए तथा चीतों का संरक्षण तथा परिवर्द्धन	Protection and Promotion of Leopard and Panthers	77
1888.	दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi	77—78
1889.	फसल बीमा योजना सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee on Crop Insurance Scheme	78
1890.	केरल में कन्ननूर मोपला खाडी मत्स्यग्रहण पत्तन के कार्य में प्रगति	Progress of work at Mopla Bay Fishi-ing Harbour Cannanore, Kerala	78—79
1892.	उद्योगों द्वारा अपने मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था	Provision of Houses by Industries Workers	79—80
1893.	राष्ट्रीय कृषि आयोग के सदस्यों का गुजरात का दौरा	Visit of Members of National Session on Agriculture to Gujarat	80
1894.	मैसूर राज्य की पेय जल योजना के लिये दी गयी सहायता	Aid for Drinking Water Scheme to Mysore State	80
1895.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या तथा सम्पर्क अधिकारी का प्रतिवेदन	Staff Strength of the Ministry of Shipping and Transport and Report of Liaison Officer	80—81
1896.	वल्लभभाई पटेल चैस्ट इस्टीच्यूट दिल्ली की मांगें	Demands of Vallabhbhai Patel Chest Institute, Delhi	81
1897.	बल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीच्यूट, दिल्ली के डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता	Non-practicing Allowance for Doctors of Valabhbhai Patel Chest Institute Delhi	81—82
1898.	कोचीन में जहाज बनाने के दूसरे कारखाने (यार्ड) के लिये एक निदेशक मंडल के गठन और उसका चेयरमैन बनाने में विलम्ब	Delay in Constituting the Director Board and Chairman for Second Ship Building Yard at Cochin	82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1899.	गन्ना विकास योजना	Scheme for Development of Sugarcane	82—83
1900.	भारतीय खाद्य निगम के दोषपूर्ण बाजार संचालन के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Foodgrains due to Faulty Market Operations of FCI	83
1901.	परिवार नियोजन के लक्ष्यों का पूरा न होना	Fall in targets for Family Planning	83—84
1902.	कोरापुट के बोंडा पराजास की पिछड़ी हुई जनजातियां	Backward tribes of Bonda Parajas of Koraput	84—85
1903.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों की सेवाएं राज्यों को सौंपना	Handing over of services on NDS Instructors to States	85—87
1904.	राष्ट्रीय स्वास्थता कोर के कर्मचारियों का अन्तर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण	Inter-region transfer of employees of NF Corps	87
1905.	दिल्ली में शिक्षा संस्थाओं (टीचिंग शाप्स) की वृद्धि	Growth of Teaching Shops in Delhi	87—88
1906.	गेहूं और चावल के व्यापार को नियंत्रण में लेने सम्बन्धी निर्णय का समर्थन करने वाले राज्य तथा निर्णय में परिवर्तन करने के लिये दबाव	States favoured the decision of taking over trade in wheat and rice and pressure to change the decision	88
1907.	1970 से 72 की अवधि में निर्यात और आयात की गई चीनी की मात्रा	Sugar exported and imported from 1970 to 1972	88—89
1908.	प्रत्येक खण्ड के एक गांव के विकास के लिये योजना	Scheme for development of village from each Block	89—90
1909.	चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन तथा उसका रक्षित भंडार पर प्रभाव	Prospects of sugar production during current year and its effect on Buffer stock	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1910.	राजमार्गों का सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report for Improvement of Highways	90—92
1911.	पुस्तकों की वृहद सूची	Comprehensive Bibliography of Books	92—93
1912.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा वर्ष 1971-72 में अर्जित लाभ	Profit earned by Hindustan Shipyard during 1971-72	93—95
1913.	गोआ में अकाल और सूखा	Famine and drought in Goa	94
1914.	नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किये गये व्यायाम शिक्षक	PTI's appointed in Primary Schools under NDMC	94—95
1915.	भारत में अन्धे व्यक्तियों की संख्या	Incidence of blindness in India	95—96
1916.	मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा शराब बनाने की प्रक्रियाओं का विकास	Development of processes to make wine by Central Food Technology Research Institute, Mysore	96
1917.	आदर्श मिडिल स्कूलों का खोला जाना	Opening of Model Middle Schools	96
1918.	प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित खाद्यान्न वसूली का लक्ष्य	Foodgrains procurement Targets in each State	96—97
1919.	पहलेजा घाट से सोनबरसा तक राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में प्रगति	Progress in construction of National Highway from Pahlezaghat to Sonbarsa	98
1920.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा	Review of working of Central Social Welfare Board	98
1921.	पश्चिम बंगाल में स्कूलों तथा कालेजों को घाटे की राशि का भुगतान	Payment of Deficit amount to Schools and Colleges in West Bengal	98
1922.	महाराष्ट्र में चीतों का संरक्षण	Reservation of Tigers in Maharashtra	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1923.	मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण करने वाली प्रयोगशालायें स्थापित करना	Setting up Soil Testing Laboratories in Madhya Pradesh	99
1924.	रबी की फसल के लिये मध्य प्रदेश में जल स्त्रोतों का उपयोग	Tapping of Water Resources in M.P. for Ravi Crop	99—100
1925.	मंत्रियों द्वारा त्रिपुरा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Ministers' Visit to Drought Affected Tripura	100
1926.	त्रिपुरा में मलेरिया ज्वर का दूर-दूर तक फैलना	Widespread Malaria Fever in Tripura	100—101
1927.	त्रिपुरा में मेडिकल कालेज	Medical College in Tripura	
1928.	कोयला खनिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले रोग	Diseases affecting the Health of Coal Miners	101
1930.	वर्ष 1972-73 में ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme during 1972-73	101—104
1931.	सूखे के कारण अनाज के उत्पादन में कमी	Shortfall in Food Production due to Drought	104—105
1932.	बंगलादेश को सप्लाई किये गये खाद्यान्न	Food supplied to Bangladesh	105
1933.	खाद्य पदार्थों का आयात	Import of Food	105
1934.	महिलाओं के लिये हायर सेकेन्ड्री तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था	Provision of Free Education to Women upto Higher Secondary level	106
1935.	दिल्ली में यमुना पर नौका पुल का निर्माण	Construction of Pontoon Bridge over Yamuna in Delhi.	106
1936.	दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किराये में वृद्धि	Rise in DTC bus fare	106
1937.	20 वर्ष से अधिक समय की सेवा वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government accommodation to employees having more than 20 years service	107

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1938.	खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा खाद्य उत्पादन की स्थिति के बारे में समीक्षा और भारत के बारे में उसकी टिप्पणी	Review of food production by FAO and its observation with regard to India	108—109
1939.	भारत में उचित दर की दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुएं	Items distributed through Fair Price Shops in India	109
1940.	खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिये उसका आयात	Import of edible Oil to meet shortage	109
1942.	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवासीय स्थान	House sites for landless labour in rural areas	109—110
1943.	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि भूमि के विकास और डेरी फार्मिंग और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिये राज्यों को सहायता	Aid by Agriculture Refinance Corporation to States for developing agricultural land, dairy farming and deep sea fishing	110—111
1944.	पत्तन शुल्क में वृद्धि	Increase in Port Charges	111
1945.	चिकित्सा आयोग की स्थापना	Setting up of a Medical Commission	111
1946.	दिल्ली के निकटवर्ती शहरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन	Incentive for Central Government Employees residing in the Statellite Towns of Delhi	111—112
1947.	भूस्वामियों को भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों से बचने से रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार का राज्यों को निदेश	Central Directive to States to prevent landlords from escaping ceiling Laws	112
1948.	समस्तीपुर, बिहार में केन्द्रीय जिला अस्पताल	Central District Hospital at Samastipur Bihar	112—113

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1949.	दिल्ली में हरिजन छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ	Grant of Scholarships to Harijan Students in Delhi	113
1950.	हरिजनों का पुनर्वास	Rehabilitation of Harijans	113—114
1952.	वनस्पति घी बनाने के लिये बिनौले के तेल का प्रयोग	Introduction of Cotton Seed Oil for manufacture of Vanaspati	114
1953.	यूनेस्को के महासम्मेलन का 17 वां सत्र	17th Session of General Conference of UNESCO	114—115
1954.	नौवहन टन भार में वृद्धि करने के बारे में प्रस्ताव	Proposal regarding increase in Shipping Tonnage	115
1955.	जलमग्न भूमि तथा खारी मिट्टी में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये तकनीकी जानकारी	Technology for increasing Agricultural Production in Water-lodged and Saline Soils	115—116
1956.	राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता द्वारा पुस्तकों की विश्व तालिका तैयार करना	Preparation of Comprehensive Bibliography of Books by National Library, Calcutta	116—117
1957.	भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त भूमि को अलाभकारी जोत होने से बचाने के लिये कार्यवाही	Steps to check Fragmentation of Surplus Land Consequent on Imposition of Ceiling	117
1958.	वर्ष 1972-73 के लिये उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम	Fertiliser Promotion Programme for 1972-73	117—118
1959.	बिहार में रबी की बुवाई में प्रगति	Progress of Rabi Cultivation in Bihar	118—119
1960.	बिहार से औषधि निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा को आयुर्वेदिक औषधियों की सप्लाई	Supply of Ayurvedic Medicines to CGHS by Producers in Bihar	119—120
1961.	उत्तर प्रदेश में जमानत पर दिये गये ऋण के ब्याज की अधिक दर	High Rate of Interest of secured loan in U.P.	120

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
1962. छोटे किसानों, काश्तकारों और कृषि श्रमिकों को ऋण	Loan to Small Farmers, Tenants and Agricultural Labourers	120—121
1963. मध्य प्रदेश में मवेशी रोगों को रोकने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance to check Cattle diseases in M.P.	122
1964. थरलेरिया तथा अनाप्लाज्म रोगों से विदेशी नस्ल के सांडों की रक्षा करना	Protection of Foreign Breed Bulls from Therleria and Anaplasm	122
1965. केन्द्रीय सरकार से पटना में गंगा पर पुल के निर्माण की सलाह	Advice from Central Government for construction of a Bridge over Ganga at Patna	122
1966. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त ऐशोसिएशनों / युनियनों को स्थान देना	Accommodation to Recognised Association/Unions of Central Government Employees	123
1967. विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्तियां देने में क्षेत्रीय असमानता	Regional Imbalance in Award of Science Talent Scholarships	123—124
1968. नौरोजी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में पावर कनैक्शन	Power connection in Government quarters in Nauroji Nagar, New Delhi	124
1969. गर्भपात के मामले	Cases of Abortions	125
1970. परीक्षा पद्धति में सुधार	Reforms in Examination System	125
1971. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कार्य कर रहे केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय के प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Deputationists from AGCR working in ICAR	125—126
1972. गांवों और कस्बों से गुजरने वाले राजपथ तथा उनके लिये बाहरी सड़क बनाना	National Highways passing through villages and towns and construction of by-passes therefor	126—127

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1973.	केन्द्र शासित क्षेत्रों में हायर सेकेन्ड्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा	Free Education upto Higher Secondary in Centrally Administered Areas	127
1974.	शांतिवन, दिल्ली के निकट एक पुल के निर्माण की मांग	Demand for construction of a bridge near Shantiban, Delhi	127
1975.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति में वृद्धि	Increase in Amount of Scholarships to S.C. and S.T. Students	127—128
1976.	शिक्षा संस्थाओं में तंग पैंट और मिनी स्कर्ट पहनने का फैशन	Use of tight panto and mini skirts in Educational Institutions	128
1977.	पांचवीं योजना अवधि में गांवों में सड़कों का निर्माण	Construction of Rural roads in Fifth Plan Period	128
1978.	गत तीन वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनायें और उन्हें कम करने के लिये की गई कार्यवाही	Road accidents during last thare years and steps taken to reduce them	129
1979.	कोचीन शिपयार्ड के प्राधिकारियों को संरचनात्मक इस्पात तथा राउन्डों का आयात करने की अनुमति	Permission to Cochin Shipyard Authorities to import Structural Steel and rounds	129—130
1980.	ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन का विकास	Development of Poultry farming in Rural Areas	130—131
1981.	संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिये कदम	Steps to popularise Sanskrit	131—132
1982.	उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम के लिये जिलों को चुनने का माप दण्ड	Criteria for Selection of districts under fertiliser promotion programme	132
1983.	राज्यों में बिजली की कमी आदि के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट	Shortfall in agricultural production due to power Shortage etc. in States	132

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1984.	ग्रामीण क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्यक्ष के विचार	FAO Chief's concepts of development of Rural Areas	133
1985.	खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिये उठाए गए कदम	Steps taken to meet Shortage of edible Oils	133
1986.	वर्ष 1972 के दौरान केरल को सेला और अन्य प्रकार के चावल (रा राइस) की सप्लाई	Supply of Boiled Rice and Raw Rice to Kerala during 1972	134
1987.	केरल में नकदी फसलों के मूल्य में गिरावट	Fall in price of cash crops in Kerala	134—135
1988.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अन्य शहरों में लागू करना	Extention of CGHS Scheme to other cities	135—136
1989.	जामिया मिलिया, नई दिल्ली के छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिये उठाये गये कदम	Steps to redress grievances of students of Jamia Millia, New Delhi	136
1990.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान भत्ते में वृद्धि	Enhancement of house rent allowance to Central Government employees	136—137
1991.	रामेश्वरम द्वीप को मिलाने वाला पाम्बन के ऊपर सड़क पुल	Road Bridge over Pamban connecting Rameshwaram Island	137
1992.	तमिलनाडु के रामनाड जिले में सेतुसमुद्रम परियोजना	Project of Sethusamudram in Ramnad District, Tamil Nadu	137
1993.	1972 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई वसूली तथा गोदामों के लिये व्यवस्था	Procurement made by Food Corporation of India during 1972 and arrangements for Godowns	137—138
1994.	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना	Scheme for providing employment to unemployed Educated	139

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1995.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा कोचीन पत्तन में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने का सुझाव	Suggestion from Indian Institute of Foreign Trade regarding improvement facilities in Cochin Port	139—140
1996.	बेरोजगार कृषि स्नातकों को भूमि का वितरण	Distribution of Land to unemployed Agricultural Graduates	140
1997.	इण्डिया आफिस लाइब्रेरी	India Office Library	140
2000.	एम० वी० धनलक्ष्मी जहाज की दुर्घटना की न्यायिक जांच	Judicial inquiry into accident involving Ship M.V. Dhanalakshmi'	140—141
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	141—145
	बंगलादेश से मछली का आयात करने में मत्स्य निगम की कथित असफलता	Reported failure of Fish Corporation to import fish from Bangladesh	141
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	141
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	141
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	145—148
	मुल्की नियमों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Mulki Rules	148
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	148—150
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	150—153
	19 वाँ प्रतिवेदन	Nineteenth Report	150
	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित	Payment of Bonus (Amendment) Bill—Introduced	153—155
	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Payment of Bonus (Amendment), Ordinance	155
	श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar	155
	पश्चिमी क्षेत्र पर पकड़े गये भारतीय युद्धबन्दियों की पाकिस्तान द्वारा रिहाई	Statement Re. Release of Indian Prisoners of War by Pakistan captured on Western Front	156

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	156
दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	Re. Sweepers Strike in Delhi	156
अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य), 1972-73	Supplementary Demands for Grants (General), 1972-73	157—160
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	157
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B: R. Shukla	157—158
श्री के० आर० गणेश	Shrt K. R. Ganesh	158—159
विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1972	Appropriation (No. 5) Bill, 1972	160—178
पुरःस्थापित, विचार और पारित किया गया	Introduced, Considered and Passed	160
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1970-71	Demands for Excess Grants (General) 1970-71	178—179
विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1972	Appropriation (No. 6) Bill, 1972	180—181
पुरःस्थापित, विचार और पारित किया गया	Introduced, Considered and Passed	180
विमान वहन विधेयक	Carriage by AIR Bill	181
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	181
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	181
आधे घंटे की चर्चा	Half-An-Hour Discussion	181
भारतीय चलचित्रों और संगीत के रिकार्डों की विदेशों को तस्करी	Smuggling of Indian Films and Recorded Music to Foreign Countries	181—184
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	181—183
श्री आई० के० गुजराल	Shri I.K. Gujral	183—184

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 27 नवम्बर, 1972/6 अग्रहायण, 1894 (शक)
Monday, November 27, 1972/Agrahayana 6, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्डों का सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाना

*181. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों में 270 वर्ग मीटर से लेकर 400 वर्ग मीटर तक के सैंकड़ों आवासीय भूखण्ड सार्वजनिक नीलामी से बेचे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भूखण्डों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार भविष्य में 100 वर्ग मीटर के आवासीय भूखण्ड बनाने तथा उन्हें लाटरी डाल कर बेचने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) जी हां। यह दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और बिक्री के लिये सरकार की नीति के अनुसार किया गया है, जिससे निम्न आय वर्ग के मकानों के लिए सहायता देने और सार्वजनिक खुले स्थानों की व्यवस्था तथा देख-रेख हेतु आधार-भूत सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था में पूंजी लगाने के लिये निधियां जुटाई जा सकेंगी।. निम्नलिखित मामलों को छोड़कर जिसमें भूमि का आवंटन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है, नीति में नीलाम द्वारा तथा सबसे अधिक बोली प्राप्त होने के आधार पर विकासित भूमि की बिक्री की व्यवस्था है :—

(i) सरकार द्वारा अर्जित की गई उनकी भूमि के लिये मुआवजे के तौर पर लोगों को देना,

(ii) उद्योगपतियों को उन द्वारा दूसरे स्थानों पर कारखाने बनाने के लिये अपेक्षित।

(iii) निम्न आय वर्ग के लोगों को ; तथा

(iv) सरकारी आवास निर्माण समितियों तथा उद्योगपतियों और निर्माताओं की सहकारी एसोसिएशनों को।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण पहले ही छोटे प्लाट विकसित कर रहा है तथा उन्हें पर्ची डालकर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित कर रहा है।

Shri Narendra Singh Bisht : With the Government direct the Delhi Developement Authority to allot residential plots to persons in the lower income group at reasonable prices by a draw of lots and not on the basis of auction in order to solve the housing problem of the common people in Delhi ?

Shri Uma Shannkar Dikshit : I would like to clerify our policy in this regard. These residential plots are given to the persons in the lower income group, earning upto Rs. 7200.00 per year, and to those belonging to middle income group earning upto Rs 18,000 per year at the predetermined prices. Persons having higher income, are however given such plots on the basis of auction. Out of the income thus derived we subsidise the persons of low income group. There are also certain other methods to give them subsidy. We have not found any justification to change the existing policy.

Shri Narendra Singh Bisht : May I know whether it is a fact that Delhi Development Authority have earned a huge profit by disposing of big plots through auction and, if so, whether Government have collected income tax on these earnings from D. D. A. just like the Government realising income tax from other government corporations ? Or D. D. A. is allowed to practice black marketing and tax evasion ?

Shri Uma Shankar Dikshit : It is not fair on the part of the hon. Member to charge D. D. A. of tax evasion because of the fect that the amount of the tax realised from the higher income group is spent in the social welfare measures for the lower income group. This is the policy of the Government. The amount of Rs. 5 crores given to D. D. A. initially has now increasing of Rs. 50 crores. With this amount, 14,000 tenements have been construeted and 18,000 tenements are likely to the constructed by the end of this year. The profit earned by D. D. A. through the auction of plots to the persons earning more than Rs. 18,000 per year is spent on subsidy to the lower income group. Any change in this policy would not be in the interest of the public.

श्री माधुर्य हालदार : क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने प्लाट आबंटन की सुविधा का लाभ उठाया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? उनके मकान बनने के पश्चात् क्या वे सरकारी क्वार्टरों को खाली कर देंगे ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : प्लाट निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी तथा गैर सरकारी कर्मचारी में कोई भेद नहीं रखा गया है। उनके मकान बनने के पश्चात जब तक वे सेवा में हैं या तो उन्हें भत्ता मिलता रहेगा अथवा वे आबंटित क्वार्टर में रहते रहेंगे। किन्तु अधिकतर उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला होता रहता है तथा वे अपने बनाये हुए मकान को खाली नहीं रख सकते हैं अत: उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात ही उन्हें अलाट हुए क्वार्टर को छोड़ना पड़ता है।

Shri Achal Singh : May I know the condition laid down for constructing houses by the persons who have been allotted plots ?

Shri Uma Shankar Dikshit : Conditions regarding time-limit are different. Financial assistance is provided by financing agencies and L. I. C. or by the Government in case of Government servants.

श्री राम सहाय पाण्डे : दिल्ली और विशेषकर बड़े औद्योगिक नगरों में मकानों की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बड़े पैमाने पर मकान बनाए जाए जिनमें दो-दो कमरे हों।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न दिल्ली प्रशासन के बारे में है। आप आम नीति के बारे में पूछ रहे हैं। यह प्रश्न भी बाद में आने वाला है।

श्री राम सहाय पाण्डे : मैं केवल दिल्ली के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या सरकार ने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये दो कमरे वाले मकान बनाने की कोई बड़ी योजना बनाई है ?

Shri Uma Shankar Dikshit : Sir, the Government have decided to construct four-storeyed tenements. So far, we have constructed only two-storey tenements. For constructing tenements having more than four storeys, Government will have to provide lifts and other facilities involving additional expenditure therefor, its is not being considered so far. We have decided to construct only four-storeyed tenements.

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fect that the D. D. A. have constructed thousands of houses for the industrial labour in Delhi ? Is it also a fact that those houses have not actually been given to the industrial workers but to other persons charging two-to three times the fixed prices ? May I know the policy under which it has been done ?

Shri Uma Shankar Dikshit : We have got no such information. There is a separate scheme for the industrial workers under which both industrialists and Government have to Contribute sums for constructing houses. But the entire price of the house being constructed by D. D. A. will have to be paid by the purchaser himself. Deposits of Rs. 6.50 crores have been received upto the month of June and with that amount houses are to be constructed and allotted to the low and middle income groups within a period of 18 months. This scheme covers workers as well as other persons.

निरक्षरता-दर में वृद्धि

*184. **श्री के० मालन्ना :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1971-72 में इससे पहले के वर्ष की तुलना में निरक्षरता दर बढ़ी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में 1971-72 वर्ष के दौरान देश में निरक्षरता की दर बढ़

जाने का कोई प्रमाण नहीं है । 1961 और 1971 के बीच में निरक्षरता की दर 76 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक घट गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० मालन्ना : हमारे जैसे विकासशील देश में योजना आयोग ने कृषि आधुनिकीकरण, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था अथवा औद्योगीकरण का विकास जैसी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं । इन सभी योजनाओं के लिये उपयुक्त जानकारी तथा जनता के योगदान की आवश्यकता है । जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक हमारी योजनाएं सफल नहीं हो सकती हैं । अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में निरक्षरता की प्रतिशतता क्या है तथा ग्रामीण क्षेनों से निरक्षरता समाप्त करने के लिये तथा साक्षरता में वृद्धि करने के लिये क्या प्रभावोत्पादक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री डी० पी० यादव : जहाँ तक नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता का सम्बन्ध है हमने पृथक-पृथक आंकड़े एकत्र नहीं किये हैं । यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं, तो राज्य वार स्त्री-पुरुष वार आंकड़े प्रस्तुत कर दिये जाएंगे । जहां तक इस सम्बन्ध में उपाय करने तथा सुविधाएं देने का प्रश्न है, वास्तव में यह राज्यों का विषय है तथा भारत सरकार का काम इस उद्देश्य के लिये प्रोत्साहन देने का है ।

श्री के० मालन्ना : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में तथा केन्द्र और राज्यों में और निरक्षरता को प्रभावपूर्ण ढंग से दूर करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के बीच उचित समन्वय नहीं है ? क्या सरकार को पता चला है कि स्वयंसेवी संगठन गलत आंकड़ें प्रस्तुत कर रहे हैं इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : यह सच नहीं है कि राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों में कोई समन्वय नहीं है । चौथी योजना में निरक्षरता को समाप्त करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए हैं जिनमें व्यवहारिक साक्षरता कार्यक्रम भी सम्मिलित है तथा इसके लिये 10 जिले चुने गये थे जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तथा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना या जिनका माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है हमें इस सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायत नहीं कि वे गलत आंकडे प्रस्तुत करते हैं क्योंकि जनगणना अधिकारियों द्वारा उन आंकडों की जांच की जाती है तथा मेरे सहयोगी ने सदन में जो आंकडे प्रस्तुत किये हैं वे जनगणना के आधार पर ही तैयार किये गए हैं न कि स्वयं सेवी संगठनों द्वारा दिये गए आंकडों के आधार पर । इसके अतिरिक्त चौथी योजना में अन्य बहुत से उपाय भी किये गये हैं ।

इस अभियान को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये हम पांचवी योजना में अपने प्रयासों में सुधार कर रहे है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वयस्क शिक्षा तथा निरन्तर शिक्षा सम्बन्धी अपने कार्यक्रमों के लिये सहायता देना आरम्भ कर दिया है । ये योजनाएं शीघ्र ही आरम्भ होने वाली हैं । कुछ कार्यक्रम आरम्भ हो चुके हैं तथा इसमें अधिक से अधिक विश्व-

विद्यालयों ने भाग लेना आरम्भ कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न व्यवसाय वाले वर्गों के लिये चार दीवारी के बाह्य के पाठ्यक्रम तथा विशेषज्ञता सम्बन्धी पाठ्यक्रम आरम्भ किये जा रहे हैं।

Shri R. B. Bade : May I know the names of the States which have started implementation of the decision taken earlier regarding introduction of compulsory and elementry education ? It has been observed that so many states have not undertaken this programme. May I know the reasons for the same ? May I also know whether Government have laid down any guide lines regarding the elementary education ? Have these states not undertaken elementary education programme due to the non availability of funds ?

Prof. S. Nurul Hasan : The Central Advisory Board of Education consisting of Education Ministers of all the State Governments has time to time taken decisions regarding the strategy to be followed for compulsory elementary education. For undertaking crash programme for educated unemployed. We have provided assistance particularly to those states the economic conditions of which are not very good. We have also tiid, to meet the demands received so far for teachers for this programme. In spile of all these efforts, I myself and the Government of India feel that all there measures are not sufficient. Under Fifth Five Year Plan, we are trying to gear up this programme and to see that more and more financial assistance is given to the economically backward states.

Shri R. V. Bade : May I know the names of the States which have Started compulsory education programme ?

Prof. S. Nurul Hasan : Details are not available to me. The question is not as to which states have made education compulsory. But the question is as to which States have actually started the implementation of this programme. So many States intend to undertake this programme but, according to the information available to us, none of the States have Started it. We are trying to pool all necessary resources under Fifth Five Year Plan to gear up this programme.

श्री के० एस० चावडा : हमारे देश की अधिकतर जनता गरीब है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लगभग 2,000 ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। क्या देश में निरक्षरता की दर में वृद्धि होने का यह भी एक कारण है ?

श्री डी० पी० यादव : वर्ष 1972-73 में राज्य योजनाओं के अतिरिक्त हमने उन्हें 30 करोड़ रुपये की व्यक्तियों को रोजगार के लिये अधिक राशि दी है तथा राज्यों से यह निवेदन किया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को रोजगार देने में प्राथमिकता दें।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार आसाम में साक्षरता की दर में वास्तव में कमी हुई है ? और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार आसाम राज्य में 1961 में 37.30 प्रतिशत और 1971 में 37.74 प्रतिशत पुरुष पढ़े लिखे थे साक्षर महिलाओं की प्रतिशतता 1961 में 16 तथा 1971 में 18.91 थी। 1971 में औसत साक्षरता 27.47 थी और 1971 में 28.81 थी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में निरक्षरता की प्रतिशतता वृद्धि नहीं हुई है। क्या यह सच है कि इस अवधि में बिना पढ़े-लिखे व्यक्तियों की वृद्धि हुई है ?

श्री डी० पी० यादव : जी हां।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या मंत्री महोदय आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मंत्री महोदय ने स्वीकारात्मक दे दिया है। अब आप आंकड़े पूछ रहे हैं। आप अधिक विस्तार में मत जाइये।

समुद्र तथा जलाशयों आदि से मछली पकड़ने के बारे में सहयोग के लिये रूस के साथ करार

*185. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री वयालार रवि :

क्या कृषि मंत्री विदेशी सहयोग से केरल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में परियोजना प्रतिवेदन के बारे में 21 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 2905 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तथा जलाशय आदि से मछली पकड़ने के बारे में सहयोग प्राप्त करने के लिये रूस के साथ प्रस्तावित करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रूस से मछली पकड़ने वाली नौकाएं प्राप्त करने का है जिससे केरल में निर्यात-प्रधान मछली पकड़ने के उद्योग का विकास किया जा सके तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र से मछली पकड़ने हेतु, 1973 की समाप्ति से पूर्व केरल को कुछ विदेशी नौकाएं उपलब्ध कराने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

समुद्रीय और अन्तर्देशीय मीन-उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के लिये प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में रूस सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। केरल तथा अन्य राज्यों के उपयुक्त केन्द्रों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिये देश में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों की मांग देशीय उत्पादन से पूरी करने का प्रस्ताव है। शेष ट्रालरों को प्रस्तावित करार के अन्तर्गत यथासम्भव रूस से प्राप्त किया जायेगा। इसी बीच हमें जिन नौकाओं

की मांग प्राप्त हुई है, उनकी विस्तृत विशिष्टयां रूस के प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं और अपेक्षित विशिष्टयों के ट्रालरों की प्राप्ति की सम्भावना की जांच की जा रही है।

देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की तात्कालिक मांग को देशीय उत्पादन से और आवश्यकतानुसार आयात करके पूरा करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में रूस से भाड़े पर नौकायें प्राप्त करने की सम्भावना की जांच की जा रही है।

श्री सी० जनार्दनन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल राज्य ने समुद्री उत्पादों के विकास के लिये एक बृहद् योजना तैयार की है और समुद्री उत्पादों के विकास के लिये केन्द्र की अपनी योजनाएं हैं, क्या सरकार इस करार को पूरा करने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करेगी जिसके बारे में रूस और भारत के बीच लम्बी अवधि से बातचीत चल रही है? उक्त करार के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम करार करने के बारे में रूस सरकार से बातचीत कर रहे हैं। रूस सरकार ने कुछ मामलों में स्पष्टीकरण मांगा है और हमारी भी कुछ कठिनाइयां हैं। मेरा विचार है कि निकट भविष्य में कोई करार सम्भव होगा।

श्री सी० जनार्दनन : माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का उल्लेख किया है। हमारा अनुभव यह है कि देश में बनी मछली पकड़ने की नौकाएं केरल तट से दूर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उपयुक्त नहीं हैं। हमने उनका उपयोग बन्द कर दिया है और उनमें से कुछ नौकाएं बेकार पड़ी हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये केवल आयातित नौकाओं का उपयोग किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में मछली पकड़ने वाली आयातित नौकाओं की मांग है, क्या मन्त्री महोदय नये उद्यमकर्त्ताओं को शीघ्र ही आयातित मछली पकड़ने वाली नौकाएं उपलब्ध करायेंगे?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अनेक प्रकार की मछली पकड़ने वाली नौकाओं का देश में ही निर्माण किया जाता है। केरल मत्स्य पालन निगम के पास कुछ आयातित नौकाएं हैं। रूस सरकार ने मछली पकड़ने वाली नौकाएं सप्लाई करने में असमर्थता प्रकट की है क्योंकि उसने आगामी चार या पांच वर्षों के लिये पहले ही आर्डर बुक कर लिये हैं। अब हम रूस सरकार से किराये पर कुछ जहाज लेने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं यदि हम इसमें सफल नहीं हुए तो माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार किसी अन्य देश से नौकाएं आयात करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

मोहम्मद खुदा बख्श : रूस सरकार से मछली पकड़ने की योजनाएँ उपलब्ध होने के बाद उनका वितरण किस प्रकार किया जायेगा? क्या ये नोकाएँ सरकार को प्राप्त होगी अथवा किसी व्यक्ति को अथवा मत्स्य पालन निगम को?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सामान्य प्रक्रिया यह है कि इस बारे में अन्तिम निर्णय लिये जाने पर एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है स्वभावतया हम सरकारी राज्य निगमों और सहकारी समितियों को प्राथमिकता देते हैं।

श्री वयालार रवि : जैसा कि मेरे मित्र श्री जनार्दनन ने उल्लेख किया कि यह मामला गत तीन वर्षों से लटका हुआ है। मैं नहीं समझ सका कि वक्तव्य में क्या कहा गया है। मैं

जानना चाहूंगा कि देश की नौकाओं की आवश्यकता कितनी है और देश में उनका उत्पादन उपलब्ध कराने के क्या प्रस्ताव हैं और देश में कितनी नौकाएँ उपलब्ध हो जायेंगी और कितनी नौकाओं का विदेशों से आयात किया जायेगा और इन नौकाओं का किस देश से आयात किया जायेगा क्योंकि ....

अध्यक्ष महोदय : एक बार में इतने अधिक प्रश्न न पूछिये ।

श्री वयालार रवि : मैं ऐसे राज्य से आया हूं जहां बहुत अधिक मछलियां होती है और इस बारे में बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं हैं ।

श्री अण्णसाहिब पी० शिन्दे : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि यह विदेशी शक्ति द्वारा किये गये करार पर निर्भर करता है । समस्याओं का समधान किया जा रहा है । यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले में रूस सरकार से नौकाएं आयात करने की सम्भावनाएं नहीं हैं, तो हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि केरल जैसी राज्य सरकारों को अन्य देशों से नौकाएं आयात कर सहायता की जाये ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सुन्दरबन और बंगाल की खाड़ी मछलियों से भरी पड़ी है । पश्चिम बंगाल सरकार का मछली पकड़ने सम्बन्धी एक निगम है क्या सरकार रूस सरकार से प्राप्त होने वाले कोटे में पश्चिम बंगाल सरकार को मछली पकड़ने वाली नौकाएं उपलब्ध करायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : स्वभावतया जब इन प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय हो जायेगा कि देश में कितनी नौकाएं उपलब्ध हैं और विदेशों से हमें कितनी नौकाओं का आयात करना पड़ेगा तो पश्चिम बंगाल को भी सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी । ये सुविधाएं केवल केरल तक ही सीमित नहीं रहेंगी ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि इस ससय रूस सरकार से नौकाएं उपलब्ध नहीं हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नौकाएं सप्लाई करने के बारे में पोलेंड सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे दुःख है माननीय सदस्य मेरी बात नहीं समझ सके । मैं बता चुका हूं कि हमारे पास रूस सरकार से लगभग 50 जहाज किराये पर लेने का प्रस्ताव है । यदि यह करार भी असफल रहा तब अन्य किसी देश से नौकाओं के आयात करने की सम्भावना का पता लगाया जायेगा । इस समय देश में निर्मित कुछ नौकाएं उपलब्ध हैं यदि उनका प्रस्ताव पूरा नहीं होता तब माननीय सदस्य के सुझाव के बारे में विचार किया जायेगा ।

चीनी के क्रय तथा विक्रय के सम्बन्ध में महाराष्ट्र की नीति

*186 **श्री एम० एस० संजीवी राव** :
श्री विश्वनाथन झुनझुनवाला :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार चीनी के क्रय तथा विक्रय के सम्बन्ध में ऐसी नीति का

पालन कर रही है जो उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों से भिन्न है जो बनाए गए हैं तथा जिनका दूसरे राज्यों द्वारा पालन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारें चीनी के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण कर रही है। सम्भवतया, माननीय सदस्य महाराष्ट्र में निर्धारित मूल्य पर खुली बिक्री की चीनी के एक भाग के वितरण का उल्लेख कर रहे हैं। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र के चीनी कारखानों ने सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1972 के महीनों के लिए खुली बिक्री की चीनी का एक भाग 230 रुपये प्रति क्विंटल के निकासी मूल्य पर स्वैच्छिक रूप से पेश किया था, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था और राज्य सरकार ने केवल उसके वितरण की व्यवस्था की थी।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मुझे विश्वसनीय सूत्र से पता लगा है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन 30 लाख टन होगा जबकि गत वर्ष चीनी का उत्पादन 37 लाख टन था। समस्त देश में, जिसने महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है, निम्न स्तर पर अधिक मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार का महाराष्ट्र राज्य को मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रो० शेर सिंह : यह सच है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन 31.12 लाख टन हुआ है जबकि गत वर्ष और उससे पूर्व वर्ष में चीनी का उत्पादन 37.4 लाख टन था। इस वर्ष अपनी नई नीति के अनुसार हमने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ उपाय किये हैं। हमें उनके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अक्तूबर महीने में हमारा चीनी का उत्पादन 60,000 टन अधिक था और नवम्बर में भी चीनी का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक था। चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारें मार्ग दर्शी-सिद्धान्तों का अनुकरण कर रही हैं।

श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या सरकार ने चीनी के उत्पादन में कमी की वास्तविकता का अनुभव किया है और यदि हां, तो क्या गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देने और चीनी मिलों को शीघ्र उत्पादन तथा अधिक उत्पादन करने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

प्रो० शेर सिंह : 29 अगस्त को सभा में घोषित नीति के अनुसार हमने आंशिक नियंत्रण की नीति अपनाई है और इस नीति के माध्यम से चीनी मिलों के लिए गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देना सम्भव है। न्यूनतम सांवधिक मूल्य में भी वृद्धि हुई है। आंशिक नियंत्रण के कारण मिल मालिक अधिक मूल्य देने की स्थिति में हैं। वास्तव में वे पंजाब में 12.50 रुपये तक और हरियाणा में 12.25 रुपये, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11.25 रुपये तक अधिक मूल्य दिया जा रहा है। जहां तक मिल मालिकों को गन्ने की शीघ्र पिराई के लिये

प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है हमने कुछ प्रोत्साहन दिया है। गत वर्ष अक्तूबर और नवम्बर की तुलना में चीनी का उत्पादन अधिक करने वालों को लगभग 40 रुपये प्रति टन उत्पादन शुल्क में कटौती दी गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में विशेषरूप से चीनी के उत्पादन में कमी हुई है क्योंकि कुछ प्रकार के गन्ना उत्पादकों ने, जिनसे सहकारी चीनी कारखानों को गन्ना प्राप्त होना चाहिये था, अवांच्छनीय माध्यम से अधिक लाभ पर गन्ना सप्लाई किया है?

प्रो० शेर सिंह : मुझे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि सूखे की स्थिति के कारण कमी हुई है। यह कमी बहुत साधारण है; हमें महाराष्ट्र में चीनी की अधिक कमी की संभावना नहीं लगती।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the Canegrowers have reduced growing canes substantially because they do not get money in time. These results in shortage of sugar and consumers are not getting sugar at fixed prices. The price of sugar in Delhi is Rs.4.25 per Kilo. The hon. Minister has stated in his reply that all the State Governments have implemented the policy of the Centre. I want to know whether the Central Government have issued orders to the effect that certain persons should be issued permits for more sugar. The Chief Minister of Madhya Pradesh has issued orders that 10 Kilo sugar per month should be given to the press reporters so that they may not publish such news as are unpalatable to him.

Prof. Sher Singh : We have taken several steps so that the Canegrowers may get money at the proper time. As a result of it, there has been 1.2 percent arrear in 1971-72. The Canegrowers have been paid 277 crores of rupees out of 280 crores of rupees. Therefore there is not so much difficulty in this matter.

So far as the question of sale of sugar at Rs. 4 per Kilo is concerned, I may mention that it is not levy sugar but the free sale sugar. We have fixed the price of levy sugar and it is being sold at the fixed rate The price of free sale sugar has not been fixed.

No orders have been issued for giving more sugar to particular persons. We have issued orders that more than one Kilo sugar should not be given to any persons and these orders are being implemented. I have not received any complaintsr egarding issuing of 10 Kilo sugar to any persons.

Shri Hukam Chand Kachwai : I am giving you the information that all the press reporters are getting 10 Kilo sugar per month.

Mr. Speaker : The main question relates to Maharashtra and not to Madhya Pradesh.

Mr. Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister should make an enquiry whether it is a fact that the press reporters in Madhya Pradesh are getting 10 Kilos of sugar or not

Shri K. N. Tiwari : The hon. Minister has just stated that there may be marginal short fall in sugar production. I want to know whether it is a fact that the recovery in Mahrashtra is very poor. Will the Minister give the figures of recovery during the last three years?

Prof. Sher Singh : I do not have the actual figure but during October and November, when the sugarcane was not fully ripe, the recovery was less, and it happens every year.

चावल का आयात करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के स्थान पर गैर-सरकारी व्यापारियों को अनुमति देना

*189. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल का आयात कतिपय ऐसे गैर-सरकारी व्यापारी कर रहे हैं जिन्हें इस कार्य के लिए एक राज्य सरकार से परमिट मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने ऐसा आयात लाइसेंस जारी करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति दी है और यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का आयात कर के उसका संबंधित राज्य को सप्लाई न कर सकने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे चावल की कुल आवश्यकता कितनी है जिसको आयात से पूरा किया जाना है और अब तक कितना चावल प्राप्त किया जा सका है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) फिलहाल चावल का आयात करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : माननीय मंत्री ने अभी एक वक्तव्य में उल्लेख किया कि कुछ मामूली सा आयात किया जायेगा। इस समय चावल का कुल कितना स्टाक सरकार के पास है और उसमें से कुल कितना बेचा जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : चावल के बारे में मैं अक्तूबर के आंकड़े दे सकता हूं क्योंकि नवम्बर के आँकड़े अभी पूरे किये जा रहे हैं। सरकार के पास इस समय 14 लाख टन चावल का स्टाक है। जिसमें से लगभग 25 से 30 लाख टन की बिक्री की जायेगी। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि वसूली अभियान भी चल रहा है और हमें आशा है कि जनवरी के अन्त तक हम 20 लाख टन चावल की वसूली कर लेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को शिकायत की थी कि बिहार सरकार ने चावल के भेजने के बारे में बाधाएं डाली हैं। क्या उन्होंने नेपाल से चावल आयात करने का भी विशेष प्रस्ताव रखा है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम पश्चिम बंगाल सरकार की उचित आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इस बारे में हमें सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे कोई विशेष सुझाव देगी तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मूल्यों पर चर्चा के दौरान मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है कि देश में कमी को पूरा करने के लिये हम अन्य देशों से गेहू और चावल का आयात करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार ने गेहूं और चावल का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है। क्या भविष्य में वसूली और वितरण कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा, प्राईवेट व्यापारियों द्वारा नहीं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : वितरण के लिये हम राज्य सरकारों को आबटन करते हैं, उन्हें ही प्रबन्ध करना पड़ता है। हम उन्हें यही परामर्श देते आ रहे हैं कि वे वितरण कार्य वितरण ऐजेन्सीयों तथा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा करें। हमारी कोशिश यही रही है कि वसूली सीधे उत्पादकों से की जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह कार्य किसको करना चाहिये ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वसूली के लिये कुछ राज्यों में तीन ऐजेन्सीयां अर्थात भारतीय खाद्य निगम, राज्य सहकारी विभाग तथा विपणन संघ तथा राज्य सिविल सप्लाई विभाग काम कर रहे हैं। यदि कोई राज्य इस काम को भारतीय खाद्य निगम को सौंपना चाहें तो हम वह जिम्मेवारी सम्भालने के लिये तैयार होंगे।

श्री के० लकप्पा : अधिकांश चावल पैदा करने वाले राज्य दक्षिण के राज्य ही हैं। हमें मालूम है कि यह काम प्राईवेट लोगों के हाथ में है। वितरण का कार्य प्राईवेट लोगों हाथ में है। वसूली का कार्य भी प्राईवेट लोगों तथा व्यापारियों के हाथ में है। केन्द्रीय सरकार ने इस नीति की घोषणा कर दी है कि वह चावल सररिकी अनिवार्य वस्तुओं के व्यापार और इनकी वसूली तथा वितरण व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के विरुद्ध नहीं है। मैसूर सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में लेने की योजना बनाई है और इसके लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है। सरकार का इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मसूर सरकार या कोई अन्य सरकार यदि इस काम को अपने हाथ में लेने की दिशा में कदम उठाती है तो भारत सरकार अपना पूरा समर्थन देगी।

श्री के० लकप्पा : एक स्पष्ट्रीकरण कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्ट्रीकरण नहीं। यह एक विशिष्ट उत्तर है।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट था। मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना भेजी थी। उन्होंने केन्द्र से कुछ सहायता मांगी। यही मेरा प्रश्न है। केन्द्र सरकार ने इनकार कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट्रीकरण इनसे चाहते हैं या आप अपने से चाहते हैं ? आपने स्वयं स्पष्ट्रीकरण कर दिया है।

श्री के० लकप्पा : मन्त्री महोदय ने कहा है कि ये सहायता दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सहायता नहीं दी गयी। क्या यह सच है कि कोई भी सहायता नहीं दी गयी ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : मैं वही बात कहूंगा जो कह चुका हूं कि यदि मैसूर सरकार हमसे कोई सहायता चाहती है तो हम खुशी से देंगे। बात यह है कि मैसूर सरकार वसूली के मूल्य बढ़ाना चाहती थी। आप इस बात को अनुभव करेंगे कि इससे समूचे देश के

मूल्य ढांचे पर प्रभाव पड़ता था। यदि कोई राज्य मूल्य ढांचे में परिवर्तन करता है तो इससे सारे देश में कुछ अन्य प्रकार की समस्यायें पैदा होती हैं, अतः इसके लिये हम सहमत नहीं हुये।

श्री बी० के० दास चौधरी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि चावल का पर्याप्त रक्षित भण्डार है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि वे कलकत्ता के लिये शीघ्र ही चावल का आवंटन करेंगे क्योंकि कलकत्ता की विकट स्थिति को देखते हुये पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिये पुरज़ोर मांग की है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे माननीय सदस्य से पूरी सहानुभूति है लेकिन यह प्रश्न यहां नहीं उठता।

श्री बी० के० दास चौधरी : इन्होंने 24 लाख टन रक्षित भण्डार की बात कही है। आने वाले महीनों में वह 30/40 लाख टन अधिक वसूली करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें पूरी सहानुभूति है। यदि इन्हें पूरी सहानुभूति है तो ये किसी भी बात से इनकार नहीं करेंगे। कृपया बैठ जायें।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा है कि वसूली हो रही है और वह 24 लाख टन के करीब वसूली करने जा रहे हैं...

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जनवरी तक।

श्री राम सहाय पांडे : देश के आधे भाग में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जहाँ वसूली पर्याप्त मात्रा में होने की सम्भावना है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पंजाब और हरियाणा में वसूली पर्याप्त मात्रा में हो रही है जहाँ लगभग 10 लाख टन वसूली होगी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल भी वसूली के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अन्ध्र प्रदेश में सूखे के कारण कुछ कठिनाई होगी लेकिन फिर भी सिंचित और डेल्टा क्षेत्र होने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

उड़ीसा में अनधिकृत रूप से अन्न बेचने वाले भारतीय निगम के एजेन्टों की गिरफ्तारी

+

*191. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**

श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के 6 एजेन्टों को उड़ीसा में निगम द्वारा खरीदे गए अन्न को अनधिकृत रूप से बेचने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं और इन लोगों में से प्रत्येक को कितना अग्रिम धन दिया गया है तथा इस प्रकार बेचे गये अन्न की मात्रा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के 15 एजेन्टों के स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करने पर उनका स्टाक कम पाया गया था। अतः बोलनगीर जिले में 14 एजेन्टों को और सम्बलपुर में एक एजेन्ट को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) इस सम्बन्ध में सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3815/72]

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या ये एजेन्ट नियमों के अनुसार नियुक्त किये गये थे क्या नियमों के अनुसार ही इन्हें अग्रिम धन दिया गया था और इन्हें अग्रिम धन किसने दिया ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : ऐजेन्टों की नियुक्ति प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद की जाती है और क्लेकटरों की सिफारिश के बिना भारतीय खाद्य निगम इन ऐजेन्टों को स्वीकार नहीं करता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस मामले में क्या किया गया ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस मामले में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया था। जहां तक अग्रिम धन का सम्बन्ध है, उड़ीसा में वसूली कार्य का एकाधिकार है जिसका अर्थ यह है कि जो कुछ वसूली होती है वह केवल राज्य सरकार केन्द्रीय एजेन्सी अथवा भारतीय खाद्य निगम के द्वारा ही होती है। अतः इनसे यह आशा कि जाती है कि ये भारतीय खाद्य निगम के ऐजेन्टों के रूप में काम करें क्योंकि उड़ीसा में वसूली कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपा गया है और भारतीय खाद्य निगम ही इन एजेन्टों को अग्रिम धन देता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लगाये गये आरोपों के इन एजेन्टों द्वारा दिये गये उत्तर का सारांश क्या है ? इन गोदामों की चाबी किसके पास रहती थी और इस अनाज को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में क्यों नहीं स्टाक किया गया।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार में ये मामले चल रहे हैं। अतः इस बारे में अपना परामर्श देना मैं उचित नहीं समझता लेकिन प्रतीत होता है कि···

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आरोपों के उत्तर का सारांश क्या है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे पास यहां यह सारी सूचना नहीं है। लेकिन कमी जरूर हुई है। अतः उड़ीसा और बंगाल के बीच चावल का तस्कर व्यापार व्यापक पैमाने पर है। अतः किसी चावल मिल मालिक ने चावल का तस्कर व्यापार करने का प्रयत्न किया होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अन्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में क्यों नहीं स्टाक किया गया ? वे अन्न को अपने घरों तथा अन्य जगह अपनी इच्छा के अनुसार क्यों रखते थे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब वसूली चल रही हो तो वे उसका स्टाक करते हैं और फिर बाद में सौंपते हैं। लेकिन ये स्टाक मिल मालिकों के पास था जिसे भारतीय खाद्य निगम को दिया जाना था।

श्री के० एस० चावडा : भारतीय खाद्य निगम के ऐजेन्टों की नियुक्ति के लिये क्या मापदण्ड है ?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है जो श्री श्यामनन्दन मिश्र ने पूछा था ।

श्री के० एस० चावडा : सरकार ने इन ऐजेन्टों को कमीशन की कितनी राशि दी ? चूंकि भारतीय खाद्य निगम इन ऐजेन्टों की नियुक्ति करता है, इसी लिये यह स्वभाविक है कि ये इन्हें कुछ कमीशन देंगे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उड़ीसा के बारे में मैंने स्थिति स्पष्ट की है । वास्तव में हमारे सारे देश के बारे में यह नीति है कि कोई भी ऐजेन्ट न हों और वसूली सीधी उत्पादकों से की जाये । यह हमारी नीति है । अन्य राज्यों में वसूली सीधी की जाती है लेकिन जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, ऐजेन्टों की नियुक्ति की गयी है और कास्ट एकाउन्टेन्ट की सिफारिश के अनुसार इन ऐजेन्टों को कुछ व्यय देना है ।

प्रमुख शहरों के विकास के लिये समेकित योजना

*192. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रमुख शहरों के विकास के लिये एक समेकित योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाचवीं योजना में समेकित नगरीय विकास को प्रमुख स्थान देने के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय ने दूसरे मन्त्रालयों से परामर्श किया है ; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव का योजना आयोग ने अनुमोदन किया था और इस सम्बन्ध में अन्तर्मन्त्रालय कार्यकारी दल द्वारा बनाये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) यह राज्य क्षेत्र का विषय है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग से वित्तीय सहायता नहीं दी जाती । बृहत योजना के उपबन्धों के अनुसार, जिसमें उन नगरों के लिये राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई समेकित विकास योजनाएं शामिल हैं, बड़े नगरों का समेकित विकास आरम्भ करना राज्य सरकारों का काम है । राज्य सरकारें राज्य विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 'खण्ड ऋणों और खण्ड अनुदानों' के रूप में किये गये प्लान सम्बन्धी नियतनों का उपयोग करने में स्वतन्त्र हैं ।

(ख) तथा (ग) अन्य बातों के साथ-साथ 1981 तक आवास तथा नगर विकास की समस्याओं तथा आवश्यकताओं का परिप्रेक्ष्य मूल्यांकन करने तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये ठोस कार्यक्रम का सुझाव देने हेतु योजना आयोग ने नगर-विकास, आवास तथा जल सप्लाई के विषय पर स्टीयरिंग ग्रुप की स्थापना की है। स्टीयरिंग ग्रुप ने अन्य बातों के साथ-साथ साधन जुटाने का सुझाव देने के लिये, जिस में नगर विकास हेतु संस्थागत वित्त व्यवस्था को प्रोत्साहन देना भी शामिल है, कार्यकारी दल स्थापित किये हैं।

जुलाई, 1972 में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों के योजना विभाग राज्यों के महत्वपूर्ण नगरों के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये एक विस्तृत नगर-विकास-कार्यक्रम तैयार करें, तथा राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ उनका एकीकरण सुनिश्चित करें। सिफारिशें उचित कार्यवाही आरम्भ करने हेतु राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : विवरण पढ़ने से पता चलता है कि समेकित योजना पर एकमात्र विचार-विमर्श ही हुआ है लेकिन अभी तक न ही कुछ किया गया है और न ही कुछ सोचा गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों ने प्रमुख शहरों की समेकित योजना के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं और यदि हां, तो पांचवी योजना में इसके अन्तर्गत कितने शहर शामिल किये जायेंगे और इन प्रमुख शहरों के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की जायेगी।

श्री उमा शंकर दीक्षित : इससे पूर्व, तीसरी योजना में, केन्द्रीय सरकार ने इसका निरीक्षण किया था और लगभग 52 योजनाओं को कार्यरूप दिया गया था। लेकिन, राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार, चौथी योजना से पूर्व ही इन अलग योजनाओं को छोड़ दिया गया था तथा इस विषय को राज्य क्षेत्र को सौंप दिया गया था और यह खर्च नियत किये गये खण्ड अनुदानों और खण्ड ऋणों से किया जाना था। जहां तक पांचवी योजना का सम्बन्ध है, इस प्रश्न की अब पुनः जांच हो रही है।

योजना आयोग ने एक 'स्टीयरिंग ग्रुप' की स्थापना की है और इसने विभिन्न उप-शीर्षकों के अन्तर्गत 14 कार्यकारी दल स्थापित किए हैं। वे कार्यकारी दल इस समय विभिन्न विषय जैसे जल सप्लाई, शहरीकरण, सफाई आदि के लिए वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार कर रहे हैं। इन सभी विषयों की जांच हो रही है। कार्यकारी दलों में से कुछ ने पहले ही रिपोर्ट दे दी है। इस समय ब्योरे देना संभव नहीं है। इन सभी 14 कार्यकारी दलों द्वारा योजना आयोग को अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में भी कुछ समय लगेगा और उसके पश्चात् ही योजना आयोग इन समूचे ब्योरों को तैयार करेगा।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या गुजरात सरकार ने गंदी बस्तियों को हटाने के लिए लगभग 1.50 करोड़ रुपये का कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है।

श्री उमा शंकर दीक्षित : यह अनुपूरक प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता है। लेकिन क्योंकि एक अन्य प्रश्न पूछा गया है और वह स्वीकृत हो गया है। अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह सच है कि गुजरात सरकार ने लगभग 1.50 करोड़ रुपये की लागत की योजनाओं के लिए अनुमति मांगी है। हमने पहले ही लगभग 18 लाख रुपये या इसके आस-पास की राशि मंजूर कर दी है यदि ये आंकड़े गलत हों, तो मैं इन्हें ठीक कर दूंगा लेकिन यह राशि 20 लाख रुपये से अधिक की नहीं है। हमने सरकारी भूमि से सम्बन्धित योजनाएं मंजूर की हैं लेकिन गुजरात सरकार ने गैर-सरकारी भूमि के लिये भी योजनायें तैयार की हैं। गैर-सरकारी भूमि से संबंधित योजनायें गुजरात सरकार को पुर्नविचार के लिए लौटा दी गई हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह प्रमुख नीति अथवा दीर्घकालीन नीति के सम्बन्ध में है। क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि गंदी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत देश में छः प्रमुख शहरों—बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, कानपुर और अहमदाबाद—को चुना गया था और अशोक सेन समिति द्वारा एक प्रतिवेदन भी तैयार किया गया था। यह प्रतिवेदन अशोक सेन समिति प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। मैं जानता चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन में उल्लिखित इन सभी शहरों को सुधारने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या सरकार का विचार प्रमुख शहरों के विकास के लिए एक समेकित योजना आरम्भ करने का है। माननीय सदस्य इससे बिलकुल अलग कुछ जानकारी पूछ रहे है जो इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण में इसका उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख कहां पर किया गया है?

श्री एस० एम० बनर्जी : यह पूरी बात का अंश भी तो है।

अध्यक्ष महोदय : इन दो बातों के बीच आप दूरगामी संबन्ध मत स्थापित करें। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : सामान्यतया गंदी बस्तियों को हटाना एक दीर्घकालिक उपाय है। मैं प्रमुख शहरों का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : योजना आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है—यह प्रश्न श्री मेहता जी का था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के लिए 1.5 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी। मैं अपने को कानपुर से ही सम्बद्ध नहीं कर रहा हूं अपितु गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये सभी छः शहरों के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं क्या सरकार ने कोई सहायता दी है······

अध्यक्ष महोदय : यह एक साधारण प्रश्न था। अन्य प्रश्न भी बहुत साधारण है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें तो यह देखना है कि क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो बात प्रश्न से परे होती है मैं उसका उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय से नहीं कह सकता हूं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : अन्य मन्त्रालयों से परामर्श करने के अतिरिक्त मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह नगर विकास की समस्या पर गैर-सरकारी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसियों से भी परामर्श कर रहे हैं ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : जी, नहीं······(व्यवधान)

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा विदेश से जहाज खरीदने सम्बन्धी सुझाव

+

*194. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :
श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने सरकार से मुक्त विदेशी मुद्रा में विदेशों से खरीदने की अनुमति प्राप्त सभी जहाजों के मूल्यों की 20 प्रतिशत राशि देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इसने यह भी सिफारिश की है कि विदेशों से खरीदे जाने वाले जहाजों के लिए विदेशी मुद्रा ऋणों के सभी मामलों में ब्याज की 8 प्रतिशत सीमा बांधी जाये ; और

(ग) क्या बोर्ड ने यह सिफारिश भी की है कि सरकार को नौवहन उद्योग के लिए कर रियायतें मई, 1974 के बाद भी जारी रखनी चाहिए और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) जी, हां । बोर्ड की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : हमारी कुल कितनी आवश्यकता है और हमने विदेशों से कितना खरीदा है ? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : जहां तक चौथी योजना का सम्बन्ध है, हमें 40 लाख के कुल लक्ष्य के विरुद्ध केवल 1.13 लाख टन जी० आर० टी० के आर्डर देने की आवश्यकता है । पांचवीं योजना के लिये हमें अभी अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना है ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने बेड़े का विस्तार कर रहे हैं और क्या पांचवीं योजना में सरकार का विचार कुछ कार्यवाही करने का है ?

श्री राज बहादुर : विश्व नौवहन में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के लिये हमें विश्व के कुल टनभार का लगभग 1 अथवा 1.05 प्रतिशत टनभार बनाना है । इसके वांछित

आंकड़े दो प्रतिशत हो सकते हैं। इसे उपलब्ध करने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। अतः मेरे लिए सदन में यह बताना समयपूर्व होगा कि पांचवी योजना में अब हमारे यह लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। फिलहाल मैं यही कह सकता हूं कि हम इस जरूरत के प्रति अत्यधिक सचेत हैं कि समुद्र पार व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी टनभार क्षमता को बनाना चाहिए। हम अपने समुद्रपार व्यापार को इस समय अपने जहाजों में केवल 20 प्रतिशत तक ही ले जाने में समर्थ हैं और बाकी के लिए हमें भाड़े के रूप में लगभग 170 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च पड़ता है। यदि हम कुल व्यापार का 50 प्रतिशत वहन करते हैं तो हमारी आय का हिस्सा लगभग 110 करोड़ रुपये अधिक का हो जायेगा। अतः इसमें हमें बहुत समय लगेगा। हम अपनी नौवहन टनभार क्षमता को बढ़ाकर किस प्रकार अच्छा बनायें और इसके लिए कौन से साधन अपनायें, इस पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just told about our total tonnage. I would like to know the time by which we will be able to meet the requirement wholly in our country. Secondly, our service to the other countries is not satisfactory. What steps have been taken by the Government to make our shipping efficient.

Shri Raj Bahadur : I would like to dispel the doubts of the hon. member about the efficiency of our service. Our shipping service is very good. As far as our shipping tonnage is concerned, it depends on the services of the nation. If the required sources are made available, we can achieve the necessary capacity and we have achieved it in the past.

पंजाब में हरिजनों के कल्याणार्थ धन का आबंटन

*197. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पजाब में हरिजनों के कल्याणार्थ वर्ष 1969 से, वर्ष-बार, कितना धन आबंटित किया है ; और

(ख) पंजाब में कल्याण योजनाएं कहां तक असफल रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) विवरण पत्र से यह देखा जायेगा कि उपयोग 94.5 प्रतिशत रहा है।

विवरण

पंजाब राज्य

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये प्लान आबंटन तथा व्यय

वर्ष	राज्य क्षेत्र		केंद्रीय क्षेत्र		योग	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
			(रुपये लाखों में)			
1969-70	25.00	24.23	5.00	4.25	30.00	28.48
1970-71	30.00	25.86	4.96	4.36	34.96	30.22
1971-72	40.00	38.07	11.50	10.00	51.50	43.07
1972-73	50.00	50.00*	14.45	14.25*	64.45	64.45*
	145.00	138.16	35.91	33.06	180.91	171.22

*प्रत्याशित

श्री प्रबोध चन्द्र : मुझे विवरण नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : यह विवरण वहां पर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*182. **श्री वेकारिया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अनुदेश पर गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद नगर के लिए भेजी गई 1.50 करोड़ रुपये की 'गन्दी बस्तियां हटाओ' योजना को केन्द्रीय सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) तथा (ख) 1.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की गन्दी बस्ती उन्मूलन परियोजनाओं में से, म्यूनिसिपल। सरकारी भूमि पर गन्दी बस्तियों के सुधार से संबंधित लगभग 13 लाख रुपये की लागत की परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं। शेष परियोजनाएं गैर सरकारी भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों के सुधार से संबंधित हैं तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार नहीं बनाई गई हैं। तथापि, मामला विचारा धीन है।

अलेप्पी पत्तन को कोचीन का सहायक पत्तन घोषित करने के सम्बन्ध में राज्य के अधिकारियों से बातचीत

*183. **श्री ए० के० गोपालन :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलेप्पी पत्तन का कोचीन का सहायक पत्तन घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर राज्य के अधिकारियों से बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी हाँ। मामले में राज्य सरकार प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया गया था। विचार विमर्श के फलस्वरूप यह सहमति हुई थी कि राज्य सरकार भारत सरकार के विचारार्थ एक स्पष्ट एवं स्वत: पूर्ण प्रस्ताव बनायेगी। राज्य सरकार से इस विषय में अब एक पत्र प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है।

ग्रामीण विकास के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को धन का आबंटन

*187. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल कितना धन दिया गया है ;

(ख) क्या धन का आवंटन जनसंख्या तथा ब्लाकों की संख्या पर आधारित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य को 1971-72 में 126.87 लाख रु० की राशि दी गई थी और 1972-73 में अब तक 91.500 लाख रु० की राशि दी गई है और इस तरह ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को अब तक कुल 218.370 लाख रु० की राशि दी गई है।

(ख) और (ग) इस योजना में प्रत्येक जिले में कम से कम 2.50 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा करने की परिकल्पना की गई है। इसकी लागत का अनुमान 12.50 लाख रु० प्रति जिला प्रति वर्ष लगाया गया है। इस आधार पर उड़ीसा को अपने 13 जिलों के लिए 162.50 लाख रु० प्रति वर्ष मिलने थे। किन्तु इसकी जनसंख्या को देखते हुए इस राज्य को वास्तव में 183 लाख रु० आवंटित किए गए हैं।

तटवर्ती नौवहन के टन-भार में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही

*188. **श्री झारखंडे राय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तटवर्ती नौवहन सेवा में वर्ष 1964 में जो 4,12,000 ज़ी० आर० टी० टन था

घटकर 1972 में 2,18,000 जी० आर० टी० टन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो टन-भार में कमी होने के क्या कारण है ; और

(ग) तटवर्ती नौवहन सेवा के टन भार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन परिवहन और मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां, 1964 के अन्त में तटीय टनभार अधिकतम था जबकि इसमें 4.12 लाख जी० आर० टी० के 114 जहाज थे। जहाजों की संख्या अब 31-10-1972 को, घट कर 58 जहाज हो गए हैं, जो कुल मिलाकर 2,00, 234 जी० आर० टी० के हैं।

(ख) तटीय जहाजों की संख्या में गिरावट के कारण ये हैं :—

(i) तटीय जहाज पुराने होने से, बहुत से जहाज रद्द करने पड़े ; और

(ii) दीर्घकालीन आधार पर कोयले जैसे खुले माल की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता।

(ग) तटीय नौवहन को अब 1-4-1972 से शुरू होने वाले 10 वर्ष की अवधि के लिए 7.5 लाख टन लोको तथा औद्योगिक कोयले के लिए विश्वस्थ कर दिया गया है। तटीय नौवहन के लिए रुमानिया शिपयार्ड को 10 खुले माल पोतों के लिए आदेश दे दिये गये हैं और इन जहाजों की अप्रेल, 1972 से 15 जनवरी, 1976 के बीच सुपुर्दगी की जायेगी।

Inadequacy of Transport in Bihar for proper exploitation of Minerals

*190. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Shipping and Transport be leased to state :

(a) whether the inadequacy of transport facilities has resulted in great difficulty in the proper exploitation of minerals available in Bihar ;

(b) whether it is a fact that rich deposits of bauxite, limestone, coal and iron ore could not be fully and properly exploited so far due to inadequacy of pucca roads in those areas ;

(c) if so, whether the Central Government have formulated any scheme to solve this problem in consultation with the State Gevernment, if so, the outcome of the said cheme ; and

(d) whether the Central Government propose to formulate any scheme of their own to link all the mine areas with roads, if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) No such inadequacy/bottleneck has been brought to the notice of he Ministry of Shipping and Transport.

(c) and (d) The Government of India are primarily responsible for roads declared aos National Highways. All roads other than National Highways in States, including Goads required for serving mining areas, are essentially the responsibility of the State Governments concerned. However, in order to assist the State Governments concerned the Central Government do provide financial assistance to the State Governments for such roads as and when any specific requirement is brought up before them with adequate

justification. In 1968, the Government of India provided a loan of Rs. 18.50 lakhs to Bihar Government for the improvoment of certain roads in some mining areas projected by the Minerals and Metals Trading Corporation. In addition, in September, 1968, the Government of India agreed to provide under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State or Economic Importance a grant-in-aid of Rs. 8.28 lakhs to meet 50% of the cost of improving the road connecting Amjhore Pyrites project with Dehri.

पश्चिम बंगाल को चावल और गेहूं की सप्लाई

*193. **डा० रानेन सेन :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के राशन वाले क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं के भण्डार की स्थिति बहुत खराब हो गई है ;

(ख) क्या स्थिति में सुधार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से चावल और गेहूं की अविलम्ब सप्लाई करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य में सूखे की स्थिति के कारण, पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य की जरूरतें पूरी करने के लिए जिसमें चार महीनों (सितम्बर से दिसम्बर, 1972 तक) के लिए कलकत्ता की राशन-व्यवस्था सम्बन्धी जरूरतें शामिल हैं, 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की मांग की थी जिसमें 14 लाख मीटरी टन गेहूं और 6 लाख मीटर टन चावल शामिल है।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार की सभी उपयुक्त जरूरतें पूरी की जा रही है।

देशी औषध पद्धति का अनुसंधान और विकास

*195. **श्री पीलू मोदी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी औषध पद्धति के अनुसंधान और विकास के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या ग्रामीण कार्यक्रम स्वास्थ्य केन्द्रों में एलोपैथिक औषधियां वितरित करने का एक व्यापक कार्यक्रम है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 12 अगस्त, 1972 की सप्ताहिक पत्रिका "दि मार्च आफ दि नेशन" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) 1971-72 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत अनुसंधान,

स्नातकोत्तर शिक्षा, स्नातक पूर्व शिक्षा, आदि के विकास के लिए 129.98 लाख रुपये की संस्वीकृति दी गई थी।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई ग्रामीण क्षेत्रों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ग्राम चिकित्सकों को अन्य बातो के साथ साथ ग्राम और छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक दवाईयों से लैस एक किट बैग देने का भी विचार था। ग्राम चिकित्सकों को सामान्य रोगों के निदान तथा इलाज के लिए सभी चिकित्सा पद्धतियों के आधारभूत सिद्धान्त का अल्पकालीन प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था थी। स्वास्थ्य सचिवों एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशकों के सम्मेलन तथा स्वास्थ्य-मत्रियों के सम्मेलन में इस योजना पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गाया। राज्य सरकारों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर भी स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समिति ने विचार किया था। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस योजना और तत्संबधित विभिन्न आपत्तियों और सुझावों पर भी विस्तारपूर्वक पुनः विचार विमर्श किया गया। प्रसंगाधीन प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित बातों पर भी सरकार ने विचार किया था। इस प्रकार प्राप्त विभिन्न सुझावों, चर्चाओं तथा टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में इस योजना को अब संशोधित किया जा रहा है इस योजना की अन्तिम रूप देने के बाद इस के अन्तर्गत प्रयोग स्वरूप ऐसी मार्गदर्शी परियोजनाओं की व्यवस्था होगी जिनके अधीन राज्य सरकारों को अपनी-अपनी इच्छानुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति/मिश्रित चिकित्सा पदधतियों के चिकित्सकों/एम० बी० बी० एस० डाक्टरों/पंचीकृत चिकित्सकों परा चिकित्सकों को भर्ती करने की छूट होगी।

संगीत नाटक अकादमी के बोर्ड का गठन

*196. श्री **सरोज मुखर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के अध्ययन, निर्माण और प्रदर्शन में लगे सांस्कृतिक निकायों से चुने गये व्यक्तियों में से संगीत नाटक अकादमी गठित की गई है ;

(ख) क्या संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड में अधिकांश केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार के उच्च अधिकारी तथा कुछ कलाकार हैं ;

(ग) इसके चेयरमैन तथा वाइस-चेयरमैन के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या राज्य अकादमियों द्वारा पुरस्कारों तथा वित्तीय अनुदानों के बारे में की गई सिफारिशों को केन्द्रीय अकादमी द्वारा सुस्थापित प्रथा के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) संगीत नाटक अकादमी नियमावली में यह व्यवस्था है कि अकादमी में (जिसको महा परिषद भी कहा जाता है) 48 सदस्य होंगे, जिनमें से, नियम 4 के उप नियम (8)

के अन्तर्गत, 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र से सम्बन्धित संगठनों से परामर्श करके चुना जायेगा। उसमें ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि इन 12 व्यक्तियों में से कम से कम दो ऐसे हों जिन्हें (i) हिन्दुस्तानी संगीत, (ii) कर्नाटक संगीत (iii) नृत्य, (iv) नाटक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये। अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विशेष रूप से चुने गये भारत के विभिन्न भागों से संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्रों से 8 प्रमुख व्यक्तियों के लिये भी नियम 4 उप-नियम (9) में व्यवस्था है। नियम 4 उप-नियम (7) के अन्तर्गत साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी प्रत्येक के दो-दो प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इससे प्रतीत होता है कि कुल 48 सदस्यों में से 24 सदस्य ऐसे होंगे जो सांस्कृतिक कार्य-कलापों के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से सम्बन्धित होंगे। शेष बाकी 24 सदस्यों में से 15 सदस्यों को राज्य सरकारों द्वारा नामजद किया जाना है और 5 भारत सरकार से नामजद किये जाते हैं। साधारणतया, ये व्यक्ति सांस्कृतिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में भी जाने माने होते है अथवा सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकरण से सबंधित होते हैं। अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार और सूचना तथा प्रसारण और शिक्षा मंत्रालय दोनों के एक-एक, इस प्रकार बकाया 4 सदस्य शेष रह जाते हैं। अकादमी का अभी तक पूरी तरह से गठन नहीं किया गया है।

नये कार्यकारी बोर्ड का अभी गठन किया जाना है, किन्तु अकादमी की नियमावली में व्यवस्था है कि बोर्ड के गठन में 14 सदस्य होंगे, 9 व्यक्तियों को महापरिषद द्वारा चुना जायेगा, 2 व्यक्तियों को महापरिषद और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि में से अपने नामजदों से भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जायेगा। बाकी 3, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वित्तीय सलाहकार होंगे। उपाध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे महापरिषद अपने सदस्यों से में चुन लेती है। कार्यकारी बोर्ड के सदस्य मूल रूप में गैर-सरकारी होते हैं। भारत सरकार बोर्ड के लिये केवल दो व्यक्ति नामजद करती है। यह भी बता दिया जाए कि राष्ट्रीय अकादमियों के लिये खोसला पुनरीक्षण समिति ने एक कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश की है जिसमें 9 व्यक्ति होंगे, उनमें से 5 महापरिषद द्वारा चुने जाएं और शेष 4 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तथा वित्तीय सलाहकार और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे।

श्री के० पी० एस० मेनन अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष का अभी चुनाव होना है।

अकादमी की कार्यपद्धति के अनुसार, पुरस्कार, महापरिषद के सदस्यों की सिफारिशों सहित राज्य अकादमियों के अध्यक्षों की सिफारिशों पर विशेषज्ञ नामिका (पैनल्स) द्वारा विचार किया जाता है और कार्यकारी बोर्ड और महापरिषद के अनुमोदन से पुरस्कार दिये जाते हैं।

जहां तक अनुदानों का सम्बन्ध है, राज्य अकादमियों की सिफारिशों पर अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाता है और अनुदानों को कार्यकारी बोर्ड के अनुमोदन से संस्वीकृत किया जाता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में तिलहनों का लक्ष्य तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में अनुमान

*198 **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में तिलहनों के उत्पादन के लक्ष्य क्या है और लक्ष्यों की

प्राप्ति में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) पांचवी पंच वर्षीय योजना में तिलहनों की आवश्यकताओं के बारे में क्या-क्या अनुमान है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) पांचवी पंच वर्षीय योजना में तिलहनों के विकास के लिये गठित अध्ययन दल ने अनुमान लगाया है कि पांचवी योजना के अन्त तक 135 लाख मीटरी टन तिलहनों की आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता को तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करके और बिनौला, चावल की भूसी तथा वृक्ष-मूलक तिलहनों जैसे अन्य स्रोतो से पूरा करने का विचार है।

विवरण

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक वर्ष के लिये तिलहनों की पैदावार के निर्धारित लक्ष्य और 1971-72 तक हुए वास्तविक उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(लाख मीटरी टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1969-70	85	77.3
1970-71	90	92.6
1971-72	95	82.7
1972-73	97	उपलब्ध नहीं हैं
1973-74	105	यथोपारि

वन्य-क्षेत्रों के स्थल

*199. **श्री डी० पी जदेजा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्लैक बक, (सोहन चिड़िया) चिकारा तथा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड (नर-मृग) के संरक्षण के लिए देश में इस समय कितने वन्य-क्षेत्र है तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं और कितने वन्य क्षेत्र स्थलों को बनाने का प्रस्ताव है तथा वे कहाँ-कहाँ स्थित होंगे ; और

(ख) इस समय उपरोक्त नसलों की अनुमानतः कितनी संख्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अकादमियों के कार्यकरण के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन

*200. **श्री शंकर दयाल सिंह :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकादमियों के कार्यकरण के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सार, रिपोर्ट के सातवें अध्याय में दिया गया है, जिसकी प्रतियां 2 सितम्बर, 1972 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां, अकादमियों को उनके विचारार्थ भेज दी गई हैं। सरकार द्वारा उनके विचार प्राप्त होने पर, निर्णय लिए जाएंगे।

Slaughter Houses

1801. **Shri Narendra Singh :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State :

(a) the number of Slaughter Houses in the country at present and their location ; and

(b) the number of animals slaughtered each year in those Slaughter Houses as per information available to the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b). The information is being collected from the State Governments. The same will be placed on the table of the Lok Sabha as soon as it is received.

मध्य प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता

1802. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुछ शिक्षा-संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशों से वित्तीय सहायता लेने की अनुमति दी जाती है, और यदि हां, तो वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) मध्य प्रदेश की शिक्षा सस्थाओं द्वारा वर्ष 1970-71 के दौरान पृथक-पृथक कुल कितनी राशि की विदेशी सहायता प्राप्त की गई है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चय करने के लिये कोई सरकारी निकाय है कि इस प्रकार प्राप्त की गई सहायता की राशि का वस्तुत: उसी उद्देश्य के लिये उपयोग किया जाता है जिसके लिये यह प्राप्त की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा सस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण

अधिनियम, 1959 के अधीन, पंजीकृत ऐसी प्राइवेट संस्थाओं को जिन्हें राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, विदेशी सहायता मांगने अथवा प्राप्त करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, इन संस्थाओं को इस प्रकार के लेखों के वार्षिक जांच-ब्यौरे पेश करने पड़ते हैं, जिनसे विदेशों से प्राप्त धन का पता लगता हो। राज्य सरकार को प्राप्त जांचे ब्यौरों से पता चलता है कि 1970-71 वर्ष के दौरान निम्नलिखित दो संस्थाओं को विदेशी सहायता प्राप्त हुई :—

(1)	क्रिश्चियन कालेज, इन्दौर	यूनाइटिड चर्च आफ नार्दन इण्डिया के खजांची के जरिए बोर्ड आफ वर्ल्ड मिशन से 23,012.27 रु०
(2)	इन्दौर स्कूल आफ सोशल वर्क, इन्दौर	वर्ल्ड मिशन, कनाडा से अनुरक्षण के लिए 54,137.92 रु० और निमाण के लिए 45,787.75 रु०

राज्य सरकार को उन प्राइवेट संस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जिनका नाम सहायक-अनुदान की सूची में न हो और जिन्हें इस अवधि में विदेशी सहायता मिली है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, विदेशी सहायता प्राप्त करने वाली प्राइवेट संस्थाएं, राज्य सरकार की बिना किसी जांच पड़ताल के इस प्रकार के धन का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं

सहकारिता विधियों में संशोधन

1803. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी उपक्रमों में उत्पादन में कमी का एक कारण सहकारिता विधियों की अव्यवहार्यता तथा जटिलता है ;

(ख) क्या वर्तमान सहकारिता विधियों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सहकारिता राज्य विषय है। भारत सरकार ने 1956 में एक समिति नियुक्ती की थी, जिसने ऐसे वैधानिक उपायों की सिफारिश करनी थी जो आमतौर पर सम्पूर्ण देश के लिये उपयुक्त हों, ताकि यह आन्दोलन समन्वित ढंग से प्रगति कर सके। इस समिति ने आदर्श सहकारी सोसायटीज विधेयक और आदर्श सहकारी सोसायटीज नियमों के मसौदे तैयार किए। समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों केन्द्रशासित क्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई थी। अधिकांश राज्य सरकारों ने इन्हीं के आधार पर अपने सहकारी सोसायटीज अधिनियमों में संशोधन किए हैं।

1968 में हुए मुख्य मंत्रियों और राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन और बाद में हुए मंत्रियों के सम्मेलन ने इनके बारे में कुछ प्रगतिशील वैधानिक उपायों का सुझाव दिया—महाजनों को सहकारी सोसाइटियों का सदस्य बनने से वंचित करना, सहकारी सोसाइटियों के प्रबन्धक बोर्ड में कमजोर वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करना, बहुत सी संस्थाओं में एक साथ और बहुत

बार पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाना, पदधारियों को दिए जाने वाले ऋण का नियमन करना, स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा नियमित चुनाव कराना, स्वतंत्र ट्रायब्युनल आदि। ये सुझाव सभी राज्य सरकारों, केन्द्र-शासित क्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिए गए हैं। अधिकांश राज्य इन सिफारिशों को कार्यन्वित कर चुके हैं। शेष राज्यों को सलाह दी जा रही है कि वे उन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पहले कार्यान्वित करें।

भारत सरकार ने मल्टी-यूनिट कोआपरेटिव सोसायटियों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता की जांच करने हेतु मार्च, 1971 में एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार मल्टी-स्टेट कोआपरेटिव सोसायटियों के लिए मल्टी-यूनिट कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1942 के स्थान पर एक व्यापक विधान तैयार करने के बारे में विचार कर रही है।

मध्य प्रदेश के रीवां डिवीजन में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पावधि ऋण

1804. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 के दौरान मध्य प्रदेश के रीवां डिविजन में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पावधि ऋण के रूप में कितना धन दिया गया है; और

(ख) इस अवधि में अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए अन्य ऋणों के रूप में कितना धन दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विश्वविद्यालय के स्नातकों की संख्या

1805. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से कितने-कितने छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रम पूरा किया ; और

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों में कितने छात्रों को स्नातकोत्तर अथवा एम० एस० सी० की डिग्रियां दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी

पुनरीक्षित बृहत योजना (मास्टर प्लान)

1806. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में 7 अक्तूबर, 1972 को कार्यकारी पार्षद द्वारा दिए

गए सुझावों के अनुसार बृहत योजना का पुनरीक्षण कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) दिल्ली की बृहत योजना का पुनरीक्षण तथा पुनःमूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का राज्यों द्वारा उपयोग न किया जाना

1807. **श्री एस० एम० सिद्दध्या :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि का राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उस कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जाता है जिस कार्य के लिये उसका आवंटन किया होता है :

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने राशि का दुरुपयोग किया है और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिए रखें जाते है और उन्हें अन्य प्रयोजनों पर नहीं लगाया जा सकता है । महा नियत्रंक और लेखा परीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के लेखों का निरीक्षण करते हैं कि कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है । दुरुपयोग का कोई विशिष्ट मामला सरकार को सूचित नहीं किया गया है ।

अनूसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने पंचायत समितियों द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में 1969-70 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में साधारण निष्कर्ष दिया है ।

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को आयुक्त के निष्कर्ष के बारे में वास्तविक स्थिति बताने के लिए कहा गया है ।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि पंचायत राज संस्थाओं के रिकार्ड की ध्यानपूर्वक से और जांच की जाएगी और पिछड़े वर्गों और कम अधिकार प्राप्त समुदायों के तेजी से आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा अन्तिम निर्णय किया जाएगा ।

गत तीन वर्षों में देशवार निर्यात की गई चीनी तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा

1808. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान निर्यात की गई चीनी देशवार मात्रा (टनों में) कितनी है ;

(ख) चीनी के निर्यात से कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी के देशवार प्रति किलोग्राम निर्यात-मूल्य (भारतीय मुद्रा में) क्या थे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ग) भारत से चीनी का निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है। 1970 से 1972 तक के वर्षों में देशवार, चीनी की निर्यात की गई मात्रा और उससे जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार प्रति किलो अनुमानित अर्जित राशि इस प्रकार है :

वर्ष	देश	निर्यात की गई मात्रा (मी० टन)	जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार अनुमानित औसत अर्जित राशि (रुपये प्रति किलो)
(1)	(2)	(3)	(4)
1970	संयुक्त राज्य अमेरिका	68,871	1.10
	कनाडा	59,072	0.60
	यू० के०	19,675	0.86
	मलेशिया तथा सिंगापुर	60,696	0.69
	द० वियतनाम	19,731	0.77
	श्रीलंका	74,410	0.77
	इंडोनेशिया	10,967	0.76
	फारस की खाड़ी	4,999	0.79
	जोड़	3,18,421	0.80
			औसत वजन

वर्ष	देश	निर्यात की गई मात्रा (मी० टन)	जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार अनुमानित औसत अर्जित राशि (रुपये प्रति किलो)
(1)	(2)	(3)	(4)
1971			
	संयुक्त राज्य अमरीका	71,273	1.19
	कनाडा	92,997	0.79
	यू० के०	31,125	0 85
	मलेशिया	29,870	0.78
	द० वियतनाम	29,161	0.98
	श्रीलंका	60,102	0.97
	उगान्डा	17,210	1.04
	जोड़	3,31,738	0 94
			औसत वजन
1972			
	संयुक्त राज्य अमेरिका	73,427	1.30
	यू० के०	25,400	1.08
	जोड़	98,827	1,24
			औसत वजन

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी मुद्रा की अनुमानित कुल अर्जित राशि (रुपये/करोड़)
1970	25.7
1971	31.2
1972	12.3

नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यापकों की पदोन्नति सम्बन्धो नीति का पुनरीक्षण

1809. **श्री डी० के० पंडा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यापकों की पदोन्नति संबंधी नीति का पुनरीक्षा करने की मांग की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उच्च वेतन-मान वाले पदों को भरते समय अपेक्षित अर्हताओं और लम्बे अनुभव वाले विभागीय उम्मीदवारों की अपेक्षा कर दी जाती है जबकि बाहर के कम अर्हता और कम अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया जाता है ; और

(ग) क्या अध्यापकों के इन आरोपों की जांच करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के नामों पर, बाहर के उम्मीदवारों के नामों के साथ-साथ ऊंचे ग्रेड के पदों पर पदोन्नति करने के लिए विचार किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में एक कमरे के मकानों में रहने वालों की जनसंख्या

1810. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना के पश्चात् लगाये गये अनुमान के अनुसार दिल्ली की 70 प्रतिशत जनसंख्या एक कमरे के मकानों में रहती है जिनमें पानी, बिजली और स्नानघरों जैसी मूल सुविधाओं का अभाव है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए बनाई गई गन्दी जाति हटाओ योजना तथा अन्य आवास योजनाओं के लिए 1971 और 1972 में वर्षवार कितना धन आवंटित किया गया ; और

(ग) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनको किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1971 की जन-गणना के अवसर पर तैयार की गई हाऊसलिस्ट शैड्यूल से यह मालूम हुआ है कि दिल्ली के संघ क्षेत्र की हाऊसलिस्ट में दर्ज की गई जनसंख्या का लगभग 47 प्रतिशत एक कमरे वाले मकानों में रहती है। जल, बिजली, स्नानगृहों आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में उक्त जनगणना के दौरान कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए थे ।

(ख) विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं तथा गन्दी-बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना के कार्यान्वियन के लिये दिल्ली प्रशासन को 1971-72 तथा 1972-73 के वर्षों में निम्नलिखित राशि नियत की गई थी :—

	1971-72	1972-73
	(रुपये लाखों में)	
सामाजिक आवास योजनाएं	300.00	325.00
गन्दी-बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना	80.00	80.00

(ग) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना सहित सामाजिक आवास योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं संसद-पुस्तकालय में पहले ही उपलब्ध हैं। प्राप्त हुए प्रगति विवरणों के अनुसार दिल्ली के संघ क्षेत्र में गन्दी-बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना सहित विभिन्न समाजिक योजनाओं के अन्तर्गत योजनाओं के प्रारम्भ होने से अब तक 32,914 मकानों/टेनमेन्टों की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से 27,122 पूरे हो चुके हैं। इन मकानों/टेनमेन्टों के अतिरिक्त झुग्गी-झोंपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत 52,983 प्लाट विकासित किए जा चुके हैं तथा 41,573 प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय दास प्रथा विरोधी संघ (इन्टरनेशनल एबोलीशनिष्ट फैडरेशन) का दिल्ली में हुआ 25 वाँ सम्मेलन

1811. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री दिनेश जोदकर :

क्या **शिक्षा और कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1972 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय दास प्रथा विरोधी संघ का 25 वां सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई ; और

(ग) इन सिफारिशों को अपनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) जी हां। स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पतन के दमन के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय दास प्रथा विरोधी संघ का 25 वां अधिवेशन 4 से 7 अक्तूबर, 1972 तक दिल्ली में हुआ था।

(ख) सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों की प्रति संलग्न है।

(ग) सरकार इनकी जांच कर रही है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय दास प्रथा विरोधी का संघ दिल्ली में 4 से 7 अक्तूबर, 72 तक होने वाले अधिवेशन में संकल्प पारित करता है :—

कि अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर देशों में व्यवसायिक वेश्यावृत्ति कम हो रही

है जबकि उन कारणों से जिनसे यह होती है, वेश्यावृत्ति अब भी एक गम्भीर बुराई है।

कि यह सफलता अधिकतर इस कारण मिली कि वेश्यावृत्ति का पतन किया गया, वेश्यालयों का निषेध किया गया तथा निषेदकारी नियमों का उन्मूलन किया गया परन्तु यह अभी पर्याप्त नहीं क्योंकि कई देशों ने अपने नियम बना कर वेश्यावृत्ति से अनुचित लाभ उठाने और वेश्यालयों का व्यवसाय रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 1949 के समझौते की अभिपुष्टि नहीं की है।

कि इस इच्छा को पूरा करने के लिए सब देश अति शीघ्र संयुक्त राष्ट्र के समझौते की अभिपुष्टि करें तथा समझौते के निदेशक तत्वों को अपने विधान में पारित करें और साथ-साथ यह भी देखें कि यह कानून पूरी सतर्कता और प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाये।

2. अधिवेशन संकल्प पारित करता है कि रति रोगों में सामान्य वृद्धि केवल वेश्यावृत्ति का ही एक भाग है और रोगों के निवारण के लिए देशों व सरकारों द्वारा किए गये प्रयत्नों का स्वागत करता है।

या इच्छा व्यक्त करता है कि सब देश वयैक्तिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किए बिना रति रोगों के विरुद्ध अपनी कार्यवाही को तीव्र करें।

3. अधिवेशन संकल्प पारित करता है कि वेश्यावृत्ति और आकस्मिक वेश्यावृत्ति की पार्श्व शक्तियों में वृद्धि के निम्न कारण हैं :—

(1) धार्मिक ढांचे, पारिवारिक जीवन और नैतिकता का कमजोर होना।

(2) नैतिकता में शिथिलता।

(3) मुख्यतः अल्कोहल के प्रयोग की अधिकता, ड्रग्स का अधिक उपयोग तथा अश्लील साहित्य में वृद्धि आदि के कारण भ्रष्ट करने का निरन्तर प्रोत्साहन।

(4) प्रेम से सैक्स कार्य को अलग करने और इस प्रकार मानव के मान से इसे वंचित करने की वर्तमान प्रवृत्ति।

कि परिस्थिति शायद संगठित व्यवसायिक वेश्यावृत्ति से कम हानिकर है फिर भी डर है कि कहीं यह बढ़ न जाये और वेश्यावृत्ति के लिए भर्ती का क्षेत्र बढ़ जाये।

यह इच्छा व्यक्त करता है कि :

कि सब देशों की सरकारें वेश्यावृत्ति के उपरोक्त अप्रत्यक्ष कारणों को रोकने के लिए उपाय करें।

कि इन उपायों के करने में वे अन्तर्राष्ट्रीय दास प्रथा विरोधी संघ और किसी अन्य राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, सार्वजनिक या निजी, जो वेश्यावृत्ति से अनुचित लाभ उठाने के विरुद्ध कार्य में विशेषज्ञ हैं और इन पीड़ितों के पुनर्वास का कार्य करते हैं, की सहायता लेने में नहीं झिझकेगी।

भारतीय खाद्य निगम को गत तीन वर्षों में राज्यवार माल की ढुलाई के दौरान हुई हानि

1812. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को माल की ढुलाई के दौरान भारी हानि हो रही है और केवल महाराष्ट्र में ही वर्ष 1969-70 से अब तक उसे लगभग 47 लाख रुपये की हानि हुई है ; यदि हां, तो वर्ष 1969-70 से अब तक राज्यवार उसे माल की ढुलाई के दौरान अब तक कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या गन्तव्य स्थानों पर रेलवे द्वारा कम माल की डिलीवरी की तथा आशय की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त हानि रेलवे बुकिंग अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ से हो रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों के सत्यापन के लिये कोई जांच की है तथा माल की ढुलाई के दौरान होने वाली हानि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्षेत्रवार ढुलाई के दौरान हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1971-72 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) गन्तव्य स्थानों पर रेलवे द्वारा कम माल की डिलीवरी करने के मामले रहे हैं लेकिन रेलवे के बुकिंग अधिकारियों के साथ मिल कर इन हानियों में हेर-फेर करने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच-पड़ताल की जाती है और उन मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जाती है। ढुलाई के दौरान हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कुछेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :

(क) बोरियों को ठीक तरह पैक करने और साफ साफ निशान लगाने की दिशा में विशेष ध्यान देना ; प्लेटफार्मों और शैडों में खाद्यान्नों की चोरी रोकने और उनकी सुरक्षा करने के लिए बोरियों को बैगन के दरवाजे से कुछ दूरी पर रखा जाता है।

(ख) विभिन्न लदान/उतरान और तौल केन्द्रों पर अचानक जांच करने के लिए सतर्कता स्क्वाड की स्थापना।

(ग) रेलवे के साथ निकट सम्पर्क बना कर असम्बद्ध गुम बैगनों का पता लगाने के लिए तुरन्त अनुवर्ती कार्यवाही करना।

(घ) खाद्यान्नों को यथा सम्भव ढके हुये बैगनों में भेजने की व्यवस्था करना। जब खुले बैगनों में खाद्यानों का संचलन अपरिहार्य हो जाता है तब बोरियों का लदान पिरामिड रूप में किया जाता है और बोरियों को तिरपालों से अच्छी तरह ढक दिया जाता है ताकि वर्षा का पानी बिना कोई हानि पहुंचाए उनके ऊपर से बह जाए। खुले बैगनों को रेलवे सुरक्षा दल की देख-रेख में ब्लाक

रैकों में भेजा जाता है और रास्ते में रेलवे यार्डों में रैकों की जांच-पड़ताल की जाती है। जब कभी खाद्यान्नों को सड़क मार्ग से भेजना होता है तब बोरियों को तिरपालों से अच्छी तरह ढक दिया जाता है और उनकी पर्याप्त हिफाजत की जाती है।

(ङ) रेल द्वारा संचलन योजनाबद्ध किया जा रहा है ताकि मार्ग में गाड़ी न बदलनी पड़े (ब्राड गेज से मीटर गेज और मीटर गेज से ब्राड गेज) जिससे खाद्यान्नों को सम्भालने में यथा सम्भव कम से कम हानि हो।

विवरण

1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों में मार्ग तथा भण्डारण में हुई हानि का क्षेत्र-वार व्यौरा देने वाला विवरण।

क्रम सं०	क्षेत्र	हानि करोड़ रुपयों में 1969-70	1770-71
1.	आंध्र प्रदेश	0.26	0.05
2.	तमिलनाडु	0-40	0.27
3.	केरल	0.79	0.42
4.	मैसूर	0.08	0.09
5.	पी०ओ० मद्रास	0.37	0.32
6.	गुजरात	0.17	0.10
7.	महाराष्ट्र	0.74	0.77
8.	मध्यप्रदेश	0.16	0.12
9.	दिल्ली	0.12	0.10
10.	पंजाब/हरियाणा	0.05	0.01
11.	राजस्थान	0,07	0.08
12.	उत्तरप्रदेश	0.28	0.15
13.	असम	0.25	0.12
14.	बिहार	1.09	1.18
15.	उड़ीसा	0.06	0.05
16.	प० बंगाल	3.43	3.74
17.	पी०ओ० कलकत्ता।	0.51	0.83
	जोड़ :	8.83	8.40

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बम्बई में गैर-सरकारी गोदामों का किराये पर लिया जाना

1813. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर बम्बई में, पत्तन से कई किलोमीटर दूर, 50,000 रुपये मासिक किराये पर एक गैर-सरकारी गोदाम लिया था जबकि पत्तन के समीप ही भण्डार सुविधाएं उपलब्ध थी और भारतीय खाद्य निगम को पेश भी की गई थीं ;

(ख) क्या उक्त किराया मंत्रालय द्वारा इतने ही भंडार स्थान के लिए बम्बई पत्तन न्यास को दिये जा रहे किराये से पांच गुना अधिक था तथा क्या गैर सरकारी पार्टी से किराये पर लिए गए इस गोदाम को पूर्णरूपेण उपयोग में लाया गया था; और

(ग) क्या उक्त गोदाम अब भी भारतीय खाद्य निगम के कब्जे में है, यदि नहीं तो इसे कब खाली किया गया और कुल कितनी राशि किराए के रूप में अदा की गई तथा समीप ही गोदाम उपलब्ध होने पर भी इतनी दूर गोदाम किराये पर लेने का क्या औचित्य था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग) क्योंकि बम्बई पोर्टट्रस्ट के पास उर्वरकों को रखने के लिए न तो भंडारण स्थान उपलब्ध ही था और न ही उन्होंने पेश किया था तथा न ही बन्दरगाह के समीप कोई अन्य भंडारण स्थान उपलब्ध था, इसलिए भारतीय खाद्य निगम ने कृषि मंत्रालय की मंजूरी से गोड़गांव में एक गैर सरकारी पार्टी से केवल उर्वरक रखने के लिए एक गोदाम किराये पर लिया है जोकि बम्बई की बन्दरगाह से लगभग 30 किलोमीटर दूर है।

इस गोदाम का क्षेत्रफल 74,500 वर्ग फीट है और इसकी भण्डारण क्षमता 9,950 मीटरी टन है और इसका मासिक किराया 50 पैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिये गए भण्डारण स्थान का वास्तविक किराया 5 से 50 पैसे प्रति वर्ग फीट प्रति मास की दर के हिसाब से दिया जा रहा।

यह गोदाम भारतीय खाद्य निगम के अधिकार में है और भण्डारण स्थान का औसतन 50 प्रतिशत इस्तेमाल किया जा रहा है।

अक्तूबर, 1972 के अन्त तक इस गोदाम का कुल किराया लगभग 3.15 लाख रुपये दिया गया।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली के एल० और एम० ब्लाकों में पानी की अपर्याप्त सप्लाई

1814. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री 21 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2968 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पानी के अलग पाईप लगाये जाने के बावजूद सरोजनी नगर, नई दिल्ली के 'एल०' और 'एम०' ब्लाकों में पानी की सप्लाई अब भी अपर्याप्त है ; और इससे अलाटियों को बहुत असुविधा हो रही है ;

(क) क्या उक्त कार्य संतोषजनक ढंग से किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो दूसरी मंजिल (फर्स्ट फ्लोर) के फ्लैटों पर पानी की सप्लाई की स्थिति में कोई सुधार न होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अलाटियों की इस चिरकालिक शिकायत को दूर करने के लिये और क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 'एल०' और 'एम०' ब्लाकों के निचली मंजिल के फ्लैटों में पानी की सप्लाई की कोई कठिनाई नहीं है। पहली मंजिल के फ्लेटों के लिए अलग वितरण-लाईन बिछाने का कार्य पूरा होने पर पहली मंजिल के फ्लैटों में पानी की सप्लाई में कुछ हद तक सुधार हुआ है, परन्तु नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा डाली गई पानी की मुख्य लाइनों में कम दबाव होने के कारण स्थिति पूर्णतः संतोषजनक नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका को अपनी मुख्य लाइनों में पानी का दबाव बढ़ाने के लिये कहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रखने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता मंजूर करने की दिशा में हुई प्रगति

1815. **श्री के० सर्यनारायण :** क्या कृषि मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि की अदायगी के बारे में 31 जुलाई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) संबंधित कर्मचारियों को उनकी देय राशि की अदायगी करने में और कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). इस श्रेणी के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि की अदायगी करने के बारे में दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष की राय सरकार के 17 नवम्बर, 1972 को प्राप्त हुई है। अब इस मामले के समस्त पहलुओं पर विचार करके शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिकों को मकानों के आवंटन की योजना

1816. **श्री के० सूयनारायण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूत पूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने मध्यम आय वर्ग के मकानों के अलाटमेंट के लिए पहली रजिस्ट्रीकरण योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिये थे और बाद में सफदरजंग, मुनीरका और ईस्ट आफ कैलाश जैसी दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में अलाटमेंट के लिए पुन: आवेदन पत्र दिये और जो अभी तक प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) अब तक कितने लोगों को फ्लैट आवंटित किये जा चुके हैं ;

(ग) शेष भूतपूर्व सैनिकों को कब तक अलाटमेन्ट कर दी जायेगी ; और

(घ) दक्षिण दिल्ली की प्रत्येक कालोनी में उनके लिए कितने कितने फ्लैट रक्षित किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) उन भूत पूर्व सैनिकों की संख्या बताना संभव नहीं है, जिन्होने फ्लैटों के आवंटन के लिये प्रथम पजीकरण योजना के अन्तर्गत अपने आप को पंजीकृत कराया था क्योंकि यह सूचना पंजीकरण करते समय प्राप्त नहीं की गई थी । जबकि मुनीरका में फ्लैटों के लिये कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गये हैं, सफदरजंग तथा ईस्ट आफ कैलाश में फ्लैटों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

योजना का नाम	भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	उन को किये गये आवंटनों की संख्या
ईस्ट आफ कैलाश	37	15
सफदर जंग	6	6

(ख) साऊथ दिल्ली में 21 फ्लैट, नरायणा में 15, वजीरपुर में 4 तथा पंखा रोड पर 24 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं ।

(ग) तथा (घ). कुछ प्रतिशत फ्लैट अन्य लोगों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित करने के लिये आरक्षित रखे जाते हैं । जब कभी विभिन्न योजनाओं के लिये आवेदन पत्र मांगे जायेंगे और आवंटन किये जायेंगे तब उन्हें आरक्षण के अनुसार आवंटन प्राप्त हो जायेगा ।

चौथी योजना के अन्त तक बेरोजगार कृषि स्नातकों की संख्या

1817. **श्री के० सूर्यनारायण :**
श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में

किये गये अध्ययन के अनुसार चौथी पचवर्षीय योजना के अन्त तक (1973-74) लगभग 16,000 कृषि स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे ;

(ख) इस समय बेरोजगार कृषि स्नातकों की संख्या कितनी है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने इस सम्बन्ध में अन्य कोई सिफारिशें की है तो वे क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है अथवा निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुमान के अनुसार चौथी योजना 1973-74 के अन्त तक लगभग 16,000 कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्ति होंगे ।

(ख) तथा (ग). कृषि स्नातकों/स्नातकोत्तर व्यक्तियों के रोजगार का प्रश्न राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है । फिर भी, भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कृषि स्नातकों की योग्यताओं का गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है । हाल ही के वर्षों में मुद्रा संरक्षण जैसे कई कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कृषि स्नातकों को सलाहकार सेवाओं के लिए या प्रत्यक्ष क्षेत्र कार्यों के लिए नौकरी पर लगाया जा रहा है । हाल ही में उत्पादन और सवंर्धन की गतिविधियों से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यों के लिए कृषि-उद्योगों ने बड़ी संख्या में स्नातकों को नियुक्त किया है । पिछले कुछ वर्षों में अधिक से अधिक कृषि स्नातक खेती का धंधा अपनाते जा रहे हैं । राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कृषि तकनालोजी दिन-व-दिन सूक्ष्म होती जा रही है, अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में ग्राम सेवकों की जगह कुछ हद तक कृषि स्नातकों को काम पर लगाने का सुझाव दिया है ।

Farmer Library Scheme in Madhya Pradesh

1818. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the Districts of Madhya Pradesh wherein Farmer Library Scheme sponsored by the Central Government is in force at present ;

(b) the names of the Distircts of the State to which instructions were issued by the Central Government for the implementation of the said scheme during the year 1972-73 ; and

(c) the nature of assistance and the extent to which assistance was provided to the State Government by the Central Government in this regard during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Ministry of Education and Social Welfare and the Deepartment of Culture are not aware of any scheme called the "Farmer Library Scheme" sponsored by the Central Government.

(b) Does not arise.
(c) Does not arise.

Jaipur Pillar at Rashtrapati Bhawan

1819. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether the Jaipur Pillar installed at Rashtrapati Bhawan still bears the mark of British crown ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to inscribe anI ndian National mark on the said pillar ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes, Sir.

(b) In 1950, this emblem was covered with wooden panels which have, however, since worn out. Steps are being taken to remove this emblem and to replace it with a suitable Indian motif, as a permanent measure.

राजस्थान में दूषित पेय जल के कारण हड्डी की बीमारी

1820. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में दूषित जल के कारण बड़ी संख्या में लोग हड्डी के नरम पड़ जाने की बीमारी से पीड़ित हैं ;

(ख) क्या इस समस्या को अभी तक प्रभाव रुप से हल नहीं किया जा सका है ; और

(ग) क्या उपरोक्त तथ्य को देखते हुए ऐसे सभी क्षेत्रों का पता लगाने पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है अथवा करने का विचार है जहां पेय जल का उपलब्ध स्रोत दूषित है तथा इस बारे में जनता को आगाह करेगी और जल को साफ करने में राज्य सरकार की सहायता करेगी अथवा शुद्ध पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था करेगी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली राज्य के स्कूलों में गृह विज्ञान तथा कला के वरिष्ट अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेडों का दिया जाना

1821. **श्री के० लकप्पा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली राज्य स्कूलों में काम कर रहे गृह विज्ञान तथा कला के वरिष्ट अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड देने पर सहमत हो गई है और यदि हां, तो इन पदों पर न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ;

(ख) क्या बड़ी संख्या में काम कर रहे अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड से वंचित रखा जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है कि काम कर रहे अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड से वंचित न किया जाए ; और

(घ) अन्य राज्यों के उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में गृह-विज्ञान के अध्यापकों के पदों के लिए क्या न्यूनतम अर्हताएं रखी गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) ;

(क) जी, हां। विवरण संलग्न है, जिसमें इन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-3816/72]

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अन्य राज्यों के उच्च माध्यमिक स्कूलों और कालेजों के सम्बन्ध में सचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

गैर-सरकारी तौर पर बने मकानों की खरीद के लिए बीमा जीवन निगम तथा राष्ट्रीय बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

1822. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसी उन सरकारी/अर्ध सरकारी एजेन्सियों के, विशेषकर संघराज्य क्षेत्रों में, नाम तथा पते क्या हैं जो निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों को गैर-सरकारी व्यक्तियों के पुराने बने बनाये मकानों की खरीद के लिए ऋण देती है ; और

(ख) ऐसे ऋणों के दिये जाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोचीन शिपयार्ड की प्रबन्धक पदाली में नियुक्तियां

1823. **श्री वयालार रवि:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड की, इसका कार्य आरम्भ होने से लेकर अब तक प्रबन्धक पदाली में कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ; और

(ख) उनमें से कितने सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं तथा कितने प्रतिनियुक्ति पर आये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) कम्पनी में अभी तक 58 अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वर्ग I और वर्ग II के राजपत्रित पदों के समान पद धारण करते हैं।

(ख) 33 व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर हैं ; 21 की सीधी भर्ती की गई है और चार पदोन्नत किये गये हैं।

कोचीन शिपयार्ड के अधिकारियों द्वारा बातचीत के लिए जापान का दौरा

1824. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड के, जबसे इसका कार्य आरम्भ हुआ है, कितने अधिकारियों ने अब तक जापान का दौरा किया है , और

(ख) इस प्रयोजन हेतु बड़ी संख्या में अधिकारियों के जापान के दौरे पर जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) कोचीन शिपयार्ड का एक अधिकारी दिसम्बर, 1970 में, तीन अधिकारी जुलाई-अगस्त, 1972 में जापान गए।

(ख) उपर्युक्त दौरे, शिपयार्ड निर्माण के लिए तकनीकी सहायता का ब्यौरा तैयार करने और जहाज निर्माण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए करार के मसौदे सम्बन्धी शर्तों की चर्चा करने हेतु किये गए थे। उपर्युक्त चर्चा दोनों तकनीकी और वित्तीय मामलों से सम्बन्धित थी और जापान में भेजे गए, शिपयार्ड के अधिकारियों की यह अनिवार्य समझी गई कम से कम संख्या थी ।

केरल में राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान की एक शाखा के खोले जाने के लिए अभ्यावेदन

1825. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान की एक शाखा खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रपति खेल संस्थान की शाखा खोलने के लिए केरल के अलावा महाराष्ट्र तथा मैसूर की सरकारों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर अखिल भारतीय क्रीडा परिषद की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण रोजगार संम्बधी द्रुत कार्यक्रम की प्रगति

1826. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में मध्य प्रदेश में जिला-वार ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**ग्रंथालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी० 3817/72].

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्थायी बनाये गए स्नातकोत्तर अध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड देना

1827. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बहुत से कार्यवाहक स्नातकोत्तर अध्यापकों को हाल ही में भूतलक्षी प्रभाव से उनके पदों पर स्थायी बना दिया गया है ;

(ख) क्या अध्यापकों को स्थायी बना दिये जाने से हाल ही में घोषित प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक वेतनमान में उनको सलैक्शन ग्रेड देने के बारे में विचार नहीं किया गया ; और

(ग) क्या सलैक्शन ग्रेड में नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का वेतन इस प्रकार हाल ही में स्थायी बनाये गए स्नातकोत्तर अध्यापकों के वेतन से अधिक होगा ; और यदि हां ; तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। मामला विचाराधीन है।

सलैक्शन ग्रेड अध्यापकों के चयन के लिए कसौटी

1828. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनरीक्षित वेतनमानों की योजना के अन्तर्गत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड देने के लिए अध्यापकों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली कसौटी को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षित स्नातकों तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों पर लागू की जाने वाली कसौटी की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) स्थायी पदों के 15 प्रतिशत पदों को सलैक्शन ग्रेड के पदों में बदल दिया गया है। इन पदों पर चयन वरियता तथा योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना का बूथ

1829. **श्री हरी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली के ब्लाक सी 2-सी की पाकेट 2 से एक मील के अन्दर दिल्ली दुग्ध योजना का कोई भी बूथ नहीं है ; और

(ख) इस क्षेत्र के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये उक्त पाकेट में दिल्ली दुग्ध योजना का बूथ कब तक खोलने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय जनकपुरी क्षेत्र में केवल एक मिल्क बूथ है। यह पाकेट 2, ब्लाक सी 2-सी से तीन-चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(ग) केवल इस पाकेट के लिये कोई नया मिल्क बूथ खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, दिल्ली दुग्ध योजना का आवश्यकता पड़ने और स्थान उपलब्ध होने पर जनकपुरी क्षेत्र में तीन और मिल्क बूथ खोलने का विचार है।

नांगल राय, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालय

1830. **श्री हरी सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल राय, नई दिल्ली में डाक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालय काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्लाक सी-5 जनकपुरी, नई दिल्ली के निवासी सरकारी कर्मचारियों को उक्त चिकित्सालय की सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति है ; और

(ग) ब्लाक सी-2, जनकपुरी, नई दिल्ली के निवासी सरकारी कर्मचारियों को भी इस चिकित्सालय की सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) एक दिसम्बर, 1970 से नांगल राय में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय चल रहा है और जनकपुरी में केवल सी-3, सी-5ए, सी-5बी, सी-6बी, 'डी' और डी-1/27-129 ब्लाकों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के क्षेत्र में शामिल कर इस औषधालय सम्बद्ध किया गया है।

(ख) पूरे सी-5 ब्लाक को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में शामिल नहीं किया है। किन्तु जनकपुरी के सी-5ए० और सी-5बी ब्लाकों में रहने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को जो अपेक्षाकृत औषधालय के निकट है, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ग) जनकपुरी के ए० और बी० ब्लाकों की भांति सी-2 ब्लाक को अभी तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। सरकार नये क्षेत्रों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शामिल करने के सम्बन्ध में स्थिति पर निरन्तर विचार करती रहती है। अपेक्षित साधनों के उपलब्ध होते ही जनकपुरी के शेष ब्लाकों को भी इस योजना में शामिल कर लिया जायेगा।

आसाम में ग्रामीण ऋण संबंधी मामलों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

1831. **श्री रोबिन ककोती :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण संबन्धी मामलों के संबंध में आसाम का दौरा करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कर्मचारियों ने यात्रा भत्ते के रूप में कितनी राशि ली ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण ऋण दाता संस्थाओं को धन देने के लिए आसाम सहकारी एपैक्स बैंक ने रिजर्व बैंक से कितना धन लिया ;

(ग) उक्त योजना अवधि में एपैक्स बैंक ने रिजर्व बैंक को कितना धन लौटा दिया है ; और

(घ) उक्त अवधि में रिजर्व बैंक ने एपैक्स बैंक से उक्त राशि पर कितना ब्याज लिया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 43,889 रुपये।

(ख) 50,00,000 रुपये
(1. 4. 69 से 31. 10. 1972 तक)

(ग) 50,00,000 रुपये।
(1. 4. 1969 से 31. 10. 1972 तक)

(घ) 1,81,917 रुपये।
(1, 4, 1969 से 31. 10. 1972 तक)।

आवश्यक वस्तुओं का राशन करना

1832. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के लिए निश्चित दरों पर राशन-योजना लागू कर दें ; और

(ख) यदि हां, तो इन निर्देशों के अनुसरण में राज्य वार कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए निर्धारित दरों पर राशन योजना लागू करने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं। तथापि, राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि वे खाद्यान्नों के बारे में सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करें और उसका विस्तार करें। इस समय सांविधिक राशन-व्यवस्था पश्चिमी बंगाल में वृहत्तर कलकत्ता, आसनसोल तथा दुर्गापुर कम्पलैक्स और महाराष्ट्र में वृहत्तर बम्बई में लागू है। इस समय देश में चल रही राशन की दुकानों सहित उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या 1,58,552 है जोकि निर्धारित मूल्यों पर गेहूं और चावल वितरित कर रही हैं (विवरण संलग्न है)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3818/72] फिलहाल, लेवी चीनी का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ राज्यों में खाद्य तेलों और दालों की सीमित मात्रा इन दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही है। राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानों, सुपर बाजारों, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से सम्बद्ध उचित मूल्य की दुकानें और मिलों की खुदरा दुकानों के माध्यम से नियंत्रित कपड़े के समूचे उत्पादन को बेचने का निर्णय भी किया गया है।

म्यूनिख से भारतीय टीम का पालम पहुँचना और खेलों में सुधार

1833 **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टीम का म्यूनिख से पालम हवाई अड्डे पर पहुँचने पर सरकार द्वार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान द्वारा कोई स्वागत नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथ अपने खेलों में सुधार करने हेतु कदम उठाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) म्यूनिख से भारतीय दल के आगमन पर उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी खेल कूद संगठनों की थी। मालूम होता है कि भारतीय दल का ऐसा कोई आयोजित स्वागत नहीं किया गया।

(ख) सरकार खेलों के विकास के लिए अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के परामर्श से राष्ट्रीय खेलकूद संघों को उदार वित्तीय सहायता देती रही है। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला विदेश जाने वाली भारतीय टीमों को प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण देने में सहायता करता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। खेलकूद में प्रतिभा वाले युवकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से खेलकूद प्रतिभा छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के परामर्श से सुधार के लिए और अधिक उपायों पर भी विचार किया जाएगा।

1972 के दौरान मोटर गाड़ी दुर्घटना में मारे गये तथा घायल हुये व्यक्ति

1834. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से सितम्बर, 1972 तक मोटर गाड़ी दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ; और

(ख) पुलिस में कितने मामले रजिस्टर किये गए ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) संगत अवधि के दौरान दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं में 378 व्यक्ति मरे और 2429 व्यक्ति जख्मी हुये ।

(ख) 2127.

कांडला, गुजरात में उर्वरक संयंत्र

1835 **श्री डी० के० पण्डा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव (आई० एफ० एफ० सी० ओ) द्वारा काण्डला (गुजरात) में निर्मित किए जा रहे उर्वरक संयंत्र की स्थापना में अब तक हुई प्रगति का एकक-बार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक एकक की प्रारम्भिक अनुमानित लागत कितनी है और विभिन्न विदेशी तथा भारतीय फर्मों को कितनी-कितनी लागत के ठेके दिए गए और पहले ठेका दिए जाने के बाद से ऐस्केलेशन सम्बन्धी नियम के लागू होने तक प्रत्येक ठेके की लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दी इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव, काण्डला में केवल एक ही युनिट स्थापित कर रहा है जो एन पी के कंप्लेक्स उर्वरक तैयार करेगी । इस युनिट के लिए इंजीनियरी तथा सामग्री मुहैया करने सम्बन्धी सभी कार्य पर्याप्त मात्रा में पूरा किया जा चुका है और सभी मुख्य-मुख्य उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं । सम्पूर्ण साइट निर्माण कार्य का 21 प्रतिशत भाग पूरा हो गया है और उम्मीद है कि फरवरी, 1974 के अन्त तक यह यूनिट यांत्रिक रूप से पूरी हो जाएगी ।

(ख) इफको काण्डला की यूनिट के अलावा, कलोल में अमोनिया और यूरिया तैयार करने के लिए दो यूनिटें भी स्थापित कर रहा है । प्रत्येक यूनिट की प्रारम्भिक अनुमानित लागत और प्रत्येक यूनिट के लिए अब तक दिए गए ठेकों/उप/ठेकों क्रय-आर्डरों का मूल्य इस प्रकार है :—

	प्रारम्भिक अनुमानित लागत	अब तक दिए गए ठेकों/उप ठेकों और क्रय-आर्डरों का मूल्य
कलौल	(लाख रु० में)	
अमोनिया संयन्त्र	2134	1496
यूरिया संयंत्र और आफ साइट्स	2779	2157
भूमि, इमारतें मोबाइल उपकरण आदि जैसी सामान्य सुविधाएं	503	342
आकस्मिक व्यय (अप्रत्याशित व्यय, मूल्यों में वृद्धि आदि की पूर्ति के लिए)	375	—
काण्डला		
एन० पी० के संयंत्र		
इमारतें, आकस्मिक व्यय आदि		
मिलाकर	2452	948

प्रत्येक यूनिट के लिए जिन ठेकों/उप ठेकों/क्रय आर्डरों को अन्तिम रूप दिया गया है उनके मूल्य का ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3819/72] सिविल निर्माण कार्यों के लिए कुछ ठेकों और उपकरणों के साइट-फैब्रिकेशन और इरेक्शन के उप-ठेकों को अभी अंतिम रूप देना रहता है।

केवल कुछ ठेकों में ऐस्केलेशन सम्बन्धी नियम हैं और उन मामलों में ऐस्केलेशन का हिसाब अनेक तथ्यों के सन्दर्भ में लगाया जाता है, जैसे इस्पात के मूल्य के सूचक में हुई वृद्धि का प्रतिशत, आर्डर किए गए उपकरणों के प्रथम आर्डर और अन्तिम सुपुर्दगी के बीच मजदूरी में हुई वृद्धि का प्रतिशत, संयुक्त संयंत्र एकक समिति द्वारा इस्पात मूल्य में किए गए परिवर्तन के कारण सांविधिक हेर-फेर आदि। इसलिए ऐस्केलेशन के प्रभाव का पता ठेकेदार द्वारा सारे दायित्वों को पूरा कर दिए जाने के बाद चलेगा। हर यूनिट के ठेके के बारे में स्थिति अनुबन्ध 2 में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3819/72]

दिल्ली में अक्तूबर, 1972 में आयोजित खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा शामिल न होना

1836. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में खाद्य तथा कृषि संगठन के हाल ही में आयोजित ग्यारहवें क्षेत्रीय सम्मेलन में पाकिस्तानी झण्डा लहराया था ;

(ख) क्या पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल ने उक्त सम्मेलन में भाग नहीं लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या विरोध प्रकट किया गया था तथा भाग लेने वाले सदस्यों ने उस पर यदि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वह क्या थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सामान्य रीति के अनुसार पाकिस्तान सहित सभी 21 देशों के झण्डे खाद्य तथा कृषि संगठन सचिवालय द्वारा, जिन्होंने सम्मेलन आयोजित किया था लहराये गए थे। कृषि मन्त्रालय ने मेजवान के रूप में सम्मेलन के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन को केवल कुछ सुविधायें दी थी।

(ख) जी हां।

(ग) इसमें भाग लेने वाले सदस्यों ने कोई विरोध या प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

भूमिहीन कृषकों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन

1838. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय सरकार की भूमि सुधार नीति के अन्तर्गत भूमिहीन कृषकों के अधिकारों को संरक्षण देने के विचार से भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?'

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) इस वर्ष जुलाई में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी संशोधित कानून 31 दिसम्बर, 1972 तक बना लिये जायें और सारे संशोधित कानून संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिये जायें। भारत सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

त्रिपुरा में भूमि जल आयोग का कार्य

1839. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में भूमि जल आयोग ने काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सक्रिय रूप से काम आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने धर्मनगर सब-डिवीजन के नयापाड़ा (धर्मनगर) नामक स्थान पर कूप बेधकर वर्ष 1971-72 के दौरान भूमिगत जल की खोज का कार्य शुरू किया था।

इस कार्य के लिये प्रयोग में लाए जा रहे रिग का बंग । देश के शरणार्थियों के लिये आपात-कालीन आधार पर कूपों के निर्माण में प्रयोग होने के कारण यह कार्य आगे पूरा नहीं किया जा सका। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 के दौरान धर्मनगर सब-डिविजन के तेलियामोरा, बेलूचेरा और उपताखाली नामक स्थानों पर तीन "उत्पादन" कूपों का निर्माण किया गया था।

वर्ष 1972-73 के अपने मौजूदा कार्यक्रम में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का इस राज्य मे 6 समन्वेषी कूप, 2 निरीक्षण कूप और एक 'स्लिम होल' तैयार करने का विचार है। इस उद्देश्य के लिये सदर सब-डिविजन में पांच और धर्मनगर सब-डिविजन में चार समन्वेषी स्थलों का चयन किया गया है ; सितम्बर, 1972 के अन्त तक नयापाड़ा (धर्मनगर) में समन्वेषी और निरीक्षण के लिये एक-एक जगह वेधन किया गया था। इस समय धर्मनगर सब-डिविजन के सानीचारा नामक स्थान पर बेधन कार्य जारी है।

उपरोक्त कार्यकलापों के अतिरिक्त केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड वर्ष 1672-73 के दौरान त्रिपुरा की गुमती-खोवई घाटी में 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधीक क्षेत्र में क्षेत्रीय जलीय सर्वेक्षण करना चाहता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक का राज्यवार वितरण

1840. **श्री जगदीश नारायण मण्डल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा वर्ष 1971 तथा 1972 के दौरान उर्वरक के राज्य-वार कुल वितरण की प्रतिशतता कितनी थी ;

(ख) क्या उक्त वितरण सन्तोषजनक रहा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1970-71 और 1971-72 के दो पूरे वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय उर्वरक निगम द्वारा किए गए उर्वरकों के राज्यवार वितरण की प्रतिशतता को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां। इस मन्त्रालय ने राज्यों तथा विनिर्माताओं के साथ मिलकर आयोजित किए गए क्षेत्रीय उर्वरक सम्मेलनों में जो वायदे किये थे, करीब-करीब उन्हीं के अनुसार भारतीय उर्वरक निगम ने विभिन्न राज्यों को उर्वरक सप्लाई किये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य	1970-71 में प्रतिशतता		1971-72 में प्रतिशतता	
	एन	पी$_2$ओ^5	एन	पी$_2$ओ^5
1. पश्चिम बंगाल	11	8	8	11
2. उड़ीसा	3	2	2	1
3. बिहार	11	1	12	5
4. मध्य प्रदेश	2	1	2	1
5. आसाम	3	—	5	—
6. उत्तर प्रदेश	21	3	27	11
7. पंजाब	13	—	11	2
8. हरियाणा	5	—	6	1
9. राजस्थान	1	—	1	—
10. हिमाचल प्रदेश	—	—	1	—
11. दिल्ली	—	—	1	—
12. महाराष्ट्र तथा गुजरात	13	55	14	36
13. आन्ध्र प्रदेश	11	14	7	15
14. मैसूर और केरल	4	13	2	14
15. तमिल नाडु	2	3	1	3
कुल :	100	100	100	100

Reduction in the supply of Fertilizer to the Farmers in Bihar

1841. **Shri G. P. Yadav :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether supply of fertilisers to the farmers in Bihar is being reduced ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No Sir, the supply of fertilisers to the farmers in Bihar has not been reduced. At the Eastern Zonal Conference held at Calcutta on September 26 and 27, 1972, the targets of consumption of the State for Rabi 1972-73 were fixed in consultation with the State Government keeping in view their past consumption and allowing a sizeable increase over them. A coordinated plan of supply of fertilisers to the State from domestic sources and the Pool was drawn up accordingly. Supply of fertilisers to Bihar is being made according to this plan. Under this plan, the state is expected to receive 53400 tonnes to N and 3800 tonnes of P_2O_5 during Rabi 1972-73 as against 41000 lakh tonnes of N,

15000 tonnes of P_2O_5 and 5400 tonnes of K_2O received by the State during Rabi 1971-72. There will be no supplies of K during Rabi 72-73 and the supplies of P_2O_5 will be smaller than those during Rabi 71-72 because the State has large unutilised stocks of K_2O and P_2O_5 in its godowns. Out of the above quantities the supplies to be made by the Central Fertiliser Pool to Bihar during the 6 months of Rabi 72-73 are 16437 tonnes of N. The requirement from the Pool for the October-December quarter at 50% of the above works out to 8218 tonnes of N. As against this during the 6 weeks from 1st October to 15th Novemder 5411 tonnes of N (that is 65% of the entire quarter's requirement) have already been supplied from the Pool to Bihar. It will thus be observed that the supplies from the Pool to Bihar are ahead of the schedule.

(b) Does not arise.

भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने के लिये केरल सरकार का अध्यादेश

1842. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने हेतु केरल सरकार के अध्यादेश पर कतिपय आपत्तियाँ आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने उसमें क्या परिवर्तन किये हैं तथा उन पर केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अध्यादेश जारी करने के लिये, राष्ट्रपति के अनुदेशों के लिये केरल भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 भारत सरकार के पास भेज दिया गया है। अध्यादेश जारी करने के लिये राष्ट्रपति के अनुदेश केरल सरकार को सूचित कर दिये गये थे, परन्तु अध्यादेश में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था।

(ख) (i) यह सुझाव दिया गया था कि अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि खण्ड 15 (प्रस्तावित नई धारा 85 ए०), जिसके अन्तर्गत, एक सदस्यीय या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार जिसके पास 12 एकड़ से अधिक भूमि है तथा प्रत्येक अविवाहित वयस्क व्यक्ति आदि के लिये यह आवश्यक है कि वे केरल भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 के लागू होने के 45 दिनों की अवधि के अन्दर भूमि बोर्ड के समक्ष ऐसे परिवार तथा व्यक्ति के अधिकार में विद्यमान भूमि के स्थान, सीमा और अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करें। परन्तु यह सहकारी समिति या सहकारी भूमि बन्धक बैंक या केरल वित्तीय निगम या केरल औद्योगिक विकास निगम या राज्य लघु उद्योग निगम या अनुसूचित बैंक पर लागू नहीं होगा।

(ii) प्रस्तावित अध्यादेश के खण्ड 16 में मुख्य अधिनियम की धारा 86 में संशोधन करने के लिये यह सुझाव दिया गया था कि यह स्पष्ट कर दिया जाये कि संस्थागत वित्तीय एजेन्सियों को पुन: दी जाने वाली विहित राशि में उल्लिखित देयताएं सम्मिलित नहीं होंगी।

उपरोक्त दो सुझावों के अलावा, भारत सरकार ने राज्य सरकार के विचारार्थ बहुत से अन्य सुझाव भी दिये थे, जो कि अधिकतर संस्थागत वित्तीय एजेन्सियां और विशेषतया बैंकों

से सम्बन्धित थे। केरल सरकार द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया गया। इसके स्थान पर, राज्य विधान मण्डल ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें प्रारूप अध्यादेश के अधिकार उपबन्धों को समाहित कर लिया गया है। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है।

दिल्ली के सरकारी परिवहन निगम द्वारा दैनिक यात्रियों को उपलब्ध की गई परिवहन सेवा

1843. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के सरकारी परिवहन निगम द्वारा प्रतिदिन कुल कितने प्रतिशत दैनिक यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है तथा वर्ष 1982 तक दैनिक यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली परिवहन निगम की बसों ने अक्तूबर, 1972 में औसतन प्रतिदिन लगभग 10,89,000 यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराई। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार दिल्ली में सरकारी परिवहन निगम द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या दैनिक यात्रियों की कुल संख्या का लनभग 40 प्रतिशत बनता है। उसी अध्ययन के अनुसार दैनिक यात्रियों की कुल संख्या 1981 में लगभग 27 लाख हो जाने की सम्भावना है।

छोटी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में खाद्य कृषि संगठन के अध्यक्ष का सुझाव

1844. **श्री वी० के० दास चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्यक्ष ने कुछ छोटी सिंचाई परियोजनाओं का सुझाव दिया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस संबन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। खाद्य तथा कृषि संगठन के अक्तूबर, 1972 में आयोजित एशिया तथा सुदूरपूर्व विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन में, जिसमें कि वे उपस्थिति हुये थे, उनके द्वारा ऐसा कोई सुझाव दिया गया प्रतीत नहीं होता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मूक तथा बधिर बच्चों के लिए सुविधाएं

1845. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के 14 वर्ष की आयु से कम आयु के मूक तथा बधिर बच्चों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या उनकी शिक्षा के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने हेतु सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1967-68 में बधिरों के लिए लगभग 70 स्कूलों के रजिस्टरों पर लगभग 5382 बधिर बच्चों के नाम थे।

(ग) और (घ) वर्तमान स्कूलों का विस्तार करने और नए स्कूलों को स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। भारत सरकार अलबत्ता, अपने अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में अनुसंधान मुख्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जानकारी के लिए वितरण गृहों के रूप में कार्य करने, एक सीमित संख्या में बधिर बच्चों को शिक्षा और प्रतिक्षण केन्द्र तथा आंशिक रूप से बधिर बच्चों के स्कूल का राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकास करने का विचार रखती है।

स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये मकान

1846. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों ने सरकार से बूढ़े तथा बीमार स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये मकान बनाने का अनुरोध किया है जिससे वे अपने जीवन की शेष अवधि ठीक ढंग से व्यतीत कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार उन स्वतन्त्रता-सेनानियों के लिये जो बूढे और अपाहिज हैं और जिसकी देख भाल करने वाला कोई नहीं है, एक आवास-गृह बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना

1847. **श्री बी० आर० शुक्ल :**
श्री दशरथ देव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बेरोजगारी सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत एक परिवार, जिसके किसी भी सदस्य को रोजगार प्राप्त नहीं है, के एक सदस्य को रोजगार तथा काम दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के उक्त पहलू को क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना में यह परिकल्पना की गई है कि जहां तक सम्भव हो, परियोजनाओं में केवल उन्हीं श्रमिकों को काम में लगाया जाना चाहिए जो ऐसे परिवारों में से हैं जिनका कोई दूसरा वयस्क सदस्य रोजगार में नहीं है। यदि इस सिद्धान्त का पालन हमेशा संभव न हो, तो रोजगार के लिए व्यक्तियों का चयन करने में इस बात की संभावना पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या उन्हें दूसरा रोजगार मिल सकता है। जिस व्यक्ति को कहीं कोई रोजगार मिलने की संभावना न हो, उसे उस व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसे कहीं कोई रोजगार मिलने की संभावना हो। इसी प्रकार, दो व्यक्तियों में से जो अधिक जरूरमन्द है, उसे दूसरे के ऊपर प्राथमिकता दी जानी है। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे इस मानदण्ड के अनुसार श्रमिकों के चयन के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करें। इस योजना के अन्तर्गत काम में लगाए गए अधिकांश श्रमिकों का चयन तद्नुसार किया गया है।

1972-73 के लिए ग्रामीण रोजगार योजना

1848. **श्री दशरथ देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के लिए ग्रामीण रोजगार योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया है और प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक कितने-कितने धन का प्रयोग किया है ;

(ख) क्या योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का पूरा प्रयोग करने में त्रिपुरा सरकार असफल रही है ; और

(ग) यथि हाँ, तो क्या कमियों पर काबू पाने के लिए त्रिपुरा सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने 1972-73 में विभिन्न राज्यों। केन्द्र-शासित क्षेत्रों को कितनी-कितनी, धनराशि आवंटित की है और प्रत्येक राज्य/केद्र शासित क्षेत्र ने उनके सामने दी गई अवधि तक कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया है। [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-3820/72]

(ख) और (ग) त्रिपुरा राज्य को 1972-73 में 25.00 लाख रु० की धनराशि आबंटित की गई है, जिसमें से राज्य सरकार ने सितम्बर, 1972 के अन्त तक 11.34 लाख रु० व्यय होने की सूचना दी है। त्रिपुरा में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना अपेक्षित दिशा में संतोषजनक ढंग से चल रही है और इसलिए, कमियों पर काबू पाने का मामला त्रिपुरा सरकार के साथ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Beautification of big cities

1850. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a campaign has been launched to make some big cities of the country clean and beautiful ;

(b) the names of such cities and the amount likely to be allocated by the Centre under this programme ; and

(c) whether there is any proposal under consideration to make this programme comprehensive by including small cities under such programme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) A Central Scheme for Environmental Improvement in slum areas covering 11 cities having a population of not less than 8 lakhs has been started this year. The Scheme is intended for providing drinking water supply, sewers, storm water drains, community baths and latrines, street lighting and for widening and paving of existing lanes in slum areas.

(b) It is proposed to sanction projects upto Rs. 20 crores during the current financial year. The names of the cities at present covered by the Scheme and the allocations made for them are as follows :—

S. No.	Name of the city	Amount allocated (Rs. in crores)
1.	Calcutta Metropolitan District.	3.5
2.	Greater Bombay	2.5
3.	Delhi Urban Agglomeration	2.5
4.	Madras	2.5
5.	Hyderabad Urban Agglomeration	1.5
6.	Ahmedabad Urban Agglomeration	1.5
7.	Bangalore Urban Agglomeration	1.5
8.	Kanpur	1.5
9.	Poona Urban Agglomeration	1.0
10.	Nagpur	1.0
11.	Lucknow Urban Agglomeration	1.0
		20.00

(c) A proposal to extend the Scheme to some other capital or other important towns of those States where the Scheme is not applicable at present is under consideration.

Assistance, Facilities and grants to Vishwayatan Yogashram, New Delhi

1851. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the Ministries of Central Government together with the details of the assistance, facilities, grants, given by them to the Vishwayatan Yogashram, New Delhi ; and

(b) the names of other Yoga Centres which have been given or are proposed to be given similar assistance etc. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Grants were given to the Vishwayatan Yogashram during the three years 1969-70 to 1971-72 as under :—

Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education)

1969-70	Rs. 83.755
1970-71	Rs. 1,44,479
1971-72	Rs. 96,490

These grants were for research and teacher training in Yoga.

Ministry of Health & Family Planning (Department of Health)

1969-70	Rs. 30,000
1970-71	Rs. 1,89.875
1971-72	Rs. 3,41,727

These grants were for studies on therapeutic effects of Yoga on specified ailments.

The Ministry of Works and Housing made the following allotment of land to the Vishwayatan Yogashram :—

0.6 acre of land in Srinivaspuri was allotted in October, 1962 @ Rs. 5,000/- per acre as premium *plus* an annual ground rent @ 5% thereof. The possession of the site was made over on 14.11. 1967 but was taken back on 17.10. 1969 when the allotment was cancelled.

In August, 1969, a plot of land measuring 1.866 acres was allotted in the area near Gole Post Office, New Delhi. An additional area measuring 0.217 acre was allotted in September, 1970. The premium for this entire plot, measuring 2.083 acres (*i.e.* 1.866+ 0.217) was charged at the following rates :—

(i) 1.393 acres, allotted for the conrtruction of office, library, class rooms, and yogic therapeutic research laboratory, at Rs. 5,0C0/- per acre as premium *plus* 5% annual ground rent thereon from the date of handing over the site to it.

(ii) The remaining portion of the land, measuring about 0.690 acre allotted for bonafide residential purposes at Rs. 1,00,000/- per acre as premium *plus* Rs. 1,800/- per acre as annual ground rent.

The land is meant for construction of office, library, class rooms and Yogic therapeutic research laboratory and for bonafide residential purposes.

(b) The names of other Yoga Institutions who have received assistance from the Central Government are :—

1. The Kaivalyadhama S. M. Y. M. Samiti, Lonavla.
2. Patanjali Yoga Research Institute, Hyderabad.
3. Ishwardas Chunilal Yogic Health Centre, Bombay.
4. Yogic Treatment-Cum-Research Centre, Jaipur.
5. Delhi Yoga Sabha, Yoga Divine Temple, New Delhi.
6. Yoga Sadhanashram, Ahmedabad.
7. Yoga Prasar Samiti, New Delhi.

Upliftment of Adivasis of Madhya Pradesh

1852. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether any planned programme has been taken up by the Central Government for the upliftment of Adivasis in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the outlines of the programme and the amount sanctioned for the purpose during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) Yes, Sir. The programmes taken up for the upliftment of the Scheduled Tribes in Madhya Pradesh form part of the Backward Classes Sector of the Fourth Five Year Plan. The schemes taken up under this Sector and the amount sanctioned for them during the current year are indicated below :—

		Outlays for 1972-73 (Rs. in lakhs)
Central Sector Schemes :		
Post-Matric Scholarships		6.80
Girls Hostels		2.00
T. D. Blocks		150.00
Co-operation		8.00
Research & Training		0.55
	Total :	167.35
State Sector Schemes :		
Education		221.80
Economic Development		33.90
Health, Housing and other schemes		15.30
	Total :	271.00

Apart from the above schemes, two Tribal Development Projects have been sanctioned in Madhya Pradesh for the Economic Development of the Scheduled Tribes. These two projects are located at Dantewada and Konta tehsils of Bastar District.

The projects are being implemented through a society registered under the Societies Registration Act, 1860 called the Tribal Development Agency, with the District Collector

as the Chairman and other connected district level Officers, Members of Parliament, and M.L. As as members.

Each Project has an outlay of Rs. 1.50 crores for the core programme of economic development of tribals and Rs. 0.50 crore for communications to open up the tribal belts during the IV-Plan period. The core programmes of economic development, generally relate to Tribal Agriculture, Debt Redemption, Land Restoration, Land Record and Survey, Land Reclamation, Land Development, Soil Conservation me asures, Control of Shifting Cultivation, Minor Irrigation, Horticulture, Development of Animal Husbandry, *e.g.* Piggery, Poultry, Fisheries and Cattle Development and encouragement of Forest based Industries. The Agency will generally subsidise 50% to 75% of the requirements on each programme and the balance 25% to 50% is to be met by the tribal beneficiaries from other resources including credit. The cost on communications is to be borne cent per cent by the Agency.

Administrative approval to the extent of Rs. 19 lakhs and Rs. 20 lakhs during 1972-73 has been issued to Tribal Development Agency, Bastar District for Dantewada and Konta Projects respectively. Rs. 5.00 lakhs to each of the 2 projects have been released during 1971-72 and another sum of Rs. 5.00 lakhs for each of the 2 projects have been released during 1972-73 so far.

वेस्ट कोस्ट रोड को राष्ट्रीय राजपथ बनाना

1833. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट कोस्ट रोड को राष्ट्रीय राजपथ के स्तर की सड़क बनाने के लिए आवश्यक योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्राक्कलनों का विवरण क्या है तथा इस पर कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ; और

(ग) क्या उक्त सड़क पर बने विभिन्न पुलों को चौड़ा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) वेस्ट कोस्ट रोड महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल के राज्यों तथा गोवा के संघीय राज्य क्षेत्र से होकर महाराष्ट्र में पनवेल से केरल में चालीसेरी तक जाती है । इसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग (सं० 17) घोषित किया गया है । वेस्ट कोस्ट रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से पूर्व इसे अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़क माना गया था और केन्द्रीय सरकार की लागत पर इसका इकहरी गली वाली पूरे तौर से पुलों से युक्तडामर राजमार्ग के रूप में विकास किया जा रहा था । इसे सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के लिए विकास करने के प्रयोजन से सम्बन्धित राज्य सरकारों को सूची सर्वेक्षण करने तथा इस सड़क में त्रुटियां, यदि कोई हों तो, निकालने के लिए कहा गया है । सभी राज्यों से सूची सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी जांच की जायेगी और राज्य सरकारों से कहा जायेगा कि वे सड़क (जिसमें पुल भी शामिल है) विकास के लिए ऐसे आवश्यक प्रस्ताव तैयार करें जोकि उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य हों ।

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन का निरीक्षण

1854. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क-सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश किस सीमा तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) सड़क सुरक्षा अध्ययन दल की शिफारिशें, राज्य सरकारों, संघ प्रशासनों और अन्य सम्बद्धों के परामर्श से परीक्षणाधीन हैं ।

म्यूनिख के ओलिम्पिक स्टेडियम में मारे गये इज़रायलियों के लिये आयोजित मेमोरियल सर्विस का बहिष्कार

1856. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूनिख के ओलिम्पिक स्टेडियम में मारे गए इजरालियों के लिये आयोजित मेमोरियल सर्विस का भारतीय खिलाड़ियों ने बहिष्कार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, नहीं । मेमोरियल सर्विस में श्री राम निवास मिर्धा, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार का सरकारी शिष्टमण्डल भारतीय दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कुछ सदस्य उपस्थित हुये थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पीकिंग जाने वाला टेबिल टेनिस दल

1857. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने पीकिंग में एशियाई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारत को टेबिल टेनिस का एक दल भेजने के लिए निमंत्रित किया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या निर्णय किया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) भारत के टेबिल टेनिस संघ को पेकिंग में सितम्बर, 1972 में हुई खेल-प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ था, परन्तु संघ ने टीम नहीं भेजी। तथापि, भारत के टेबिल टेनिस संघ की ओर से एक प्रतिनिधि इस अवसर पर पेकिंग गया और कांग्रेस की टेबिल टेनिस की बैठक में भी उसने भाग लिया। सामान्य नियमों के अनुसार भारत सरकार ने आवश्यक वित्तीय सहायता दी।

देश में अपंग व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

1858. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अपंग व्यक्तियों की संख्या के बारे में हाल में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) क्या उनकी संख्या को देखते हुए उनके लिए व्यावसायिक केन्द्र अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो और अधिक ऐसे केन्द्र खोलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस सम्बन्ध में एक मूल्यांकन करने के लिए ठीक ठीक आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित किए जाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। अलबत्ता, भारत सरकार अनुसंधान, विशेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, जानकारी के लिए वितरण गृह होने तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास को साधारणतया बढ़ावा देने के लिए विकलांग व्यक्तियों के प्रत्येक प्रमुख वर्ग के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्तावों की जाँच कर रही है।

Legislation on Statues of great Personalities in the country

1859. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether statues of great personalities are set up in different places in the country to immortalise their memories ;

(b) if so, whether there is any Central legislation in this regard ;

(c) whether Government are aware that proper attention is not given for keeping neat and clean the statues o^ great figures set up throughout the country which undermines the dignity of the country ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) to (d) The erection of statues and their subsequent upkeep and maintenance is the responsibility of the sponsors and the local bodies concerned. There is no Central Legislation for regulating the erection and maintenance of statu es in the various States.

सूखाग्रस्त राज्यों को दी गई सहायता का उपयोग

1860. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**

श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूखाग्रस्त राज्यों को दी गई दीर्घकालिक सहायता की राशि क्या है ; और

(ख) राज्यों द्वारा राज्यवार, कितनी सहायता का उपयोग किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1970-71 में शुरू किये गये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य 13 राज्यों में निरन्तर रूप से सूखाग्रस्त रहने वाले 54 चुने हुये जिलों को सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यम लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वनारोपण तथा सड़कें आदि उत्पादनशील योजनायें स्वीकृत की गई हैं। 1970-71 से 1973-74 तक 4 वर्षों की अवधि के लिये प्रत्येक चुनींदा जिले के लिये लगभग 2 करोड़ रु० का नियतन किया जाएगा। अब तक राज्यों को 46.57 करोड़ रु० की कुल राशि दी जा चुकी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु० करोड़ों में)

राज्य	व्यय हुई राशि			कुल
	1970-71	1971-72	1972-73	
1. आन्ध्र प्रदेश	1.87	3.48	0.86 (अगस्त) तक	6.21
2. बिहार	—	0.26	0.22 (सितम्बर) तक	0.48
3. गुजरात	0.43	2.40	0.95 (जुलाई) तक	3.78
4. हरियाणा	—	1.84	0.51 (सितम्बर) तक	2.35
5. जम्मू व कश्मीर	—	0.13	0.03 (जून) तक	0.16
6. मध्य प्रदेश	0.04	0.76	0.55 (अगस्त) तक	1.35
7. महाराष्ट्र	0.89	3.86	0.68 (जून) तक	5.43
8. मैसूर	1.13	3.77	0.72 (मई) तक	5.62
9. उड़ीसा	0.19	0.98	0.03 (जून) तक	1.20
10. राजस्थान	0.87	3.94	1.08 (जुलाई) तक	5.89
11. तामिलनाडु	1.02	1.02	0.28 (अगस्त) तक	2.32
12 उत्तर प्रदेश	0.24	1.36	0.40 (अगस्त) तक	2.00
13. पश्चिम बंगाल	0.08	0.29	0.26 (जून) तक	0.63
कुल	6.76	24.09	6.57	37.42

(केन्द्र द्वारा दी जाने वाली राशि 2 करोड़ रु० तक सीमित रहेगी)

नई दिल्ली स्थित विश्वायतन योगाश्रम को वित्तीय सहायता

1861. **श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1972 के मदर लैंड में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार के तीन मन्त्रालयों ने नई दिल्ली में गोल मार्केट के निकट स्थित विश्वायतन योगाश्रम को विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा नाम मात्र की किस्त और वार्षिक ब्याज पर ऋण देने के अतिरिक्त लगभग नौ लाख रुपये दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इतनी बड़ी राशि योगाश्रम को किस उद्देश्य से दी है और मदरलैंड में प्रकाशित इस समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की तरफ दिलाया गया है ।

(ख) शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा दिये गये अनुदानों का उद्देश्य है—"योग में अनुसंधान, योग के कार्यकलापों की उन्नति तथा योग के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए ।"

स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा दिये गए अनुदेशों का उद्देश्य यह है :

"मधुमेह, दमा, गठिया तथा अजीर्ण पर अध्ययन के लिए ।"

निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा दी गई सहायता का उद्देश्य है—"कार्यालय, पुस्तकालय, कक्षाओं के कमरे और योग चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशालाओ तथा प्रामाणिक आवासीय निर्माण के लिए ।"

रिपोर्ट में दिए गए आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते ।

Production of Polio Vaccine in India

1862. **Dr. Laxminarain Pandeya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether polio vaccine is now being prepared in India ;

(b) the quantity together with the value of the vaccine which India has so far been importing from Russia and Yugoslavia ; and

(c) the name of the Indian drug manufacturing company which has prepared the said vaccine ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes.

(b) The following quantities of vaccine were imported :

1. **Russia**

Year	quantity	C. I. F. value inRupees
1969	6,69,350 doses	91,609
1970	7,94,000 doses	1,05,602
1971	33,20,000 doses	4,41,560
1972	22,56,000 doses	3,00,048

2. **Yugoslavia**

(a) **Preparations in final doses**

1969	60,000 doses	9,450
1970	80,000 doses	12,600
1971	6,62,800 doses	1,12,517
1972	2,00,000 doses	41,000

(b) **In bulk**

1969	1.1 million doses	99,000
1970	1.5 million doses	1,35,000
1971	2.25 million doses	2,02.500
1972 (uptodate)	4.496 million doses	4,69,620

(c) Pasteur Institute, Coonoor (Nilgiris)

गणेश फ्लोर मिल्स को अपने हाथ में लेने के लिए दिल्ली महानगर परिषद में पारित संकल्प

1863 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 अक्तूबर, 1972 के समाचार पत्र 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स, में प्रकाशित समाचार देखा है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली महानगर परिषद ने गणेश फ्लोर मिल्स को, जो गत दो वर्षों से बन्द है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच मामले पर विचार कर लिया है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह मामला पहले भी भारत सरकार के विचाराधीन रहा था । सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 ए ए के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रबन्ध 3 नवम्बर, 1972 से सम्भाला था ।

कृषकों को दिए गए सहकारी ऋणों की वसूली के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेशकश

1864. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को यह निर्देश देने की पेशकश की है कि कृषकों को दिए गए सहकारी ऋणों की वसूली इस वर्ष स्थापित की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दालों की कमी को दूर करने के लिए उसका आयात

1865. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री हरि प्रसाद शर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उनका आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन दालों के नाम क्या हैं और कितनी मात्रा में तथा किन देशों से उनका आयात किया जायेगा तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). दालों के आयात, जिस देश से आयात करना है, आदि से संबंधित मामले विचाराधीन हैं।

गुलबर्ग में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मंजूरी

1866. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने गुलबर्ग में एक कृषि विश्वविद्यालय की मन्जूरी देने तथा वहां पर एक कृषि कालेज खोलने के लिये केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन पेश किया है ; और

(ख) यदि हां तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मालरकोटला में सितम्बर, 1972 के दौरान आयोजित पंजाब वक्फ सम्मेलन में पारित संकल्प

1867. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालरकोटला में 9 सितम्बर, 1972 के दौरान आयोजित पंजाब वक्फ सम्मेलन में पारित संकल्पों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पारित किये गये संकल्पों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) पास किये गये संकल्पों की मुख्य-मुख्य बातें अनुबन्ध में दे दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०-3821/72]

(ग) भारत सरकार ऐसे संकल्पों की ओर ध्यान दे रही है जो केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और जो वक्फ अधिनियम, 1954 और सम्बन्धित अधिनियमों से सम्बन्धित हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश

(क) विधेयक का पुनः प्रस्तुत किया जाना

1868. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में इस अधिवेशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (क) विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विधेयक को फिर से प्रस्तुत किये जाने के प्रश्न पर सक्रीय विचार किया जा रहा है।

(ख) इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है क्योंकि अनेक विवाद पूर्ण बातें हल की जानी है।

कुछ राज्यों में पेय जल की कमी

1869. **श्री डी० डी० देसाई** :
श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कच्छ और मध्य प्रदेश में पेय जल की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) और (ख) तथ्यपरक सूचना सम्बन्धित राज्यों से मंगाई गई है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

देश में उर्वरक अकाल

1870. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, उर्वरक-अकाल है, जैसा कि हाल ही में देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में वर्ष वार कितना उर्वरक आयात किया गया और कितने उर्वरक का देश में उत्पादन हुआ ; और

(ङ) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) देश में उर्वरकों का कोई अकाल नहीं है। तथापि, वर्ष 1972-73 की रबी की फसल की मांग की तुलना में उर्वरकों की उपलब्धि कुछ सीमित हैं।

(ग) उपलब्धि में होने वाली इस कमी का कारण देश में उर्वरकों का उत्पादन अनुमान से कम होना और इस समय विश्व में उर्वरकों की सामान्य कमी के परिणामस्वरूप उर्वरकों के आयात में होने वाली कठिनाइयाँ हैं।

(घ) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान वनस्पति के पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की सप्लाई, आयात और देशीय उत्पादन की स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख मीटरी टनों में)

वर्ष	आयात			उत्पादन			उत्पादन और आयात		
	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के
1969-70	6.67	0.94	1.20	7.16	2.22	—	13.83	3.16	1.20
1970-71	4.77	0.32	1.20	8.30	2.30	—	13.07	2.62	1.20
1971-72	4.81	2.48	2.68	9 52	2.78	—	14.33	5.26	2.68

(ङ) निकट भविष्य में मांग को पूरी करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. देशी विनिर्माताओं के पास उपलब्ध क्षमता का और अधिक उपयोग।

2. मांग और उपलब्धि के बीच का अन्तर पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आयात करने की व्यवस्था करना ;

3. निम्नलिखित उपाय अपनाकर उर्वरकों के वितरण में सुधार लाना :—

(1) अत्यावश्यक जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे आदेश जारी करना जिसके अनुसार देशी विनिर्माताओं को प्रत्येक फसल मौसम से पूर्व होने वाले क्षेत्रीय सम्मेलन में उर्वरक की जितनी मात्रा के लिये उन्होंने वायदा किया है उतनी मात्रा राज्य को सप्लाई करने के लिये कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सके।

(2) उर्वरकों के परिवहन की कठिनाइयों को दूर करने के लिये समस्त विनिर्माताओं के लिये विपणन क्षेत्र निर्धारित कर दिये गये हैं और उन्हें अपने-अपने विपणन क्षेत्र में ही उर्वरक बेचने की अनुमति दी गई है। इससे व्यर्थ में उर्वरक इधर-उधर न ले जाने पड़ेंगे और आशा है कि लाने ले जाने में विलम्ब कम होने से उर्वरक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगे।

फिर भी, इस सम्बन्ध में सरकार का दीर्घकालिक उद्देश्य इसमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मौजूदा एककों का यथासम्भव विस्तार करके और नये उर्वरक कारखाने स्थापित करके और क्षमता बढ़ाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

Share of Bihar in Fertiliser produced at Sindri Bihar

1871. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the fertiliser produced in Sindri fertiliser factory is not sold in Bihar and is sent to other States ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No Sir, it is not correct to say that the fertiliser produced in Sindri is not sold in Bihar. Out of the total expected production of 30000 tonnes of N, by F. C. I. Sindri during Rabi 1972-73, nearly 50% will be sold in Bihar and the remaining quantity distributed amongst the other States.

(b) and (c). Does not arise.

राज्यों में छोटी सिंचाई योजनाओं को पूरा करना

1873. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने अपने यहां, राज्यवार, छोटी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रों से क्या माँगें की हैं;

(ख) राज्य-सरकारों को, राज्यवार, कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). देश में वर्तमान सखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लघु सिंचाई पम्पसैटों के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त योजनाएं शुरु करने के लिए राज्य सरकारों की माँगों का, सम्बन्धित राज्य अधिकारियों की सलाह से प्रत्येक राज्य के लिए कृषि मंत्रालय में नियुक्त किए गए क्षेत्र अधिकारियों ने मिलकर जायजा लिया था। इन अधिकारियों द्वारा लिए गए जायजे के आधार पर और सरकार द्वारा स्वीकृत की गई माँगों का विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०** टी०-3822/72]

(ग) केन्द्र द्वारा उनकी माँगों को शीघ्र स्वीकृति दे दिए जाने के सम्बन्ध में राज्यों ने सामान्यतः संतोष व्यक्त किया है।

Capsule laid underground at Shanti Vana, Delhi

1874. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education and the Social welfare** be pleased to state :

(a) the names of leaders whose photographs and tape recordings have been kept in the Capsule laid underground at Shanti Vana on the 27th May ;

(b) whether any scheme to place underground similar Capsules containing tape-recordings of other national leaders is under consideration of Government ; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Education, Social welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Portraits of Shri Jahwaharlal Nehru and the Prime Minister, three microgrove records on copper discs of Nehru's speech "Tryst with Destiny", excerpts from his address to UNO, and Smt. Indira Gandhi's readings from Nehru's "Discovery of India", together with three reels of optical recordings of the same material have been included in the Capsule.

(b) and (c). It is proposed to imbed two more Time Capsules, one on 30th January, 1973 on the occasion of martyrdom of Gandhiji and another on 15th August, 1973, to mark the completion of twenty-five years of Indian Independence. The precise contents of the Capsules have yet to be dicided.

भूख के कारण हुई मौतों तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा किए असंतोषजनक राहत कार्यों के बारे में त्रिपुरा विधान सभा के नेता से प्राप्त अभ्यावेदन

1875. **श्री दशरथ देब :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूख के कारण हुई मौतों और त्रिपुरा सरकार द्वारा किए गए असंतोषजनक राहत कार्यों के बारे में त्रिपुरा विधान सभा के नेता से सितम्बर, 1972 में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो शिकायत क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) त्रिपुरा के अभावग्रस्त लोगों की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य विधान सभा के विरोधी दल के नेता से इस संबन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ था। यह पत्र राज्य सरकार को भेजा गया था। उन्होंने यह सूचना दी है कि भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी सूचना दी है कि आवश्यक राहत उपाय किए गए हैं। जो राहत उपाय शुरू किए गए हैं उन में लोगों को रोजगार देने के लिए दोनों राहत तथा योजना स्कीमों के अन्तर्गत कार्य शुरू करना, नलकूप लगाना और रिंग कुओं का निर्माण करना, राज्य में उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछाना और चावल के राशन की मात्रा में बृद्धि करना, कृषि ऋणों का वितरण, भू-राजस्व और ऋण वसूली आदि माफ/स्थगित करना शामिल हैं। एक केन्द्रीय दल ने अगस्त, 1972 में राज्य का दौरा किया था। उनकी सिफारिश पर राहत उपायों के 88 लाख रुपये की सीमा अपनाई गई है। 25 लाख रुपये की तदर्थ सहायता दी गई है। आपातिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन 0.229 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 17 लाख रुपये दिए गए थे। इसके अलावा, कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में 20 लाख रुपये दिए गए हैं।

दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार और को-आप्स की जांच

1876. **श्री अरविंद नेताम :**
श्री एम० एस० जोजफ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार और को-आप्स के कर्मचारियों से सहकारी भंडारों के प्रबन्ध की जांच करने के लिए कोई मांग सरकार को प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। इस संबन्ध में दिल्ली प्रशासन के सहकारी समितियों के पंजीयक को एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी।

(ख) चूंकि दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार और उसकी शाखाओं के कार्यकरण के बारे में पहले ही एक विस्तृत जाँच की जा चुकी है, अतः दिल्ली प्रशासन द्वारा एक और जाँच करवानी आवश्यक नहीं समझी गयी।

Employment provided in the construction of roads in Champaran district of Bihar under crash progarmme for rural Employment

1877. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the mileage of roads constructed and to be constructed and the number of persons provided with employment by R. E. O. in Champaran District out of the sanctioned budget of Rs. 50 crores earmarked for providing employment to unemployed youth in the country ; and

(b) whether Government propose to constitute a Committee consisting of local Members of Parliament and Members of Legislative Assembly for control and supervision of such organisations in each district ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) 163.2 K. Ms. of roads have been taken up for metalling and 176.0 K. Ms. for improvement of kucha roads in Champaran district. 126 K. Ms. have been made pucca, while on rest of the roads earthwork has been done upto 90% and the collection of metal is in progress. The work on kucha roads has also been started. Employment generated upto the end of October, 1972 is 4.51 lakh mandays.

(b) District level committees consisting of the District Magistrate as the Chairman, two Members of the Legislative Assembly nominated by the District Development Committee, District Development Officer, and the Executive Engineer, Rural Engineering organisation, as the Member Secretary have been constituted in every district.

राजधानी में पेय जल की बिक्री

1878. **श्री राजदेव सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के विभिन्न भागों में पेय जल की बिक्री का प्रश्न सरकार के ध्यान में आया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को रोकने के लिऐ क्या कार्यवाही करने का विचार है जो कि देश की परम्परा के विरुद्ध है ; और

(ग) ग्रीष्म ऋतु में पेय जल की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं में बैठने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

1879. **श्री भागीरथ भंवर**: क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य ऐसी प्रतियोगी परिक्षाओं में बैठने के लिए कितने शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं और वे कहां स्थापित हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में एक शिक्षण केंद्र आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा केन्द्र कब से आरम्भ हो जाएगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री(श्री डी०पी०यादव):

(क) भारत सरकार की सहायता से इस प्रकार के 15 केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इस प्रकार के केन्द्रों के नाम तथा उनके स्थानों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-38231/72]

(ख) और (ग) संलग्न विवरण-पत्र से यह देखा जायेगा कि दिल्ली में पहले ही एक केंद्र है। यह केन्द्र केन्द्रीय सरकार के लिपिक संवर्गों, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक सेवाओं आदि के लिए अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित करता है। आई० ए० एस० परीक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

Visit of Prime Minister to drought affected areas of Bihar

1880. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister visited the drought affected areas of Bihar on 19th September, 1972 ;

(b) whether she had admitted that near famine conditions were prevailing in Bihar on account of drought ; and

(c) if so, the reasons for not declaring Bihar a drought affected area ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annashahib P. Shinde) :

(a) The Prime Minister visited some of the drought affected areas of Bihar on the 19th September, 1972.

(b) The Prime Minister had found the drought situation to be serious but Bihar was not the only victim.

(c) The State Government has been and is undertaking necessary and adequate relief measures in the drought affected areas of the State.

दिल्ली में उपद्रवों के कारण हेतु दिल्ली परिवहन निगम को हुई हानि

1881. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहदरा में हुए उपद्रव तथा एक हरिजन लड़की की मृत्यु के कारण हुए आन्दोलन के कारण दिल्ली परिवहन निगम को कुल कितनी हानि हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवर्तन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली परिवहन निगम को इन दुर्घटनाओं के दौरान लगभग 5 लाख रुपये की हानि हुई, जिसमें 20 बसों को क्षति पहुँचाई गई और 8 जलाई गई।

चावल मिल समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना

1882. **श्री चिरंजीव झा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चावल मिल

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी क्रियान्विति में क्या रुकावटें हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : 1968 में खाद्य एवं पौषाहार बोर्ड द्वारा चावल मिलिंग और उससे सम्बद्ध समस्याओं के बारे में नियुक्त की गई समिति के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3824 / 72]

समिति की विभिन्न सिफारिशों और निष्कर्षों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल

1883. **श्री वरके जार्ज** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कितने सरकारी तथा अर्ध-सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं और ऐसे देशों के नाम क्या है ; और

(ख) इन प्रतिनिधि मंडलों का उपरोक्त देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 5 शिष्टमंडल भेजे गए थे । उन में से, दो शिष्टमण्डल इन्डोनशिया भेजे गए थे, जिनमें से एक ने वर्मा का भी दौरा किया । थाइलैंड फिलिपाइन्स तथा श्री लंका को एक-एक शिष्टमण्डल भेजा गया था ।

(ख) इन दौरों से विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा को उसके सही रूप में पेश करने में मदद मिली है । शिष्टमण्डलों ने आपसी सद्भावना तथा मेल मिलाप को बढ़ावा दिया तथा प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में सूचना, ज्ञान तथा जानकारी के विनिमय में योगदान दिया ।

देश में चीता संरक्षण सम्बन्धी परियोजना

1884. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीतों की घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए कि कोई चीता-संरक्षण योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन परियोजना में देश भर में चीतों की रक्षा करने और भारत में चीतों के लिए 8 प्राकृतिक सुरक्षित स्थलों के विकास की व्यवस्था है । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चीतों को इतनी संख्या में जीवित रखा जा सके कि उसमें आगे विकास की क्षमता हो ।

वर्ष 1973-74 से लेकर पांचवीं योजना के अन्त तक के छः वर्षों में इस परियोजना पर 5 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । आशा है कि यह परियोजना 1 अप्रैल, 1973 से शुरू हो जायेगी । 'चीतों सम्बन्धी परियोजना' नामक रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

सहकारी बैंकों से छोटे कृषकों को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दर में वृद्धि का प्रभाव

1885. **श्री पम्पन गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों से कृषकों की दशा में सुधार करने में कृषकों को मदद मिली है जबकि बढ़ते हुए ब्याज दर के कारण अन्तत: कृषक इन ऋणों को नहीं लेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ब्याज दरों को घटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि छोटे कृषकों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सहकारी सोसायटियों द्वारा दिए गए ऋणों से किसानों को उनकी भूमि की उत्पादिता और रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार लाने में निश्चित रूप से मदद मिली है । सहकारी सोसायटियों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज कई तथ्यों पर निर्भर करता है जैसे बैंक दर, सहकारी सोसायटियों द्वारा जुटायी गई जमा राशियों पर उनके द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर, बढ़ते हुए परिचालन तथा प्रबन्धकीय व्यय आदि और वह आम तौर पर वाणिज्य बैंकों जैसे अन्य संस्थागत अभिकरणों द्वारा ली जाने वाली दर से कम होती है । सहकारी सोसायटियों के पास उपलब्ध उधार दी जा सकने वाली वसूलियों से ऋण की मांग काफी अधिक होती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Fate of persons on board the ship "Damodar Mandovi"

1886. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Narain Chand Parashar :

Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the number of sailors and other persons on board the ship Damodar Mandovi ; and

(b) the number of persons out of them who have been rescued and the number of those who are missing and the efforts being made to search out the missing persons and the results thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur):

(a) 37.

(b) Number of persons rescued — 6
Number of persons missing — 31

Soon after the receipt of information from the owners on 31. 7. 1972, the Mercantile Marine Department transmitted a message to all ships at sea requesting them to keep a sharp look-out for the missing ship and render all possible assistance to the ship and personnel on board. This message was continued in various forms till 7th August 1972. On 1. 8. 1972, the Surveyor-in-charge, Mercantile Marine Department, Jamnagar was alerted and through him, all the Port Officers in the Saurashtra area were also alerted. Simultaneously, the I.A.F. was requested to launch air/sea search and rescue operation. This was continued from the 1st August, till the 7th August. The Principal Officer, Mercantile Marine Department was in continuous contact with the I.A.F., Indian Navy, the Port Organisation on the Saurashtra-Kutch Coast and the Mercantile Marine Department, Karachi. Unfortunately. the search did not yield any results.

Protection and Promotion of Leopards and Panthers

1887. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the scheme formulated for the protection and promotion of leopards and panthers in order to choek their decreasing number in the country ; and

(b) the main features of the comprehensives cheme in regard to sancturaries for these animals in future ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof, Sher Singh) : (a) There is no special scheme for protection and promotion of leopards and panthers in the country. There are over 130 National Parks and Sancturaries in the country. The Leopards and Panthers receive protection in those were they exist.

(b) Does not arise.

Super Bazars in Delhi

1888. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Super Bazars functioning in Delhi ;

(b) the names of the Super Bazars which are continuously running in loss for the last three years indicating the amount of loss suffered annually by each separately ; and

(c) the steps taken and proposed to be taken by Government to make good this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) The Cooperative Store Ltd.. New Delhi, has set up one Super Bazar at Connaught Circus and seven other branches in New Delhi.

(b) The Cooperative Store Ltd. has adopted centralised accounts and only one balance-sheet is prepared for the Super Bazar and all its branches. The total losses

incurred during the past three cooperative years, for which audited balance sheers are available, are as follows :—

1968-69	Rs. 19.41 lakhs
1969-70	Rs. 18.57 lakhs
1970-71	Rs. 16.88 lakhs

(The accounts for the cooperative year 1971-72 have not yet been audited.)

(c) The steps taken by the Cooperative Store Ltd., New Delhi, to run the Super Bazar profitably include: economy in operational expenses, rationalisation of stock-level, prevention of leakages, streamlining of administrative and accounting procedures, standardisation of inventories and purchase policies, increasing of non-trading income and adoption of sales promotion measures.

फसल बीमा योजना सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

1889. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :**
श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फसल बीमा योजना के बारे में डा० धर्म नारायण समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं ; और

(ग) उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुची कि देश में मौजूदा परिस्थितियों में फसल बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा । तथापि इस समिति ने गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में कपास की संकर-4 किस्म के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा तैयार की हुई ऐच्छिक फसल बीमा सम्बन्धी नमूने की योजना की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सुझाव दिया है कि इस प्रयोग के परिणामों पर कुछ समय तक ध्यान रखा जाये ।

(ग) सरकार ने जनरल इंशोरेंस कारपोरेशन के स्थापित होते ही उससे यह अनुरोध करने का निर्णय किया है कि वह गुजरात में कपास की संकर-4 किस्म के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना के आधार पर चुनींदा जिलों में चुनी हुई फसलों के लिये प्रयोगात्मक रूप से फसल बीमा की एक मार्गदर्शी योजना चालू करे ।

केरल में कन्नूर मोपला खाड़ी मत्स्यग्रहण पत्तन के कार्य में प्रगति

1890. **रामचन्द्रन कडनापल्लि :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को पता है कि मंत्रालय से कुछ अतिरिक्त का कीर्य मंजूरी न

मिलने के कारण केरल में कन्नूर स्थित मोपला खाड़ी मत्स्य ग्रहण पत्तन का कार्य एक वर्ष से रुका पड़ा है ; और

(ख) योजना की प्रगति को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972 के दौरान कृत्रिम बन्दरगाह के फोर्ट कार्नर पर बांधों के निर्माण का कार्य चालू था। मूल रूप में 1000 फुट की प्रस्तावित लम्बाई में से 800 फुट लम्बाई का काम पूरा करने के बाद मई, 1969 में मोपला खाड़ी में बांध का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। खाड़ी में तेजी से गाद-मिट्टी इकट्ठी होती दिखाई दी जिसके कारण बन्दरगाह के डिजाइन के सम्बन्ध में पुनरीक्षण करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः कृत्रिम बन्दरगाह पर आगे कार्य रोक दिया गया। गाद जमने की समस्या को हल करने के लिये प्रस्तावित उपायों में से एक उपाय बन्दरगाह के फोर्ट कार्नर पर बांधों का निर्माण करना शामिल था। लगभग 5.10 लाख रुपये की लागत के इस कार्य के लिये मई, 1971 में मंजूरी दी गई थी। बांधों के निर्माण का कार्य वर्ष 1971 के अन्त में शुरू किया गया था और हाल ही में पूरा किया गया है।

कार्य के अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन अतिरिक्त मदों की योजनाओं के तकनीकी दृष्टि से पास कराने के लिए परिवाहन मंत्रालय को भेजा गया है। जून, 1972 में केरल सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह परिवहन मंत्रालय द्वारा मागे गये कुछ स्पष्टीकरण भेजे ताकि प्रस्ताओं की जांच पड़ताल की जा सके। केरल सरकार ने 27-10-72 को कृषि मंत्रालय को सूचित किया था कि अपेक्षित जानकारी शीघ्र ही भेज दी जायेगी। राज्य सरकार से मांगे गये स्पष्टीकरण प्राप्त होने और परिवाहन मंत्रालय से तकनीकी दृष्टि से योजना मंजूर होने के बाद ही इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने के विषय में कार्यवाही की जायेगी।

उद्योगों द्वारा अपने मजदूरों के लिए मकानों की व्यवस्था

1892. **देकारिया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने मजदूरों के लिए मकान बनाने के बारे में उद्योगों पर दबाव डालने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किस प्रकार के उद्योग आयेंगे ; और

(ग) क्या सरकार भी इस कार्य के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा 1952 में आरम्भ की गई औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना का उद्देश्य

फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 2 (1) के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक मजदूरों को तथा कोयला, अभ्रक तथा कच्चे-कोयले की खानों को छोड़कर माईन्ज एक्ट, 1952 की धारा 2 (एच) के अन्तर्गत आने वाली खानों में नियोजित व्यक्तियों को स्कीम के उपबन्धों के अनुसार रिहायशी मकान देना है। उद्योगपति भी, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने पात्र मजदूरों के मकानों के निर्माण हेतु सरकार से वित्तीय सहायता के लिये पात्र हैं। उनको वित्तीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं; जो वास्तव में योजना का कार्यान्वयन कर रही है तथा यह आवास परियोजना की अनुमोदित लागत के 75% तक (50% ऋण तथा 25% सहायता के रूप में) सीमित है। लागत का शेष 25% मालिकों को अपने साधनों से जुटाना पड़ता है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के सदस्यों का गुजरात का दौरा

1893. **श्री वेकारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग के सदस्यों ने गुजरात का दौरा किया था और गुजरात राज्य के पिछड़े जिलों और अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग के कुछ सदस्यों ने गुजरात का दौरा किया और वहां पर पिछड़े और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं का भी अध्ययन किया। उनमें से कुछ सदस्यों ने दौरे की रिपोर्टों के रूप में आयोग को अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इनमें से जो बातें आयोग के विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित होंगी, आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उन्हे ध्यान में रखेगा।

(ग) अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर राज्य को पेय जल योजना के लिए दी गई सहायता

1894. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य को पेय जल योजनाओं के लिए वर्ष 1972-73 में कुल कितनी सहायता दी गई और उस राज्य द्वारा 31 अक्तूबर, 1972 तक उस सहायता में से कितनी राशि खर्च की गई ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के कर्मचारियों की संख्या तथा सम्पर्क अधिकारी का प्रतिवेदन

1895. **श्री के० मालन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में 31 अक्तूबर, 1972 को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने हैं ;

(ख) वर्ष 1971-72 में सीधी भर्ती से प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने पद भरे गए तथा उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को नियुक्त किया गया ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सम्पर्क अधिकारी ने अपनी वार्षिक जांच का कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे लोकसभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

बल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीच्यूट, दिल्ली की मांगें

1896. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीच्यूट, दिल्ली, की मांगों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है कि उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर ही वेतनमान दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) जी हां । भारत सरकार ने पहली मई 1971 से बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय के वेतनमानों को लागू करने की बात को स्वीकार कर लिया है, बशर्ते कि इस संस्थान द्वारा विभिन्न पदों के लिए निर्धारित वर्तमान योग्यताओं के स्तर को गिराया न जाए । यह भी निश्चय किया गया है कि जिन पदों के मौजूदा वेतनमान दिल्ली विश्वविद्यालय के वेतनमानों की अपेक्षा अधिक है, ऐसे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को जब तक वे इन पदों पर काम करते हैं तब तक उन्हें मौजूदा वेतनमान वैयक्तिक वेतन के रूप में दिये जायेंगे, किन्तु नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को केवल संशोधित वेतनमान ही दिये जाये । भारत सरकार ने इस बात को भी मंजूर कर लिया है कि इस वेतनमान को अपनाने के परिणामस्वरूप संबन्धित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि पहली मई, 1972 से ही दे दी जाय ।

बल्लभभाई पटेल चैस्ट इन्स्टीच्यूट, दिल्ली के डाक्टरों को 'नान-प्रैक्टिसिंग' भत्ता

1897. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीच्यूट के डाक्टरों ने उनको 'नान प्रेक्टिसिंग' भत्ता मंजूर करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी समस्या के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख) बल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीच्यूट के डाक्टर इस समय वेतन का 25 प्रतिशत 'नान प्रैक्टिसिंग' भत्ता पा रहे हैं किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 400 रु० प्रतिमास है। 'नान प्रैक्टिसिंग' भत्ते की दरों को बढ़ाकर वेतन का 50 प्रतिशत करने के लिए 1968, 1969 और 1970 में प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इन प्रस्तावों पर भारत सरकार ने विचार तो किया था परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया और तदनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को सूचित कर दिया गया था।

कोचीन में जहाज बनाने के दूसरे कारखाने (यार्ड) के लिये एक निदेशक मण्डल के गठन और उसका चेयरमैन बनाने में विलम्ब

1898. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में जहाज बनाने के दूसरे कारखाने (यार्ड) के लिए एक निदेशक मण्डल गठित करने और उसका चेयरमैन बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इसका गठन कब तक हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) निदेशकों के नियमित बोर्ड की नियुक्ति और पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस बीच कम्पनी के ज्ञापन के अभिदाता कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड के सदस्य और कार्यवाहक समझे जायेंगे जैसाकि कम्पनी अधिनियम में व्यवस्था है।

गन्ना विकास योजना

1899. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कम हो रहे चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजन से देश में एक गन्ना विकास योजना बनाने का है ; और

(ख) इस योजना को क्रियान्वित करने में सरकार को कितना समय लगेगा और उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्ने की पैदावार बढ़ाने के बारे में उपायों का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। इस बीच वर्ष 1972-73 के लिए चीनी और गन्ना नीति के एक भाग के रूप में सरकार ने 9.4 प्रतिशत प्राप्ति वाले गन्ने का निम्नतम मूल्य 7 रुपये 37 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत प्राप्ति वाले गन्ने के लिए 8 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पूर्ण अनुपातिकता के सिद्धान्त के अनुसार इस पर 8.5 प्रतिशत मूल प्राप्ति अतिरिक्त प्राप्ति में 0.1 प्रतिशत की प्रत्येक वृद्धि के लिए 9.4 पैसे की दर से अदायगी की जायेगी। आशा है इससे चीनी उत्पादन के लिए अधिक गन्ना उपलब्ध हो सकेगा ।

भारतीय खाद्य निगम के दोषपूर्ण बाजार-संचालन के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

1900. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने संघ सरकार को सूचना दी है कि भारतीय खाद्य निगम के दोष पूर्ण बाजार-संचालन के कारण उन राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने शिकायत की है और शिकायतों की रूप रेखा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने विशेष रूप से यह लिखा था कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा बोली से बिक्री करने के कारण मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति आयी।

परिवार नियोजन के लक्ष्यों का पूरा न होना

1901. **श्री एस० एम० संजीवी राव :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य बहुत कम सीमा तक प्राप्त हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चौथी योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्य की उपलब्धि चौथी योजना के लक्ष्य से कम होने की संभावना है।

(ख) कार्यक्रम की प्रगति को तेज करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए हैं। ये संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्तम परिणामों के लिए प्रयत्न तेज करने हेतु जो विभिन्न कदम उठाये गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

2. प्रसवोत्तर कार्यक्रम तथा सघन जिला कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

3. बन्ध्यकरण और निरोध जैसे तरीकों को, जिन्हें अधिकाधिक अपनाया जा रहा है, पूर्णतया बल दिया जा रहा है।

4. प्रसूति और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम का सभी स्तरों पर विलय किया जा रहा है। बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से रोग-रक्षण और प्रतिरोधन की योजनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे परिवार नियोजन के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी।

5. एक नई प्रेरणा नीति तैयार की गई है जिसमें नए नारे शामिल किए गए हैं तथा जिसमें माता के स्वास्थ्य और बच्चे के कल्याण का दृष्टिकोण निहित है और इसका झुकाव अधिकाधिक अलग-अलग व्यक्तियों और विशेष समूहों की ओर रखा गया है।

6. सुधरी हुई गर्भरोधक तकनीक तैयार करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिसमें देश में तैयार किए गए साधन और उपकरणों का उपयोग भी शामिल है।

7. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां प्रगति धीमी रही है, परिवार नियोजन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

8. उत्तम चयन, अच्छी रीति से अनुवर्ती देखभाल तथा इन तरीकों के बारे में जनता के डर दूर करके गर्भाशयी गर्भरोधक और नसबन्दी सेवाओं में सुधार किया जा रहा है।

9. बड़े पैमाने पर बृहद् नसबन्दी शिविर आयोजित करके गहन दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा रहा है।

10. परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कर्मिकों को गहन और उत्तम प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कोरापुट के बोंडा पाराजास की पिछड़ी हुई जनजातियाँ

1902. **श्री के० प्रधानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों के साथ जिला स्तर पर और प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कोरापुट की बोंडा पराजास जनजातियों को सर्वाधिक पिछड़ा हुआ माना गया है ; और

(ग) यदि हां तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस विषय में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राज्यों के पिछड़े वर्ग कल्याण और समाज कल्याण के कार्यभारी मन्त्रियों के दिल्ली में 23 जुलाई, 1972 को हुए सम्मेलन में सर्वसंम्पत्ति से यह विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि आदिम जातियों के उत्थान का कौशल अन्य बातों के साथ-साथ सबसे अधिक पिछड़ी और उपेक्षित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष योजनाऐं बनाने और वर्तमान योजनाओं का संशोधन करने पर आधारित होना चाहिए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का कौशल पिछड़ी आदिम जातियों के लिए विशेष योजनाएं बनाने पर विचार करना है।

(ख) तथा (ग) ढेबर आयोग, शिलु आओ अध्ययन दल तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने बोन्डा पराजास का वर्गीकरण एक पिछड़ी आदिम जाति के रूप में किया है। भारत सरकार ने पिछड़ी आदिम जातियों के लिए कोई विशिष्ट योजना अभी तक नहीं बनाई है। इस समय वे सामान्य आदिम जाति विकास खण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों की सेवाएं राज्यों को सौंपना

1903. **श्री झारखण्डे राय** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों की सेवाएं राज्यों को सौंपने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के लिए राज्य सरकारों ने स्थानान्तरण की क्या शर्तें रखी हैं और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित राज्यों ने, उनके सामने दी गई तारीखों से अनुदेशकों का

प्रशासकीय नियंत्रण उनके राज्य वेतन मानों में खपाने तक अपने हाथ में ले लिया है :—

आन्ध्र प्रदेश	1-9-1972
बिहार	1-7-1972
गुजरात	1-9-1972
हरियाणा	1-10-1972
महाराष्ट्र	1-8-1972
मेघालय	1-10-1972
उड़ीसा	1-10-1972
उत्तर प्रदेश	1-10-1972

पंजाब और राजस्थान ने प्रशासकीय नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है, किन्तु उसकी वास्तविक तारीख के बारे में औपचारिक रूप से सूचना प्राप्त नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार 1-12-72 से प्रशासकीय नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए राजी हो गई है।

चन्डीगढ़, दिल्ली और गोआ प्रशासनों ने अर्हता प्राप्त तथा स्वीकार्य अनुदेशकों को इन प्रशासनों में लागू वेतन मानों से बहुत ज्यादा वेतनों पर क्रमश 1-10-72, 1-11-72 और 1-7-72 से खपाने का निर्णय किया है। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा से अनुदेशकों के वास्तविक रूप से खपाने अपने हाथ में लेने से सम्बन्धित आदेशों की प्रतीक्षा है।

मैसूर सरकार का इन अनुदेशकों को मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा समायाचिका पर निर्णय दिए जाने के बाद खपाने का विचार है। यह समायाचिका कुछ अनुशकों द्वारा उनको राज्य सरकार को तबादला करने के विरुद्ध दायर की गई है।

केरल सरकार ने, इन अनुदेशकों को खपाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। इन मामलों पर अभी तक उनसे पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

निम्नलिखित आम शर्तों पर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है :—

(i) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के किसी भी अनुदेशक को उसके राज्य में तबादले के फलस्वरूप उस परिलब्धि से कर नहीं मिलेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार की नौकरी में मिल रहा था।

(ii) केन्द्रीय सरकार में की गई अनुमोदित सेवा अवधि को राज्य के वेतन मानों में अनुदेशकों के वेतन निर्धारित करते समय तथा सेवा निवृत्ति लाभ देते समय ध्यान में रखना चाहिए तथा जिनको प्राइवेट स्कूल में भेजा गया हो, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना चाहिए।

(iii) राष्ट्रीय अनुशासन सेवा के ऐसे स्नातक राष्ट्रीय अनुशासन और मैट्रिक अनुदेशकों को जिन्होंने राष्ट्रीय अनुशासन सेवा प्रशिक्षण तथा उसके बाद राष्ट्रीय स्वस्थता

कोर में अनुस्थापन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, राज्य वेतन मानों में खपाने के प्रक्षेजन के लिए शारीरिक शिक्षा में क्रमशः डिप्लोमाधारियों तथा प्रमाण पत्रधारियों के समकक्ष माना जाएगा।

(iv) केन्द्रीय सरकार राज्य सेवा में खपाए गए अनुदेशकों के वेतन तथा भत्तों के फलस्वरूप समस्त खर्च की और यदि आवश्यक हुआ हो उनकी समस्त सेवा पर्यन्त वहन करने के लिए सहमत है।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों का अन्तर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण

1904. **श्री झारखन्डे राय :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कितने ही कर्मचारियों ने करुणाजनक कारणों के आधार पर अन्तरक्षेत्रीय स्थानान्तरण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सेवाओं में प्रशिक्षकों की पारस्परिक सहयोग के आधार पर इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां, कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा, उनके अपने-अपने राज्यों में कार्य कर रहे अनुदेशकों को अपने यहां से लेने की प्रत्याक्षा में अधिकांश अनुदेशक अपने-अपने मूल राज्यों में पदारुढ़ किए जा चुके हैं। अन्तर राज्यीय स्थानान्तरणों के लिए मौजूदा अनुरोध मुख्यत: इस बात पर आधारित हैं कि अनुदेशकों के अन्य राज्यों में पारिवारिक हित निहित हो गये हैं। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकारों को अपनी सेवा में उनको खपाने के लिए अनुरोध करती है बशर्ते कि जिस राज्य में अनुदेशक स्थानान्तरण चाहते हैं उस राज्य के स्कूलों में कार्य करने के लिए वे पूर्ण रूप से योग्य हों।

दिल्ली में शिक्षा संस्थाओं (टीचिंग शाप्स) की वृद्धि

1905. श्री **नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में शिक्षा संस्थाओं (टीचिंग शाप्स) में अन्धाधुन्ध वृद्धि पर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या इन संस्थाओं में पाठ्यक्रम और शुल्क के मामले में कोई समानता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है, इनमें से कितनी संस्थाओं ने मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं और क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिये और शिक्षा का उचित स्तर बनाये रखने के लिये इनमें अनुशासन लाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) इस प्रकार की संस्थाओं की ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है। इनमें से किसी भी ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। किन्तु, इस प्रकार की संस्थाओं के कार्य-करण को नियमित करने के लिए विचारार्थ, एक विधेयक इस समय महानगर परिषद के विचारार्थ है।

गेहूं और चावल के व्यापार को नियंत्रण में लेने सम्बन्धी निर्णय का समर्थन करने वाले राज्य तथा निर्णय में परिवर्तन करने के लिए दबाव

1906. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सार्वजनिक हित में गेहूं और चावल के व्यापार को नियंत्रण में लेने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के निर्णय का समर्थन किया है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने समर्थन नहीं किया है ;

(ख) क्या खाद्यान्न व्यापार के सट्टेबाजों तथा बड़े व्यापारियों ने गेहूँ और चावल के व्यापार को नियंत्रण में लेने सम्बन्धी निर्णय में परिवर्तन करने के लिए सरकार पर दबाव डालना आरम्भ कर दिया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इस निर्णय का समर्थन किया है। अन्य राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

(ख) गेहूं और चावल के थोक व्यापार को नियंत्रण में लेने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के निर्णय के विरोध में व्यापारियों और उनके संघों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ग) जी नहीं।

1970 से 1972 की अवधि में निर्यात और आयात की गई चीनी की मात्रा

1907. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970,

1971 तथा 1972 में विदेशों से कितनी चीनी का आयात किया गया तथा उन्हें कितनी चीनी का निर्यात किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : 1970, 1971 और 1972 के दौरान निर्यात की गयी चीनी की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	निर्यात की गयी मात्रा (मीटरी टन)
1970	3,18,421
1971	3,31,738
1972	98,827

इन वर्षों के दौरान कोई चीनी आयात नहीं की गयी थी।

प्रत्येक खण्ड के एक गांव के विकास के लिए योजना

1908. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने देश के लगभग सभी विकास खण्डों में से एक-एक गांव लेकर 4,893 गांवों का विकास करने के बारे में एक योजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या योजना को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों को भी साथ लिया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) स्वाधीनता की पच्चीसवीं वर्ष गांठ मनाने के लिए कुछ कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। "जयन्ती गांव" योजना उनमें से एक है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों / केन्द्र शासित क्षेत्रों को यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान 4893 खण्डों में से प्रत्येक में कम से कम एक गांव चुना जाए, जिसे 'जयन्ती गाँव" का नाम दिया जा सके। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि चुने "जयन्ती गांव" में राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में चल रही आयोजना और आयोजना से बाहर की स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का सम्मिलित रूप से उपयोग किया जाए। पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करना, कमजोर वर्गों के लिए अच्छे घरों का निर्माण करना, स्कूल भवनों में सुधार करना, सड़कें, जल-निकास-व्यवस्था और विद्युतीकरण जैसे कुछेक अधिक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन पर चुने गांव में ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। गरीबों के लिए पर्यावरण तथा उनके रहन-सहन में सुधार करने के उद्देश्य से तैयार की गई दूसरी योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। पच्चीसवीं जयन्ती के संदर्भ में, यह उचित समझा जाता है कि चुने गांव में इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए और इन पर ध्यान केन्द्रित किया जाए, ताकि समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों पर इनका प्रभाव लक्षित हो सके। राज्य

सरकारों आदि से अनुरोध किया गया है कि वे "जयन्ती गांव" चुने और निर्माण कार्यों को आरम्भ तथा पूरा करने और उन्हें जनता की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करें।

चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन तथा उसका रक्षित भंडार पर प्रभाव

1909. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों तथा चीनी के कारखानों ने इस प्रकार का भय तथा शंकायें प्रकट की है कि चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन सुरक्षित भंडार बनाने के लिए फालतू नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) चीनी का चालू वर्ष का अनुमानित उत्पादन वफर स्टाक तैयार करने की इजाजत नहीं देता है। चीनी और गन्ने की नई नीति का उद्देश्य चीनी का उत्पादन बढ़ाना है और धीरे धीरे वफर स्टाक तैयार करना है।

राजमार्गों का सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन

1910. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क विकास के महानिदेशक की अध्यक्षता में सात सदस्यीय दल ने देश में राजमार्गों का सुधार करने के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) हमारे राजमार्गों पर सड़कों के साथ-साथ किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय में महानिदेशक (सड़क विकास) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये 8 सदस्यों के दल ने 2-9-1972 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(ख) दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) सड़क प्रयोक्ता की मूल व्यक्तिगत और उसके वाहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर सुसज्जित ईंधन व्यवस्था केन्द्रों की स्थापना सबसे बड़ी जरूरत है।

(2) उन आपातकालीन परिस्थितियों, जिनका सड़क प्रयोक्ता को सामना करना पड़ता है, के लिए व्यवस्था करने हेतु व्यवसायिक साधनों को संस्थापन और यातायात गश्तों की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(3) उन राजमार्गों के साथ-साथ विश्राम क्षेत्रों और मोटलों की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जहां लम्बी यात्रा वाले मुसाफिर थोड़ी देर के लिए या रात भर आराम कर सकें ।

(4) कुछ चुने हुए स्थानों पर भोजनालयों की स्थापना के लिए उपाय किये जाने चाहिएं जहां यात्रियों को स्वच्छ भोजन प्राप्त हो सके ।

(5) राजमार्गों में सुधार किए जाए ताकि वे यात्रा के लिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हों : इसके साथ-साथ, वातावरण सुन्दर बनाया जाना चाहिए ।

(6) सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों या अन्य रूचिकर स्थानों को राजमार्ग तंत्र से उचित रूप से जोड़ा जाए ।

(7) राजमार्ग मार्गाधिकार अतिक्रमणों को हटाने के लिए सड़क प्राधिकरण के पास उपयुक्त अधिकार होने चाहिएं ।

(8) एक ही स्थान पर बिना रोक-टोक सुविधाओं के जमघटे को रोकने के लिए और मौजूदा घटिया सहूलियतों की पुर्नव्यवस्था के लिए सड़क प्राधिकरण को अधिकार दिये जाने चाहिएं ।

(9) मार्ग सम्बन्धी बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तेल कम्पनियों; आटोमोबाइल और टायर निर्माताओं आटोमोबाइल संस्थाओं, परिवहन संस्थाओं; निजी परिचालकों आदि से सहयोग प्राप्त करना चाहिए । राजमार्गों के महत्वपूर्ण मार्गों के साथ-साथ यातायात ढांचे का सर्वेक्षण किया जाए ताकि आवश्यकतानुसार सर्विस केन्द्रों और सर्विस क्षेत्रों की स्थिति जानी जा सके ।

(10) केन्द्रीय सड़क निधि के नमूने पर "रोड साइड विकास निधि" या "केन्द्रीय रोड साइड निधि" जैसी विशेष निधि का सृजन किया जाए और जिसका प्रशासन, मार्गीय सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में फिलहाल शामिल निधि अधिक बड़े और सुनियमित निधि के केन्द्र के रूप में रह सकता है ।

(11) राज्य सरकार को चाहिये कि वह उस ऋण सम्बन्धी सहायता और उन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में 10 लाख रुपये का उपयोग करे जिनका नियंत्रण सामान्य रूप से निजी परिचालकों के हाथ में रहेगा, भले ही ऐसा सड़क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानको और विशिष्टियों के

अनुसार ही ऐसा करना होगा। केन्द्रीय सरकार को ऐसी परियोजनाओं के लिए धीरे धीरे अधिक धन का आवंटन करना चाहिए।

(12) आटोमोबाइल संस्थाओं के मौजूदा क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि वे सड़क सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में नक्शों और सूचना द्वारा पर्यटकों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान कर सकें। उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर नाकारा कारों को खींचने के लिए सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए भी विचार करना चाहिए।

(13) आहार गृहों, मोटलों और भोजनालयों की स्थापना का कार्य अधिकतर निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाए यद्यपि राज्य सरकारों या सड़क प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इस उद्देश्य के लिए जहां भी भूमि उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था करें।

(14) सड़कों के साथ पार्कों, विश्राम स्थानों, गाड़ियों के खड़ा करने के लिए स्थानों; प्राकृतिक सुन्दर स्थानों के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।

(15) विभिन्न मार्गों के बीच प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण मार्गों का एक विस्तृत यातायात सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ मौजूदा सेवाओं की सूची तैयार की जानी चाहिए, ताकि आवश्यकतानुसार इनके अन्तरण और पुरनिर्माण की कार्यवाही की पहल की जा सके।

(16) यातायात आवश्यकताओं के निर्माण के बाद, आवश्यकतानुसार पर्वतीय क्षेत्रों में आपात काल के लिए टेलीफोनों की व्यवस्था की जाये। वहां गाड़ियों के खड़ा करने के लिए काफी स्थानों के निर्माण करने की भी जरूरत है।

(17) पर्वतीय सड़कों और सीमांतों के साथ-साथ लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर छोटी-मोटी मरम्मत और सर्विस केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(1८) सभी आवश्यक स्थानों और पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर सीमांतों पर यात्रियों के लिए वर्षा से रक्षा के लिए शरणस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए।

पुस्तकों की बृहद् सूची

19 : 1. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किये गये और "साउथ एशियन स्टडीज" पत्रिका में प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत के पास अब तक न तो पुस्तकों की कोई बृहद् सूची है और न ही देश का कोई आधुनिक मानक विश्वकोष है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण में यह सिफारिश भी की है कि भारतीय पुस्तकालयों में सुधार किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) यह राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा औपचारिक रूप से किया गया सर्वेक्षण नहीं है, किन्तु यह केवल श्री एन० एन० गिडवानी द्वारा 'साउथ एशियन स्टीडीज' (साउथ एशियन स्टीडीज केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की छपाही पत्रिका में दिया गया एक लेख है। उसमें (पृष्ठ 88) में लिखा गया है कि भारत के पास न तो बृहद सूची है और न ही भारत का विश्व कोष है । वास्तविक स्थिति यह है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामान्य विश्वकोष निकाला गया है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार की कुछ वित्तीय सहायता से नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 12 खण्डों में हिन्दी विश्वकोष प्रकाशित किया गया है । इसके अलावा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता 56 खण्डों में भारतविद्या की पूर्वव्याप्त टीकामय ग्रंथ सूचियों को तैयार करने की योजना पर कार्य कर रहा है । इनमें से तीन खण्ड पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं तथा पांच और विभिन्न संकलन स्तर पर है । इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । निःसन्देह इस में बहुत समय लगेगा । इसके अलावा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता 1958 से पुस्तकें और समाचार पत्र प्रदान करने की व्यवस्था (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954 के अन्तर्गत जैसा 1956 में संशोधित किया गया था, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में प्राप्त और देश में प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकों की ग्रंथ सूची प्रकाशित कर रहा है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) लेख में व्यक्त विचार वैयक्तिक है और निसंदेह सम्बंधित पुस्तकालय प्राधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान दिया जाएगा ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा वर्ष 1971-72 में अर्जित लाभ

1912. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री राम कंवर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने अपने अस्तित्व के 26 वर्षों में वर्ष 1971-72 में बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभूतपूर्व वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में कुल कितना लाभ अर्जित किया गया था ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मुख्यतः हिन्दुस्तान शिपयार्ड पर सूखी गोदी को चालू किये जाने के परिणाम स्वरूप जहाजों की मरम्मत में वृद्धि के कारण है।

(ग) 1969-70, 1970-71 और 1971-72 वर्ष के दौरान अर्जित निवल लाभ की कुल राशि निम्न प्रकार है :—

1969-70	3.08 लाख रुपये
1970-71	5.70 लाख रुपये
1971-72	58.93 लाख रुपये

गोआ में अकाल और सूखा

1913. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में भीषण अकाल और सूखे की स्थिति विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गोआ सरकार ने राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है और उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किये गये व्यायाम शिक्षक

19 4. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में कुछ ऐसे व्यायाम शिक्षक नियुक्त किए गए हैं जिन्हें प्राथमिक विद्यालयों में 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें नियुक्त करने के क्या कारण है ;

(ग) उनकी योग्यताएं, वेतनमान तथा उनके कर्तव्य क्या हैं ; और

(घ) क्या उन के वेतनमान के सम्बन्ध में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने का है जिससे उन्हें व्यायाम शिक्षकों के बराबर लाया जा सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं। केवल प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक ही नियुक्त किये गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) **अर्हताएं :**

मैट्रिक तथा साथ में शारीरिक प्रशिक्षण में प्रमाणपत्र।

वेतन मान :

रु० 80-220 (पूर्व परिशोधित)
रु० 130-300 (1-7-1959 से परिशोधित)
रु० 140-330 (21-12-1967 से)
रु० 220-430 (27-5-1970 से)

कर्त्तव्य :

एक जूनियर व्यायाम शिक्षक को दो प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का कार्य करना होता है :

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि उन्हें ऐसे असंतोष के बारे में पता नहीं है।

भारत में अन्धे व्यक्तियों की संख्या

1915. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्ष 1969 से राज्यवार तथा वर्षवार अंधे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : 1969 से राज्यवार तथा वर्षवार अन्धे व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन अब एक सर्वेक्षण किया जा रहा है और अगले वर्ष के मध्य तक उसके परिणामों का पता लगने की संभावना है। रोहे नियंत्रण बर्शी परियोजना के अधीन 1966 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार एक लाख व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो अपनी दृष्टिहीनता के कारण किसी प्रकार का रोजगार करने की स्थिति में नहीं हैं, नीचे दी गई है :

राज्य के नाम	प्रति लाख की आबादी में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो अपनी दृष्टिहीनता के कारण किसी प्रकार का रोजगार करने की स्थिति में नहीं हैं।
आन्ध्र प्रदेश	590
असम	1,540
बिहार	850
गुजरात	1,240

1	2
जम्मू व कश्मीर	410
केरल	450
मध्य प्रदेश	1,530
मद्रास	770
महाराष्ट्र	1,380
मैसूर	2,400
उड़ीसा	1,230
पंजाब	960
राजस्थान	690
उत्तर प्रदेश	1,000
पश्चिम बंगाल	530

मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा शराब बनाने की प्रतिक्रियाओं का विकास

1916. **श्री डो० पी० जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ने शराब बनाने की प्रक्रियाओं का विकास किया है ;

(ख) क्या निर्माता इन प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक फर्म ने संस्थान से पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली है ।

(ग) किण्वन की प्रक्रिया से शराब बनाने के लिए मैसूर और महाराष्ट्र में पैदा किए जा रहे बंगलौर ब्लू, ब्यूटी सीडलैस और गुलाबी किस्मों के अंगूर जैसे अधिशेष फलों का प्रयोग करने के लिए संस्थान में तकनीकी जानकारी का विकास किया गया है ।

Opening of Model Middle Schools

1917. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state whether Government have taken a decision to open a Model School in each Block ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : No, Sir. The Government have a proposal under consideration to establish adequate numbers of Model primary schools at the rate of one per block and model secondary schools at the rate of one per district.

Foodgrains Procurement Targets in eech State

1918. **Shri Shakar Dayal Singh :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the tragets fixed for the procurement of foodgrains other than Rice in each State, by Government ; and

(b) the State-wise quantity of the foodgrains other than rice, procured so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Sinde) : (a) & (b) A statement giving the required imformation is atteched.

Statement

Statement showing targets of foodgrains other than rice fixed for marketing season 1971-73 and the quantity procured so far.

(In '000 tonnes)

State	*Target Rabi foodgrains (Apr. to Mar.) 1972-73 Actual Procurement		Kharif foodgrains other than rice (Nov. to Oct.) 1972-73	
	Wheat	Rabi Coarse grains	Targets fixed by A.P.C.	Procurement of Kharif Coarse grains
Andhra Pradesh	—	—	—	—
Assam	—	—	—	—
Bihar	2	—	—	—
Gujarat	1	—	30	—
Haryana	818	28	100	—
Himachal Pradesh	Neg.	—	20	—
Jammu & Kashmir	27	—	—	—
Kerala	—	—	—	—
Madhya Pradesh	65	2	—	—
Maharashtra	—	—	—	—
Mysore	—	—	—	—
Orsisa	—	—	—	—
Punjab	3179	Neg.	300	2
Rajasthan	46	43	30	—
Tamil Nadu	—	—	—	—
Uttar Pradesh	841	Neg	120	—
West Bengal	—	—	—	—
Chandigarh	3	—	—	Neg.
Delhi	22	—	—	—
TOTAL	5004	73	600	2

*No targets fixed for the procurement of wheat and rabi coarse grains during the marketing season 1972-73.

पहलेजा घाट से सोवनरसा तक राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में प्रगति

1919. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में पहलेजाघाट से सोन बरसा तक राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : प्रश्न गत सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। यह एक राज्य सड़क है तथा बिहार सरकार के कार्य क्षेत्र में पड़ता है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा

1920. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय समाज और कल्याण बोर्ड कम्पनी अधीनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन पंजीकृत एक पूर्व कम्पनी है। बोर्ड के कार्यों का प्रशासन इसके संस्था के अनुच्छेदों द्वारा विनियमित है, जिनमें एक कार्यकारी समिति तथा एक साधारण निकाय की व्यवस्था है। सरकार समाज कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रमों को चलाने के लिए बोर्ड को अनुदान देती है। बोर्ड के लेखों का वार्षिक परीक्षण होता है। उसके साधारण निकाय तथा सरकार द्वारा उसकी लेखापरीक्षण और वार्षिक रिपोर्टों की जांच की जाती है।

बोर्ड के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में स्कूलों तथा कालेजों को घाटे की राशि का भुगतान

1921. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में स्कूलों तथा कालेजों को घाटे की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना देश के अन्य भत्तों पर लागू की जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : एक नई इमदादी अनुदान-योजना के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से योजना-आयोग में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर आये और विचार के लिए ब्यौरे उपलब्ध किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में चीतों का संरक्षण

1922. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के चांदा जिले में चीतों के लिए विश्व-विख्यात टरोडा जंगल में अब केवल चार चीते बचे हैं जबकि 1960 में वहां 179 चीते थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां। सन् 1972 की गणना के अनुसार टरोवा राष्ट्रीय पार्क की सीमा में केवल 4 और चान्दा जिले के अन्य क्षेत्रों में 84 चीते हैं। सन् 1961 की गणना के अनुसार केवल टरोवा पार्क में नहीं बल्कि पूरे चांदा जिले में 179 चीते थे।

(ख) चीतों के मारने और उनके उत्पादकों के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। निजी सामान के रूप में भी चीते की खाल के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती।

मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण करने वाली प्रयोगशालायें स्थापित करना

1923. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के सभी कृषि खण्डों में मिट्टी का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालायें खोलने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर स्थापना-स्थल तथा कार्य आरम्भ करने के समय सम्बन्धी उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी हाँ।

(ख) इस राज्य में 4 कृषि प्रभाग हैं जिनमें ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि यह स्थानों का चयन करके चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक इन प्रभागों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करे।

रबी की फसल के लिए आंध्र प्रदेश में जल स्रोतों का उपयोग

1924. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उस राज्य के कुछ भागों में विद्यमान सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में आगामी रबी की फसल में वृद्धि करने के लिए नदियों, नालों, तालाबों तथा नहरों जैसे सभी जल स्रोतों का उपयोग करने के लिये क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) इस वर्ष खरीफ मौसम के दौरान सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ कर लिया है ।

(ख) आयात उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए सतही तथा भूमिगत जल स्रोतों को उपभोग में लाने के लिए कुल 5.53 करोड़ रुपये की लागत से और अधिक लघु सिंचाई योजनाओं की मंजूरी दी गई है। ये योजनायें चालू वर्ष के दौरान ही पूरी की जानी हैं जिससे रबी फसलों की सिंचाई हो सके ।

मन्त्रियों द्वारा त्रिपुरा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

1925. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अथवा उनके कनिष्ठ मन्त्रियों ने हाल ही में त्रिपुरा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सूखा के सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) कृषि राज्य मन्त्री ने हाल ही में अगरतला का राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी विकासीय योजनाओं और उनकी प्रगति का पता लगाने के लिए दौरा किया था ।

तथापि एक केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए अगस्त, 1972 में राज्य का दौरा किया था । दल ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए राहत मदों के लिए 88 लाख रुपये के खर्च की सीमा की सिफारिश की ।

त्रिपुरा में मलेरिया ज्वर का दूर-दूर तक फैलना

1926. **श्री बीरेन दत्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में दूर-दूर तक मलेरिया ज्वर फैला हुआ है ; और

(ख) इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए०के० किस्कु) : (क) बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन के बावजूद, त्रिपुरा में 1969 से मलेरिया की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी हुई है । पिछले चार वर्षों में मलेरिया की सूचित घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :

1969	—	7369
1970	—	4247
1971	—	2772
1972	— (अगस्त तक)	2237

(ख) मलेरिया निवारण के व्यापक उपाय, जिनमें, सभी निवास स्थानों के अन्दर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव शामिल है, बरते जा रहे हैं तथा निगरानी कार्य भी किये जा रहे हैं। बंगला देश की सीमावर्ती इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

त्रिपुरा में मेडिकल कालेज

1927. **श्री बीरेन दत्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक मेडिकल कालेज स्थापित किया जा रहा है ; यदि हां तो यह कब तक खुल जायेगा ;

(ख) क्या उसमें विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है और उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) कालेज का भवन कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) त्रिपुरा में मेडिकल कालेज स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति (मुदालियर समिति) की सिफारिशों के अनुसार पचास लाख जनसंख्या के पीछे एक मेडिकल कालेज की स्थापना होती है। इस मानदण्ड के आधार पर त्रिपुरा में कोई मेडिकल कालेज स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अर्थात् मनीपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कुल आबादी लगभग 45 लाख है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इम्फाल, मनिपुर में एक मेडिकल कालेज स्थापित कर दिया गया है।

कोयला खनिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले रोग

1928. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रोगों के नाम क्या हैं जिनका कोयला खनिकों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) किन क्षेत्रों पर इनका सर्वाधिक प्रभाव है ; और

(ग) कोयला खनिकों की चिकित्सा के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1972-73 में ग्रामीण आवास योजना

1930. **श्री समर गुह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 में ग्रामीण आवास योजना के लिये विभिन्न राज्यों को कितने कितने संसाधन आबंटित किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने मकान बनाये जा चुके हैं तथा चालू वर्ष में कितने मकान बनाने की योजना है ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिये ग्रामीण आवास योजना का क्या लक्ष्य है तथा क्या सिद्धान्त बनाये गये है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम राज्य क्षेत्र में है। 1969-70 के प्रारम्भ से चौथी योजना की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'ब्लाक ऋणों' तथा 'ब्लाक अनुदानों' के रूप में राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए इकट्ठी (आवास सहित) दी जा रही है। राज्य सरकारें अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न आवास योजनाओं के लिये आवंटन स्वयं करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की स्कीम के लिये जो केन्द्रीय क्षेत्र में अक्तूबर 1971 को आरम्भ की गई थी, वित्तीय सहायता की स्वीकृति देता है। विभिन्न राज्य सरकारों को 1972-73 के वर्ष के दौरान अब तक स्वीकृति की गई राशि निम्नलिखित है ।

राज्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1. गुजरात	75.73
2. केरल	273.92
3. महाराष्ट्र	6.96
4. मैसूर	36.21
5. उड़ीसा	8.40
6. तामिल नाडु	75.51
7. उत्तर प्रदेश	25.41
जोड़	502.14

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 1971–72 के अन्त तक निर्मित मकानों तथा 1972-73 के लिए आयोजित मकानों की संख्या का एक विवरण संलग्न है 1972-73 में बनाए गए मकानों की संख्या वर्ष के अन्त में उपलब्ध होगी।

(ग) अगले तीन वर्षों के लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए।

विवरण

ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 1972-73 के वर्ष में पहले निर्मित हो चुके मकान तथा जिन के निर्माण की योजना है।

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	मकानों की संख्या	
	1957 में योजना के आरम्भ से 1971-72 के वर्ष तक पहले निर्मित हो चुके	1972-73 वर्ष के लिए जिनकी योजना है।
1. आन्ध्र प्रदेश	4220	35
2. असम	...	44
3. बिहार	131	108
4. हरियाणा	298	60
5. हिमाचल प्रदेश	376	55
6. जम्मू तथा काश्मीर	1395	...
7. गुजरात	1380	200
8. केरल	4075	...
9. मध्य प्रदेश	2125	330
10. महाराष्ट्र	10341	...
11. मैसूर	7827	500
12. मेघालय	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13. नागालैण्ड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
14. उड़ीसा	3978	130
15. पंजाब	1055	250
16. राजस्थान	3125	...
17. उत्तर प्रदेश	3327	...
18. तामिलनाडु	3216	400
19. पश्चिम बंगाल	3652	उपलब्ध नहीं
20. मनीपुर	74	उपलब्ध नहीं
21. त्रिपुरा	329	33
	50924	2,145

राज्य संघ क्षेत्र का नाम		मकानों की संख्या	
		1957 में योजना के आरम्भ से 1971-72 के वर्ष तक पहले निर्मित हो चुके	1972-73 वर्ष के लिए जिनकी योजना है।
1.	दिल्ली	895	333
2.	दादर तथा नगर हवेली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	गोवा, दमन तथा दीव	20	58
4.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	कुछ नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	पांडी चेरी	74	35
6.	लक्कदीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी	22	2
	कुल संघ क्षेत्र	1011	428
	कुल जोड़	51935	2573

सूखे के कारण अनाज के उत्पादन में कमी

1931. **श्री समर गुह :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चालू वर्ष में सूखे की स्थिति के कारण अनाज के उत्पादन में कमी के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो अनाज की अनुमानित कुल कितनी कमी हुई और इसका राज्यवार व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वर्तमान कमी का अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भता प्राप्त करने के लिये अनाज का आयात स्थगित करने सम्बन्धी सरकार की घोषित नीति पर प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जुलाई, 1972 में सूखे के कारण खरीफ खाद्यानों के उत्पादन में काफी कमी आने की आशंका थी। तब से व्यापक वर्षा के कारण कई राज्यों में खरीफ की फसलों की स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी खरीफ की फसल का कुल उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से कम होने की सम्भावना है। खरीफ खाद्यान्नों के कुल उत्पादन अथवा वर्ष 1972-73 के दौरान विभिन्न राज्यों में खाद्यानों के उत्पादन में होने वाली कमी के सम्बन्ध में अभी ठीक ठीक कोई अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्यान्नों का आयात न करने की घोषित नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी कम सप्लाई की अस्थायी स्थिति में खाद्यान्नों के सीमित आयात की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बंगलादेश को सप्लाई किये गये खाद्यान्न

1932. **श्री समर गुह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में, खाद्यान्न की कमी के बावजूद भी भारत ने बंगला देश को खाद्यान्न की सप्लाई की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के खाद्यान्न सप्लाई किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पीं० शिन्दे) : (क) और (ख) जुलाई और अगस्त, 1972 के दौरान लम्बे समय तक सूखे की लहर के रहने के कारण खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे इस वर्ष खरीफ के अनाजों के उत्पादन में कमी होने का अनुमान है। बंगला देश को सप्लाई किए गये खाद्यान्नों और दालों की कुल मात्रा 902030 मीटरी टन है जिसमें 8 लाख मीटरी टन गेहूं, 1 लाख मीटरी टन और 2030 मीटरी टन दालें शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मात्रा जुलाई, 1972 के अन्त से पहले सप्लाई की गई थी।

खाद्य पदार्थों का आयात

1933. **श्री समर गुह :**
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष विभिन्न देशों से कितनी धनराशि के खाद्य पदार्थों का आयात किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : इस वर्ष 31-10-1972 तक विभिन्न देशों से प्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा इस प्रकार है :—

	गेहूं (मी० टन)		चावल (मी० टन)
संयुक्त राज्य अमेरिका	71,183	संयुक्त अरब गणराज्य	69,916
कनाडा	2,20,062	थाईलैण्ड	61,087
आस्ट्रेलिया	23, 216		
	3,14,461		1,31,003

गेहूँ की समूची मात्रा और संयुक्त अरब गणराज्य से प्राप्त 69,916 मी० टन चावल पिछले वर्ष का बचा स्टाक है। थाईलैण्ड से चावल की खरीद शरणार्थियों के राहत आदि के लिए प्राप्त ब्रिटेन की सहायता के प्रति की गई थी।

Provision of Free Education to Women upto Higher Secondary level

1934. **Shri Phool Chand Varma :** Will the Minister of **Education and Social Welfare be pleased to state :**

(a) whether Government have under consideration a scheme to provide free education atleast up to the Higher Secondary level in order to spread education among women; and

(b) if so, the outlines thereof and the time by which the scheme would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Construction of Pontoon Bridge over Yamuna in Delhi

1935. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Muhammad Sheriff :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a parmanent pontoon bridge over Yamuna river in Delhi has been recently inaugurated by the Central Minister ;

(b) if so, whether Government are considering any scheme to give a permanent shape to the said bridge keeping in view the utility of this bridge ; and

(c) the time by which this bridge is likely to be completed under the said scheme ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) Since it was for the firts time that a double lane pontoon bridge was provided, instead of a single lane, that the Central Minister was invited to inaugurate the pontoon bridge over river Yamuna in Delhi by the Flood Control Wing of the Delhi Administration. Pontoon bridge, by its very nature, is a temporary bridge provided in fair weather.

(b) and (c) There is provision for the construction of one more bridge across the river Yamuna in the Fourth Five Year Plan of the Delhi Administration. The exact location for constructing this bridge is under study with the Delhi Administration. It is, therefore, not possible at this stage to indicate when the bridge would be completed.

Rise in D. T. C. Bus Fare

1936. **Shri Phool Chand Varma :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether bus fare has been raised by Delhi Transport Corporation ; and

(b) if so, the percentage thereof ?

The Minister of state in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

20 वर्ष से अधिक समय की सेवा वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

1937. **श्री डी० के० पंडा :**

डा० गोविन्द दास रिछारिया :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत जिन सरकारी कर्मचारियों का सेवा काल 20 वर्ष से अधिक हो गया है उनको चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी आवास दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) पहली अप्रैल, 1972 को उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिये रिहायशी वास के निर्माण का एक निरन्तर कार्यक्रम है । दिल्ली नई दिल्ली में 97,134 मकानों की कुल आवश्यकता के विपरीत कुल 41,269 मकान उपलब्ध हैं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान, निम्नलिखित एककों के उपलब्ध हो जाने की संभावना है :—

टाइप I	184
टाइप II	1,006
टाइप III	924
टाइप IV	928
होस्टलों में अपार्टमेंट	320
जोड़	3,362

दिल्ली नई दिल्ली में सामान्य पूल में परितुष्टी की प्रतिशतत: तब 42.48 से 46 तक बढ़ जायेगी । इस के अतिरिक्त, दिल्ली नई दिल्ली में सामान्य पूल में 3,497 क्वार्टरों के निर्माण के लिये, स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और इन पर कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायेगा । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण की गति को बढ़ाये जाने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में साभान्य पूल वास के लिये पात्र उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या जिन का सेवा काल 1, अप्रैल, 1972 को 20 वर्ष से ऊपर हो चुका है, परन्तु जिन्हें अब तक आवास उपलब्ध नहीं किया गया है, इस प्रकार है :—

टाइप I	425
टाइप II	350
टाइप III	2,445
टाइप IV	3,050

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा खाद्य उत्पादन की स्थिति के बारे में समीक्षा और भारत के बारे में उसकी टिप्पणी

1938. **श्री डी० के पंडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन ने विश्व में खाद्यान्नों के उत्पादन और व्यापार सम्बन्धी अपनी समीक्षा में इस बात पर बल दिया है कि भारत में 1971 में कृषि के उत्पादन और निर्यात आय में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्यतः विकासशील देशों और विशेषतः भारत में कृषि सम्बन्धी प्रगति के सम्बन्ध में क्या टिप्पणियां की गई हैं ; और

(ग) इन से भारत सरकार कहाँ तक सहमत है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने दी स्टेट आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर, 1972 नामक जिस पुस्तिका को हाल ही में प्रकाशित किया है उसमें इस बात को प्रकाश में नहीं लाया गया है कि वर्ष 1971 के दौरान भारत के कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। इस दस्तावेज में यह लिखा है कि यद्यपि भारत में फिर अच्छी फसल का वर्ष रहा है तथापि फसल का दर कम थी। इसमें यह भी लिखा है कि यद्यपि वर्ष 1971 में सुदूर पूर्व क्षेत्र (भारत सहित) के विकासशील देशों से कृषि जिन्सों का निर्यात 7 प्रतिशत बढ़ा है, तथापि निर्यात से होने वाली आय 4 प्रतिशत बढ़ी है जोकि गत वर्ष की दर की तुलना में कुछ ही कम है।

(ख) खाद्य और कृषि संगठन की समीक्षा में भारत और विकासशील अन्य देशों के कृषि उत्पादन के बारे में की गई सम्बन्ध टिप्पणियां नीचे दी गई है :—

कृषि उत्पादन : यद्यपि वर्ष 1971 में कृषि, मछली और अन्य जिन्सों का विश्व में उत्पादन फिर लगभग 3 प्रतिशत बढ़ा हैं, तथापि संयुक्त राष्ट्र विकास के दूसरे दशक के प्रथम वर्ष में इस क्षेत्र में विकासशील देशों का उत्पादन निराशाजनक था; जोकि उनकी समग्र प्रगति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। खाद्य और कृषि संगठन के प्राथमिक सूचकांकों के अनुसार वर्ष 1971 में विकासशील देशों में उत्पादन केवल एक से दो प्रतिशत तक बढ़ा था। वर्ष 1971 में विभिन्न क्षेत्रों में फसल और पशुधन उत्पादन के रुप में काफी अन्तर रहा। प्राथमिक आंकड़ों से पता चलता है कि अर्जनटाइना और क्यूबा में प्रायः प्रतिकूल मौसम होने के कारण लातीनी अमरीका में उत्पादन में कुछ गिरावट आई है। निकट पूर्व क्षेत्र में वर्ष 1971 के कुल कृषि उत्पादन के प्राथमिक सूचकांक से पता चलता है कि वर्ष 1970 की तुलना में इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अफ्रीका के विकासशील देशों में 1970 में कृषि और खाद्य का उत्पादन 4 प्रतिशत बढ़ा है सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकासशील देशों में पिछले दो वर्षों के दौरान रिकार्ड की गई 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की तुलना में वर्ष 1971 में कृषि उत्पादन में 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस कम वृद्धि दर का कारण अनेक देशों में प्रतिकूल मौसम, युद्ध और अन्य ऐसे कारण से फसल को क्षति होना था। भारत के सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन के दस्तावेज में यह दिया गया है कि यद्यपि भारत में फिर अच्छी फसल का वर्ष था, तथापि फसल की वृद्धि दर कम थी।

(ग) सूदूर पूर्व देशों के लिये समग्र रूप से व्यापार के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता। कृषि उत्पादन के बारे में वर्ष 1971-72 के क्षेत्र और उत्पादन के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्नों, तिलहनों और गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम रहा जबकि कपास, जूट और तम्बाकू का उत्पादन अधिक हुआ था।

भारत में उचित दर की दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुएं

1939. **श्री डी० के० पंडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की प्रत्येक राज्य में उचित दर की दुकानों से कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी वस्तुये वितरित की जाती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : राज्य सरकारों को सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए गेहूँ, चावल और मोटे अनाज दिए जा रहे हैं। इन उचित मूल्य की दुकानों की संख्या लगभग 1,58,000 है। लेवी चींनी और खाद्य तेल और दालों की सीमित मात्रा भी इन दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही है। कुछ राज्यों/क्षेत्रों में आटा, सूजी और मैदा जैसे गेहूं से बने पदार्थों को भी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचा जाना शुरू कर दिया गया है।

जहां तक मात्रा का सम्बन्ध है, यह इन जिन्सों का मांग और उपलब्धि तथा अन्य कई तथ्यों पर निर्भर करते हुऐ प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होती है।

खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिए उसका आयात

1940. **श्री वाई० ईश्वर वर्मा :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिए उनका आयात करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने खाद्य तेलों का आयात किया जाता है तथा उसका मूल्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां—जब कभी आवश्यक समझा गया।

(ख) इस समय एक सहायता कार्यक्रम के अधीन कनाडा से 100,000 मीटरी टन तोरिया के आयात के अलावा, वाणिज्यिक आधार पर लगभग 10 करोड़ रुपये के मूल्य के 50,000 मीटरी टन खाने के तेल (या इसके बराबर में बीज) आयात किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवासीय स्थान

1942. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 13 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य कितनी राज्य सरकारों ने भूमिहीन श्रमिकों को आवासीय स्थान देने के बारे में योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) क्या इन योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है ; और

(ग) योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इन राज्यों को कुल कितनी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) आठ और राज्यों ने, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान, और पश्चिम बंगाल ।

(ख) और (ग) गुजरात और महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई कुछ परियोजनायें अनुमोदित की जा चुकी हैं, जिसमें 44,751 आवास स्थलों (40,110 आवास स्थल गुजरात में और 4,641 आवास स्थल महाराष्ट्र में) की व्यवस्था के लिए 82.69 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता अपेक्षित के (75.7? लाख रुपये गुजरात के लिए और 6.96 लाख रुपये महाराष्ट्र के लिए) । 20.67 लाख रुपये की एक रकम इन दो राज्यों को कुल अपेक्षित केन्द्रीय सहायता के 25% रकम हैं रूप में दी जा चुकी है । राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई अन्य परियोजनाओं में से कुछ की जांच की जा रही है, जबकि कुछ और परियोजनाओं पर राज्य सरकारों के विचार के लिए टिप्पणियां भेजी गई हैं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि भूमि के विकास और डेरी फार्मिंग और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिये राज्यों को सहायता

194ɔ. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने कृषि भूमि के विकास और डेरी फार्मिंग और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या उपरोक्त निगम को राज्य सरकारों की संस्थाओं से सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी हां । यह निगम कृषि विकास योजनाओं के लिए पुनर्वित सुविधायें प्रदान करता है, चाहे ये योजनायें संबन्द्ध निगमों या सरकारी स्वामित्व की कम्पनियों के माध्यम से क्रियान्वित की गई हों ।

(ख) और (ग) निगम ने 31-10-1972 तक राज्य सरकारों द्वारा संचालित 2 स्कीमों के लिए स्वीकृति दी है। ये स्कीमें राज्य सरकार के निकायों या निगमों के माध्यम से 1192.93 लाख रुपये की लागत से क्रियान्वित की जायेंगी। उसमें से निगम ने 972.038 लाख रुपये देने का वचन दिया है। इन योजनाओं में भूमि विकास, लघु सिंचाई, वन विकास और भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है।

पत्तन शुल्क में वृद्धि

1944. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन शुल्कों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) बड़े पत्तन आयोग ने सिफारिश की है कि वस्तुओं पर वास्तविक दरें प्रत्यक्ष लागत उन दो सीमाओं के बीच हों जो मूल्यह्रास अथवा उपरिलागत के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था के बिना यातायात के रख रखाव की वास्तविक लागत और यातायात को वहन करने की क्षमता और प्राप्त राजस्व कुल लागतों को पूरा करने तथा उचित प्रतिलाभ कमाने हेतु पर्याप्त हो। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि लागत विश्लेषण के परिणामों की दरों के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाय इन सिफारशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा परिणाम स्वरूप बड़े पत्तन न्यासों द्वारा लगाये गये पत्तन प्रभारों की समीक्षा विचाराधीन है।

चिकित्सा आयोग की स्थापना

1945. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक चिकित्सा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग के सदस्य कौन-कौन होंगे और इसके कृत्य क्या होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) जी नहीं। वैसे भारत सरकार द्वारा 1968 में गठित चिकित्सा शिक्षा समिति की सिफारिश की क्रियान्विति की प्रगति की जांच करने के लिये एक समिति गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद तथा इसके निष्कर्षों के आधार पर यदि आवश्यकता हुई तो चिकित्सा शिक्षा आयोग की स्थापना पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली के निकटवर्ती शहरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन

1946. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद तथा फरीदाबाद जैसे दिल्ली के निकटवर्ती शहरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के

कर्मचारियों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ताकि दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : दिल्ली के निकटवर्ती शहरों में अपनी इच्छा से रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कुछ रियायतें दी जाती है जिन का हैडक्वार्टर सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप बदल जाता है। ये रियायतें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 1958 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15 (17) ई०II (बी)/58 (जिसकी प्रति संलग्न है) में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०-3825/72]

भूस्वामियों को भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों से बचने से रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार का राज्यों को निदेश

1947. **श्री राम भगत पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को, विशेषकर बिहार सरकार को ऐसे भूस्वामियों के विरुद्ध कोई निदेश दिया गया है जो भूमि की अधिकतम सीमा से अपनी भूमि को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णयों के आधार पर समूचे राष्ट्र के लिये एक मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाया गया था और इस विषय में सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था, जिसमें बिहार भी सम्मिलित था।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्त का सम्बन्धित अंश इस प्रकार है :—

III पिछली तारीख से लागू होना

अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानून पिछली तारीख से लागू किये जायें और यह 24 जनवरी, 1971 से बाद की न हो। अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून में यहां स्पष्ट करते हुए व्यवस्था की जाये कि उस तारीख के बाद किए गए भूमि के किसी भी हस्तांतरण को उचित सिद्ध करने की जिम्मेदारी हस्तांतरणकर्ता की होगी।

Central District Hospital at Samastipur, Bihar

1948. **Shri Ram Bhagat Paswan :**
Shri Ishwar Chaudhury :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether there are only 2 beds for one lakh persons in the Central District in Samastipur, Bihar whereas the population of this dirtrict is 20 lakhs ; and

(b) the steps Government propose to take in this regard and the help given to this hospital by the Central Government during the last three years ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family planing and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) There are 62 beds at present in the Samastipur Hospital, Bihar.

(b) The Government of Bihar is issuing orders sanctioning nine additional beds in the existing space of the Hospital. The question of sanctioning Pathological Laboratory, Dental Clinic, Blood Transfusion Unit, a few posts of specialists, grant of purchase of additional equipment for hospitals including that of Samastipur is under consideration of the State Government. Since 'Medical Care' is the responsibility of the State Government, no financial assistance has been given by the Government of India for the Hospital.

Grant of Scholarships to Harijan Students in Delhi

1949. **Shri Ram Bhagat Paswan :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether monthly scholarshlps are granted to the Harijan students studying from Primary clsases to Higher Secondary classes in Delhi city ; and

(b) if not, whether Government of India whould make arrangement to grant scholarships compulsorily to the Harijan students ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Depa-rtment of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) All Scheduled Caste students whose parents '/guardians' income is less then Rs. 2400/- per annum. are given an annual cash grant provided they pass their annual examination and their conduct has been satisfactory. The rates of the cash grants are :—

Classes V & VI	.. Rs. 30/- p. a.
Classes VII & VIII	.. Rs. 40/- p. a.
Classes IX & X	.. Rs. 50/- p. a.
Classes XI	.. Rs. 60/- p. a.

Apart from this, merit scholarshlps are also given to Scheduled Caste students studying in 9th, 10th and 11th classes in recognised schools in Delhi and secure 55% marks in their annual examinations. The rates of these scholarships are :—

IX Class	.. Rs. 20/- p. m.
X Class	.. Rs. 25/- p. m.
XI Class	.. Rs. 30/- p. m.

हरिजनों का पुनर्वास

1950. **श्री राम भगत पासवान :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन गरीब हरिजनों के मकान नदियों अथवा शमशान घाटों के निकट स्थित हैं उनके पुनर्वास के लिए कोई केन्द्रीय योजना हैं ; और

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वनस्पति घी बनाने के लिए बिनौले के तेल का प्रयोग

1952. **श्री वी० मायावन :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनस्पति घी बनाने के लिए बिनौले के तेल का प्रयोग आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और निर्माताओं को इस तेल को स्वीकार ररने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की आशंका है ; और

(ग) इस परियोजना की सफलता के लिए सरकार को 50,000 टन से भी अधिक खजूर का तेल आयात करना पड़ेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) वनस्पति घी बनाने में बिनौले के तेल का प्रयोग पहले ही किया जाता है इसके प्रयोग की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में लगातार समीक्षा की जाती है । दिसम्बर, 1972 से वनस्पति घी में इस तेल के प्रयोग का सांविधिक न्यूनतम स्तर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है । वनस्पति पर लने उत्पादन शुल्क में छूट देने की प्रोत्साहन योजना द्वारा सांविधिक न्यूनतम स्तर से इसका अधिक प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(ग) वनस्पति घी में बिनौले के तेल का अधिक प्रयोग ताड़ के तेल के आयात पर निर्भर नहीं करना है क्योंकि यह देश में ही उपलब्ध है । तथापि, इस वर्ष देश में खाद्य तेलों की उपलब्धि में कमी होने के संदर्भ में अन्य खाद्य तेलों के अलावा, अब तक 5000 मी0 टन ताड़ का तेल का आयात किया गया है ।

यूनेस्को के महासम्मेलन का 17वां सत्र

1953. **श्री वी० मायावन :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस में हुए 'यूनेस्को' के महासम्मेलन के 17वें सत्र में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया ; और

(ग) किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई, और सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 128।

(ग) विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-3826/72]

नौवहन टनभार में वृद्धि करने के बारे में प्रस्ताव

1954. **श्री वी० मायावन :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी करने की दृष्टि से नौवहन टनभार को 60 लाख टन जी० आर० टी० से बढ़ा कर 100 लाख टन जी० आर० टी० करने लक्ष्य की योजना पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देशों को अब प्रतिवर्ष विदेशी कम्पनियों को 170 करोड़ रुपयों सन् 189 करोड़ रुपयों तक भुगतान करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इनसे सम्बन्धित प्रस्ताव को योजना आयोग ने अनुमोदित कर दिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पांचवीं योजना में नौवहन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

(ख) विदेशी जहाजों को भाड़े के भुगतान के सम्बन्ध में कोई स्ही अनुमान उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस धारणा पर कि देश के समुद्रपार व्यापार के मूल्य क 10 प्रतिशत से भाड़े का भुगतान हो सकेगा और उसमें से भारतीय शिपिंग कम्पनियों की भाड़ आय निकालने के बाद यह अनुमान लगाया गया है कि 1970-71 के दौरान विदेशी जहाजों को अदा किये जाने वाले भाड़े की रकम लगभग 170 करोड़ रुपये होगी।

जलमग्न भूमि तथा खारी मिट्टी में कृषि उत्पादन बढाने से लिए तकनीकी जानकारी

1955. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल मग्न भूमि तथा खारी मिट्टी में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में उपयुक्त तकनीकी जानकारी देने के विशिष्ट प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं तथा इस समस्या को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 1969 में करनाल में केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। इस संस्था ने विशेषकर गंगा के मैदानी भागों में खारेपन से प्रभावित मिट्टी में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास किया। कृषि विभाग भी सुधरी हुई सिंचाई तकनीक के विकास और इन प्रणालियों को अपनाने के फलस्वरूप प्राप्त उच्च उपज के विषय में किसानों को जानकारी देने के लिए सारे देश के चुनींदा कमांड क्षेत्रों में मार्गदर्शी परियोजनायें भी आरम्भ कर रहा है। कुछ परियोजनाओं के अन्तर्गत जल-मग्न क्षेत्रों तथा लवणीय और क्षारीय भूमि की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत 10,000 एकड़ के लगभग भूमि होगी जो मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में होगी जहां अप्रयुक्त सिंचाई साधनों की प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक हो। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान सारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जल की परिस्थितियों वाली जगहों में ऐसी 25 परियोजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है। ये परियोजनायें आधुनिक सिंचाई तकनीक के बारे में तकनीशियनों और किसानों, दोनों ही को प्रशिक्षण भी देती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Preparation of comprehensive Bibliography of Books by National Library Calcutta

1956. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the date when the scheme to prepare comprehensive biblography of books in India was started by the National Library, Calcutta, the progress made so far in this regard and the time by which the said biblography would be made available ;

(b) whether any modern encyclopaedia has been prepared after the encyclopaedia prepared by Mr. Balfour in 1885 concerning India ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Central Reference Library, Calcutta has been bringing out since 1958, Indian National Bibliography of books published in the country on the basis of books received in the National Library. Calcutta under the provisions of the Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 as amended in 1956.

In addition, the National Library, Calcutta started in 1950 a scheme to prepare restospective annotated bibliographies of Indology consisting of 56 volumes. Three such bibliographies have already been published by the Library and five more, which were

entrusted to different scholars, are at present at different stages of compilation. The work of compiling and publishing such bibliographies is a time consuming work. The staff of the National Library for the Bibliographical work is being strengthen and it is hoped that the remaining work will be expedited.

(b) General encyclopaedias in different Indian languages have been published such as the "Hindi Vishwakosh" which has been brought out recently by the Nagri Pracharni Sabha in 12 volumes with some financial assistance from Government.

(c) A list of the encyclopaedias published in India having a good coverage of India, as known to Government, is attached. [Placed in Library. See. No. L. T. 3827/72]

Steps to check Fragmentation of Surplus Land consequent on Imposition of Ceiling

1957. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Wiil the Minister of **Agriculture** be pleased to state the steps proposed to ensure that the land which becomes surplus after imposition of ceiling and distribution should not remain uneconomic holding ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : It is not possible to visualise at this stage the size and nature of the holdings that may become possible to be given to the perspective allottees whose number is likely to be large, till the approximate extent of surplus land is known.

वर्ष 1972-73 के लिये उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम

1958. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के लिये उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दस सूत्री कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) कपास, तिलहन, पटसन आदि विशेष वस्तुओं के लिये अन्य प्रदर्शन कार्यक्रम के सहयोग ले चुनींदा जिलों में पैकेज के आधार पर वृहत प्रदर्शन का कार्यक्रम ।

(2) ग्राम सेवकों, सहकारी सेलमैनों, विस्तार अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को उर्वरकों के सदुपयोग और प्रबन्ध के विषय में प्रशिक्षण देना जिससे कि वे उर्वरकों के प्रभावशाली प्रयोग के बारे में कृषकों की सहायता कर सकें ।

(3) चुने हुए महत्वपूर्ण जिलों में उर्वरकों के सही उपयोग और प्रबन्ध के बारे में कृषकों और कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण देना ।

(4) उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी देने के लिये वैयक्तिक संपर्क, सामुहिक विचार-विमर्श तथा फिल्म, रेडियो और टेलीवीजन आदि द्वारा प्रसार।

(5) महत्वपूर्ण जिलों में उर्वरक मेलों की व्यवस्था करना।

(6) जिलों की मौजूदा मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रभावशाली बनाना, नयी प्रयोगशालाओं को स्थापित करना, चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना और केन्द्र तथा राज्यों में गुण नियंत्रण उपायों को प्रभावशाली बनाना।

(7) उर्वरकों के प्रयोग के लिये किसानों को सहकारी समितियों से मिलने वाले ऋण की सुविधाओं को बढ़ाना।

(8) यथा संभव उर्वरकों के रूप में ही ऋण देना।

(9) प्रत्येक खण्ड में और अधिक विक्रय-केन्द्रों की स्थापना करना।

(10) क्षेत्र के आधार पर वाणिज्यिक बैंक ऋण कार्यक्रम को उर्वरक के प्रयोग से सम्बद्ध करना।

बिहार में रबी की बुवाई में प्रगति

1959. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रबी की बुवाई केन्द्रीय सरकार की परिकल्पना के अनुसार संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो रबी की अभियान को सफल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को क्या सुझाव दे रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि बिहार में रबी की खेती के सम्बन्ध में प्रगति संतोषजनक नहीं है। बिहार सरकार ने रबी की फसल के लिये एक वृहत् आयात अभियान आरम्भ किया है और उसके बाद प्रगति संतोषजनक प्रतीत होती है।

(ख) भारत सरकार ने निम्न-लिखित सिंचाई कार्यक्रमों को कार्यान्विन करने के लिये 17.17 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है :—

(लाख रुपयों में)

(1)	(2)
1. 500 नये आपात कालीन नदी पम्पिंग सैटों की खरीद और उनको चालू करना	87.00
2. 638 विद्यमान राजकीय नलकूपों को चालू करना	200.00
3. 149 कच्चे बांधों का निर्माण करना	18.00

(1)	(2)
4. 1100 सतही प्रवाह सिंचाई के निर्माण कार्यों का सुधार तथा उनका नवीकरण करना	60 00
5. 200 नये राजकीय नलकूपों का निर्माण करना	239.00
6. बड़े व्यास के 1000 कूपों का निर्माण करना	80.00
7. बड़ी नहरों में फीडर नालियों का निर्माण करना	16.00
8. 5000 नल कूपों को बिजली प्रदान करना	200.00
9. 30 'बार्ज-माउन्टिड' नदी पम्पों की स्थापना करना	10.00
10. सोन नहर के ऊपरी भागों में पम्पों की स्थापना करना	35.00
11. जहां भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही में विलम्ब के कारण नालियों का निर्माण नहीं हो सका, ऐसे स्थानों पर राजकीय नलकूपों से पानी के वितरण के लिए एल्यूमिनियम के नलों की खरीद करना	10.00
12. (i) बम्बू बोरिंग (ii) हैन्ड पम्प (iii) कैविटी बोरिंग	100.00
13. अनुषंगी उपकरणों सहित 6 नये रिगों की खरीद तथा 3 वर्तमान रिगों के लिए अनुषंगी उपस्करों की खरीद करना।	54.00
14. 300 राजकीय नलकूप	308.00
15. राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से नल कूपों को बिजली प्रदान करना।	300.00
योग	1,717.00

17.17 करोड़ रुपये की इस स्वीकृति धन राशि में से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को 429.50 लाख रुपये की धन राशि दी जा चुकी है। इससे अतिरिक्त बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों आदि कृषि आदानों के लिये अल्पावधि ऋण के रूप में 7 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

बिहार औषधि निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा को आयुर्वेदिक औषधियों की सप्लाई

1960. **श्री भोगेन्द्र झा : स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी स्थित मिथिला लेबोरेटरीज तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं ने आयुर्वेदिक औषधियों की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली) को अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) इस फर्म में अर्थात मेसर्ज मिथिला

लेबोरेटरीज, मधुबनी, जिला दरभंगा, बिहार ने 4/19 आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा सामग्री भण्डार (आयुर्वेदिक) की आयुर्वेदिक दवाइयां सप्लाई करने के लिये लिखा था। इस फर्म को दवाइयां देने के लिये अनुमोदित मंजूर नहीं किया गया। क्योंकि इस के पास —

(क) दो वर्ष तक आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार करने का प्रमाण पत्र नहीं था।

(ख) पिछले दो वर्षों से सरकार को दवाइयां सप्लाई करते रहने का प्रमाण पत्र नहीं था।

(ग) बिहार राज्य के आयुर्वेद निदेशक से "कोई शिकायत नहीं" इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं था।

इसके अलावा उक्त फर्म ने सरकार को माल सप्लाई करने के बारे में निम्नलिखित शर्त रखी थीं, जो स्वीकार्य नहीं थीं :—

(I) दवाइयों की आपूर्ति की तारीख से 15 दिन के अन्दर-अन्दर पैसे का भुगतान।

(II) माल को डिपो परिसरों में न पहुंचा कर केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ही पहुंचाना।

उत्तर प्रदेश में जमानत पर दिए गए ऋण के ब्याज की अधिक दर

1961. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री ब्याज की दर के बारे में 25 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात का औचित्य तथा कारण क्या हैं कि उत्तर प्रदेश ने जमानत पर दिए गए ऋण की ब्याज की दर 12 प्रतिशत तथा जमानत रहित ऋण की ब्याज की दर 24 प्रतिशत रखी हुई है तथा क्या राज्य सरकार को ब्याज की दर में कमी करने की सलाह देने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) इसका ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त किया जा रहा है। यह सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

छोटे किसानों, काश्तकारों और कृषि श्रमिकों को ऋण

1962. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री छोटे तथा सीमान्त किसानों को दी गई धनराशि के सम्बन्ध में 24 अप्रैल 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3630 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और सीमान्त किसानों, काश्तकारों और कृषि श्रमिकों को सहकारी समितियों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) बिहार, उत्तर प्रदेश और आसाम द्वारा काश्तकारों तथा कृषि श्रमिकों को कोई सहकारी ऋण न दिये जाने का क्या कारण है और क्या इसके लिये राज्य सहकारी अधिनियम

तथा नियमों के अन्तर्गत रोक लगी हुई है ; यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या छोटे किसानों और काश्तकारों को धन देकर सहकारी अधिनियमों में परिवर्तन करके संस्थागत ऋण देने में कोई सफलता मिलने की सम्भावना है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) नवीनतम जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार आसाम और उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों ने काश्तकारों और कृषि श्रमिकों को ऋण दिये हैं । बिहार में भी निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिए गए हैं, परन्तु दिये गए ऐसे ऋणों की मात्रा के बारे में इस समय ठीक-कीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) आशा है सहकारी संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फसल ऋण और सामूहिक ऋण आदि के सम्बन्ध में उदारतापूर्वक ऋण देने की प्रणाली को सक्रिय रूप देने से भविष्य में छोटे किसानों और काश्तकारों को अधिक से अधिक ऋण प्राप्त हो सकेगा ।

विवरण

(क) सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ऋण :

वर्ष 1970-71 के दौरान केवल 16 राज्यों (मणिपुर सहित) और 3 संघ राज्य क्षेत्रों से सहकारी समितियों द्वारा छोटे किसानों, काश्तकारों और कृषि श्रमिकों को दिए गए ऋण के आंकड़े प्राप्त हुए हैं । उन्होंने निम्न प्रकार से ऋण दिए हैं :

	(रुपए लाखों में)
(i) एक हैक्टर तक की जोत वाले किसान	5836.25
(ii) एक से दो हैक्टर तक की जोत वाले किसान	9010.72
(iii) काश्तकार तथा कृषि श्रमिक आदि	2591.81
कुल :	17438.78

वर्ष 1970-71 के दौरान इन राज्यों में प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा दिए गए 557 करोड़ रुपए के कुल ऋण का यह 31.3 प्रतिशत भाग था ।

(ख) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों से :

दिसम्बर, 1971 के अन्त तक जोतों के आकार के अनुसार खाता की संख्या और बकाया रकम नीचे दी गई है :

ब्यौरा	5 एकड़ तक	5 एकड़ से अधिक	कुल
1. खातों की संख्या (लाखों में)	2.94	2.21	5.15
2. बकाया रकम (करोड़ों में)	30.85	105.88	136.73

Central Assistance to check cattle diseases in M. P.

1963. **Shri G. S. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the assistance provided by Government for various development schemes of formulated by Government of Madhya Pradesh to check diseases among cattle ; and

(b) if no assistance has been provided the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) For the control of most important disease of cattle *viz.*, Rinderpest, the Government of India is providing financial assistance to the Government of Madhya Pradesh to the tune of Rupees 20.00 lakhs during the Fourth Plan period. A sum of Rupees eight lakhs has been spent during the last two years and rupees five lakhs have been allocated for the current financial year.

(b) Does not arise.

Protection of Foreign Breed bulls from Therperia and Anaplasm

1964. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the arrangements made to protect foreign breed cattle and their cross breed from Therleria and Anaplasm diseases ; and

(b) whether injections for these are now being produced in India ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Research work for the development of effective vaccines against Therleriasis and Anaplasmosis has been intensified in our country, since imported vaccines have not given encouraging results under Indian conditions.

(b) No, Sir.

केन्द्रीय सरकार से पटना में गंगा पर पुल के निर्माण की सलाह

1965. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिये ठेका दिये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार से सलाह मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या सलाह दी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) पटना में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल, बन जाने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा। अतः बिहार सरकार उक्त पुल सम्बन्धी सभी मामलों से मुख्यतः सम्बन्धित है। राज्य सरकार ने प्रश्नगत पुल के निर्माण के लिये ठेका देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई राय नहीं मांगी है। परन्तु उन्होंने एक तकनीकी एवं एक निविदा समिति बनायी थी जिसे ठेके देनेका कार्य सौंपा गया था और जिसमें राज्य सरकार के अनुरोध पर कुछ समय पूर्व नौवहन और परिवहन मंत्रालय में एक मुख्य इन्जीनियर को सदस्य के रूप में नामांकित किया था। समिति को उसकी सलाह व्यक्तिगत रूप में ही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त एशोसिएशनों/युनियनों को स्थान देना

1966. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्श दात्री व्यवस्था के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद में किये गये निर्णय के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त ऐसोसियेशनों/यूनियनों को कार्यालय/रिहायशी स्थान देने पर सरकार सहमत हो गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ऐसोसियेशनों/यूनियनों ने रिहाइश के लिये स्थान आवंटित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुछ यूनियनों/एसोसियेशनों का रिहायशी स्थान आवंटित करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) संयुक्त परामर्श मशीनरी के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों के आधार पर सरकार ने आवास उपलब्ध होने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं/यूनियनों को कार्यालय के प्रयोजन के लिये आवास देने का फैसला किया है, परन्तु रहने के प्रयोजन के लिये नहीं।

(ख) दिल्ली में सामान्य पूल से रिहायशी मकानों के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) रिहायशी मकानों की अत्याधिक कमी के कारण दिल्ली में सामान्य पूल से रिहायशी मकानों को कार्यालय रूप में प्रयोग करने के लिए संस्थाओं/यूनियनों से प्राप्त अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है।

विज्ञान प्रतिभा छात्रवृतियाँ देने में क्षेत्रीय असमानता

1967. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री भोला मांझी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान प्रतिभा छात्रवृतियां देने में क्षेत्रीय असमानता, वहां की प्रवृत्तियां तथा उनके कारणों का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्तियों के वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) अधिक सन्तुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या पिछले वर्षों की प्रवृत्ति में 1972 में काफी मोड़ आया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3828/72]

(ग) 1968 से प्रश्न-पत्र प्रादेशिक भाषाओं में लिखे जा रहे हैं, जिससे इस योजना के अन्तर्गत परीक्षा में प्रत्याक्षी भी भाग ले सके, जिनके स्कूल की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा है। इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार भी किया जा रहा है।

(घ) जैसा कि उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में संलग्न किए गए विवरण से पता चलेगा, बहुत से राज्यों में स्थिति का सुधार हुआ है तथा राज्यों/संघ क्षेत्रों के बीच छात्रों का अधिक संतुलित वितरण हो रहा है। दिल्ली संघ क्षेत्र, जिसने 1971 तक सभी परीक्षाओं में छात्रवृत्तियों का 25 प्रतिशत से अधिक भाग प्राप्त किया था। 1972 की परीक्षाओं में 9.8% प्राप्त किए हैं।

नौरोजी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में पावर कनैक्शन

1968. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौरोजी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में पावर कनैक्शन प्रदान किये जाने हेतु नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्वीकृत बहुत से आवेदन पत्र उनके मंत्रालय के पास अनिर्णित पड़े हैं, यदि हां तो आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और ये किन महीनों में प्राप्त हुए थे ;

(ख) क्या पावर कनैक्शनों के लिये संस्थान प्रभार सरकार को नई दिल्ली नगर पालिका के पास जमा करना होता है, यदि हां, तो प्रत्येक क्वार्टर के लिये सरकार को कितनी राशि जमा करनी आवश्यक है ; और

(ग) अपेक्षित राशि जमा करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चालू वर्ष में समय-समय पर 21 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। तथापि निधियों के अभाव के कारण जुलाई, 1972 के अन्त तक कार्य का निष्पादन आरम्भ करना सम्भव नहीं था। तब से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 18 क्वार्टरों में कार्य पूर्ण कर लिया है, तथा मीटर लगवाने के प्रभारों के लिए आवश्यक रकम शीघ्र ही नई दिल्ली नगरपालिका में जमा करा दी जायगी। जिन तीन मामलों में नई दिल्ली नगरपालिका ने मई 1972 में स्वीकृति दी थी, कार्य अभी आरम्भ किया जाना है।

(ख) जी, हां। प्रत्येक क्वार्टर के लिये औसतन 70 रुपये जमा करना अपेक्षित है।

(ग) जिन मकानों का कार्य पूर्ण हो चुका है उनके लिए रकमें एक महीने में जमा कर दी जायेंगी।

गर्भपात के मामले

1969. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकारी रिकार्ड में राज्यवार गर्भपात के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ;

(ख) उनका क्षेत्र बार ब्यौरा क्या है ;

(ग) गतवर्ष की तुलना में इन मामलों की स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) गर्भपात के सभी मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है। पहली अप्रैल, 1972 से 30 सितम्बर, 1972 तक गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम के अन्तर्गत कितने गर्भों को समाप्त किया गया, इनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी०-3829/72]

(ख) सभी मामलों की अलग-अलग संख्या उपलब्ध नहीं है। गर्भ समापन के 3664 मामलों का विश्लेषण किया गया है और इससे पता चला है कि इन मामलों में 85 7 प्रतिशत हिन्दू, 6.3 प्रतिशत मुसलमान, 6.9 प्रतिशत ईसाई तथा 1.1 प्रतिशत अन्य थे।

(ग) पिछले वर्ष के कुल गर्भपात के मामलों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

परीक्षा पद्धति में सुधार

1970. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परीक्षा पद्धति में सुधार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) पिछले सत्र में नियुक्त केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर, नई दिल्ली में, 18-19 सितम्बर 1972 को हुई 36वीं बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा परीक्षा सुधार से सम्बन्धित कार्यक्रम की सिफारिश की गई है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3830/72]

भारतीय कृषि अनुसंधान में कार्य कर रहे केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय के प्रतिनियुक्त कर्मचारी

1971. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालयों के बहुत से अधिकारियों और कर्म-

चारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रतिनियुक्त किया गया है ; और

(ख) क्या प्रतिनियुक्ति वेतन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को बचाने के लिये सरकार के सम्बन्धित नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्तियों को सीमित करने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में इस समय भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग तथा अन्य संगठित लेखा विभागों के 40 व्यक्ति विभिन्न ग्रेडों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त परिषद में लेखा विभागों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी कुछ संख्या में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) परिषद के तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को लेखा तथा लेखा परिक्षा में प्रशिक्षण देने के लिये एक योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। डेढ़ वर्ष के प्रशिक्षण के बाद योजना के अधीन मई, 1972 में प्रथम परीक्षा ली गई थी और 35 कर्मचारियों को इसमें सफलता प्राप्त हुई। उन्हें लेखा परीक्षा तथा लेखा स्कन्ध में उत्तरदायित्वपूर्ण कनिष्ठ पदों पर परखा जा रहा है और आशा है कि पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेने पर उन्हें निकट भविष्य में पर्यवेक्षी पदों के लिये चुन लिया जायेगा।

सन् 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के फलस्वरूप सरकार तथा पण्य समितियों के अधीन कार्य करने वाले विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के अन्तर्गत आ गये हैं। अतः परिषद तथा विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के लेखे को संकलित तथा समेकित करने के कार्य का उत्तरदायित्व भी परिषद पर ही है। पुनर्गठन से पूर्व यह कार्य सम्बन्धित महालेखाकार का था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-नियमों में आगे यह भी निर्धारित है कि परिषद की निधि से की जाने वाली प्रत्येक अदायगी की पूर्व-लेखा परीक्षा कर ली जायेगी। इस प्रकार परिषद का लेखा तथा परीक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्व कई गुना बढ़ गया है और इस कार्य के लिये अर्हतायुक्त कर्मचारी परिषद में उपलब्ध नहीं हैं। अत. परिषद को इस कार्य के लिये संविहित लेखा विभागों तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर निर्भर करना पड़ा।

गाँवों और कस्बो से गुजरने वाले राजपथ तथा उनके लिये बाहरी सड़क बनाना

197?. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राजपथों की संख्या क्या है जो गावों अथवा कस्बों के बीच से निकलते हैं क्योंकि इन गावों अथवा कस्बों के बाहर सीधी सड़क नही है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे गाँवों और कस्बों के बहार से बहारी सड़के बनाई है, यदि हां तो उनकी संख्या क्या है तथा अभी बनाई जाने वाली बाहरी सड़कों की संख्या क्या है ; और

(ग) शेष बहार से गुजरने वाली सड़कें कब तक बन जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) (क) देश में पचपन राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये सब इन मार्गों पर पड़ने वाले गांवों और शहरों से निकलते हैं।

(ख) और (ग). भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि उन सभी गांवों और शहरों जहां से वे गुजरती हैं के बाहर आवश्यक रूप से उपमार्ग और बदल मार्ग की व्यवस्था करे। भीड़-भाड़वाले स्थानों पर उपमार्गों की व्यवस्था की जाती है या ऐसे स्थानों पर उपमार्ग की व्यवस्था की जाती है जहां यातायात अधिक होता है। 1968 में किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ कि 328 ऐसे स्थान है जहां उपमार्ग या बदल मार्ग की आवश्यकता है। 125 उपमार्गों के निर्माण के लिये और या भूमि अधिग्रहण चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। शेष उपमार्गों का पांचवी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ताकि उनकी आवश्यकता अभिनिश्चित की जा सके और अन्तिम चुनाव पारस्परिक प्राथमिकता और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

Free Education up to Higher Secondary in Centrally Administered Areas

1973. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to State :

(a) whether Government have under consideration any scheme under which free education would be given at least upto Higher Secondary Stage in the Centrally Administered areas ; and

(b) if so, the outlines of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Demand for construction of a Bridge near Shantiban, Delhi

1974. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to State :

(a) whether a demand has been made by the residents of Shahdara for the construction of a bridge near Shantivan to facilitate the movement of traffic ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) and (b). There is provision for the construction of one more bridge across the river Jamuna in the Fourth Five Year Plan of the Delhi Administration. The exact location for constructing this bridge is under study with the Delhi Administration.

Increase in Amount of Scholarships to S. C. and S. T. Students

1975. **Shri Dhan Shan Pradhan :**
Shri Bhagirarh Bhanwar :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be peleased to state :

(a) whether Government have increased the amount to be paid as scholarship for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Adivasi Tribes and backward classes due to increase in the cost of living ; and

(b) if so, the extent of increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) Under the Centrally sponsored

Scheme of Post-matric Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the rates of maintenance charges have been increased by 50% for meritorious students *i.e.* those who secure at least 60% marks in their final examination and study full time courses. The Government propose to increase suitably the rates of these scholarships for other students.

Scholarships for students belonging to the other Backward Classes and to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for pre-matric courses are awarded by State Governments, and the rates are fixed by them.

Use of Tight Pants and Mini Skirts in Educational Institutions

1976. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether tight pants and mini skirts are in vogue in educational institutions ; and

(b) if so, whether Government propose to take any appropriate action after considering the matter so that Indian culture could be promoted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) (a) and (b) It is for the educational institutions to prescribe dress regulations, if they so desire, for students attending the institutions. Govt. are aware that young generation do prefer tight pants. They are, however, not sure whether mini skirts are generally in vogue.

Dress worn by youth today all over the world is undergoing fast changes and Indian youth is some time influenced by new ideas. Many fashions originating in India have also become popular with young people in other parts of the world.

The foundation of Indian culture is strong enough to withstand the minor changes in fashion and Government interference does not appear necessary.

पांचवी योजना अवधि में गांवों में सड़कों का निर्माण

1977. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में गांवों में सड़कों के निर्माण के लिये किसी विशेष व्यवस्था पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता)

(क) इस समय पांचवी पंचवर्षीय योजना की तैयारी की जा रही है। अतः ग्रामीण सड़कों के निर्माण सम्बन्धी प्रबन्धों के बारे में कुछ कहने में समय लग सकता है। तथापि ग्रामीण सड़कें मुख्यरूप से राज्य का विषय है और यह राज्य के क्रियाकलापों के क्षेत्र में आती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत तीन वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाएं और उन्हें कम करने के लिए की गई कार्यवाही

1978. **श्री एस० एम० शिवस्वामी :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) देश में दुर्घटनाओं की प्रतिशतता कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) 1969,1970 और 1971 वर्षो के दौरान भारत में मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 110,824,114,449, और 125, 772 थी। 1972 वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ग) सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये राज्य सरकार और संघ प्रशासनों द्वारा उठाये गये या प्रस्तावित कदम निम्न प्रकार से हैं :—

(1) बड़े-बड़े शहरों में यातायात सप्ताहों का आयोजन किया जाता है।

(2) सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में पाठशालाओं में भाषण दिये जाते हैं।

(3) चल चित्रों द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार किया जाता है ;

(4) रफतार रोक लगाये जाते हैं।

(5) नौवहन और परिवहन मंत्रालय का सड़क पक्ष, राष्ट्रीय राज मार्गों पर उन स्थानों का अध्ययन करता है जहाँ अधिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं ताकि उस सीमा तक जहाँ तक कि सड़क पद्धति में कमियों के कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें कम करने के लिये इंजीनियरी समाधान प्रस्तुत किये जा सकें। पुनर्संरेखण सहित ज्यामिति में सुधार तंग स्थानों पर उप-मार्गों के पुर्नवर्गीकरण और वाहन द्वारा मार्गों को चौड़ा करके मौजूदा संरेखणों पर खतरनाक और अधिक दुर्घटना वाले खंडों को दूर करने के लिये उपलब्ध धन के अनुसार चतुर्थ योजना में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

(6) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सड़क सुरक्षा अध्ययन दल ने सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को घटाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिये कई सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में और भी सहायता मिलने की आशा है।

कोचीन शिपयार्ड के प्राधिकारियों को संरचनात्मक इस्पात तथा राउन्डों का आयात करने की अनुमति

1979. **श्री एस० एस० शिवस्वामी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन शिपयार्ड के प्राधिकारियों को शिविल निर्माण कार्यों के लिये आवश्यक 6000 टन संरचनात्मक इस्पात तथा राउन्डों का आयात करने की अनुमति देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ; और

(ग) शिपयार्ड में काम सम्भवत: कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हाँ। 5760 टर इस्पात के आयात के लिये सरकार सहमत हो गई है।

(ख) सिविल इंजीनियरी कार्यों के लिये प्रस्तावित आयातों के लिये मोटी रूप रेखा निम्नप्रकार से है :—

1. माइल्ड इस्पात टीम		550 टन
2. माइल्ट इस्पात चैनल		670 टन
3. माइल्ड इस्पात एंगल		1770 टन
4. माइल्ड इस्पात प्लेट		900 टन
5. माइल्ड इस्पात राउंड		870 टन
6. विकृत छड़े (टोरस्टील)		1000 टन
	कुल	5760 टन

उपर्युक्त क्रमादेश का सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 72 लाख रुपये होने का अनुमान है।

(ग) विभिन्न तारीखों को पुरे किये जाने के लिये कई कार्यों का कार्यक्रम है। मौजूदा प्रत्याशा के अनुसार शिपयार्ड के सितम्बर, 1975 तक समग्ररूप से तैयार हो जाने की संभावना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन का विकास

1980. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन का विकास करने के लिये कोई विशेष उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने विस्तृत कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) जी हाँ।

(ख) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) 116 सघन अण्डा और कुक्कुट उत्पादन-एवं विपणन परियोजनाओं की स्थापना की गई है। प्रत्येक परियोजना 300 किसानों के लिये कार्य करेगी। वर्ष 1973-74 में 9 और ऐसी परियोजनाओं की स्थापना की जायेगी।

(ii) देहाती/शहरी क्षेत्रों में जो कुक्कुट उत्पाद बिक नहीं पाते हैं, उनकी बिक्री की दृष्टि से एक राष्ट्रीय अण्डा विपणन संघ की स्थापना के लिये कदम उठाये गये है। यह कार्यक्रम सहकारी विकास निगम के तत्वावधान में कार्यान्वित किया जायेगा।

(iii) लघु कृषक विकास एजेन्सियों और सीमान्त कृषक विकास एजेन्सियों में विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत इनके कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को कुक्कुट पालन तथा अतिरिक्त पूरक पेशे अपनाने के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है। लघु कृषक योजनाओं के सम्बन्ध में लागत पूंजी पर ?5 प्रतिशत सीमान्त कृषक योजनाओं के मामले में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत और आदिवासी विकास परियोजनाओं के मामले में 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। सितम्बर, 1972 के अंत तक लघु कृषक योजनाओं के अन्तर्गत 1868 और सीमान्त कृषक योजनाओं के अन्तर्गत 3236 कुक्कुट एककों को सहायता प्रदान की गई है।

संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिये कदम

1981. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या शिक्षा **और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृत विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : देश में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :—

1. संस्कृत नाटकों के अभिनय, संस्कृत पढ़ाने के लिए रात्रि कक्षाएं आयोजित करने, संस्कृत पत्रिकाएं और संस्कृत में भूल तथा सृजनात्मक लेख प्रकाशित करने, सम्मेलन, सेमिनार आयोजित करने तथा संस्कृति कवियों के सम्मान में जयन्तियां मनाने इत्यादि के लिये स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. आकाशवाणी, संगीतमय संस्कृत स्तोत्र, वैदिक-पाठ, वार्ताएं, कविताएं, नाटकों को रुपान्तर, बाल्मिकि रामायण, महाभारत आदि काल का पाठ, बेंण्य पद्य और गद्य की महत्वपूर्ण रचनाएं और विभिन्न मौलिक कृतियों के उद्धरण, प्रादेशिक-भाषाओं में उनकी व्याख्या के साथ प्रसारित करता है।

बम्बई, पूना, भोपाल, इन्दौर, पटना, रांची, जयपुर और वानाजी स्टेशनों से संस्कृत पाठ और समय-समय पर समाचार-समिक्षाएं भी प्रसासित की जाती हैं ; संस्कृत साहित्य की विभिन्न पहलुओं पर हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में वार्ताएं भी आयोजित की जाती हैं।

3. सारे देश में प्रत्येक वर्ष श्रावण, पूर्णिमा पर संस्कृत दिवस मनाया जाता है।

4. शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय संस्कृत वाकपटुता प्रतियोगिता और वैदिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

5. शैक्षिक और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए स्वैच्छिक संस्कृत संगठन को अनुसंधान उपलब्ध किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने कुछ संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किये गये हैं, जो प्रौढ़ों को संस्कृत पढ़ाने के लिए सामग्री संबधित करने की सभावना पर विचार कर रहे हैं।

उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम के लिये जिलों को चुनने का मापदण्ड

1982. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम के लिए 70 जिलों का चुनाव करते समय क्या मापदण्ड अपनाया गया ; और

(ख) उत्तर प्रदेश में चुने गए जिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) उर्वरक परिवर्धन कार्यक्रम के जिलों का चुनाव करते समय उनमें उर्वरकों के प्रयोग की सापेक्ष क्षमता और तीनों पोषक तत्वों के असन्तुलित प्रयोग की मात्रा आदि पर विचार किया गया है।

(ख) वर्ष 1972-73 के लिए वाराणसी और हरदोई और वर्ष 1973-74 के लिए एटा, आगरा, झांसी, उन्नाव और हमीरपुर जिलों का चयन किया गया है।

राज्यों में बिजली की कमी आदि के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट

1983. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री आर. वी० बड़े :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने, भारतीय बीज निगम द्वारा घटिया किस्म के बीज सप्लाई किये जाने तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली मूल्य कम निश्चित किये जाने के कारण आगामी रबी फसल से विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन में 30 प्रतिशत गिरावट हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्या कदम उठाये गये हैं जिससे उत्पादन में कमी न हो ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख) रबी की फसल की बुवाई की जा रही है और उत्पादन की सम्भाव्यताओं के बारे में अभी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। फिर भी, न तो राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किये गये बीज ही घटिया किस्म के हैं और न गेहूं का वसूली-मूल्य ही कम समझा जाता है। निस्सन्देह, कुछ राज्यों में बिजली की आम कमी है, किन्तु कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। आयात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें भी जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध में खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्यक्ष के विचार

1984. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में व्यक्त किए गए इन विचारों से सहमत है कि विकासशील देशों को भूमि सुधारों, आय के उचित वितरण, रोजगार, जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने तथा कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं के मिलने की उचित व्यवस्था पर बल देते हुये ग्रामीण क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए।

(ख) क्या इस दिशा में कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या खाद्य तथा कृषि संगठन उपरोक्त कार्य में अपना सहयोग देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी॰ शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां सामान्यतः सघन ग्रामीण विकास के लिए एक टास्क फोर्स है, जो विभिन्न भूमि तथा जल संसाधनों के विकास सम्बन्धी कार्य कर रही है। वे नहर कमाण्ड क्षेत्रों के सघन विकास पर एक अंतरिम रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ग) महानिदेशक ने कहा कि वह और कार्यक्रमों के सम्बन्ध से कोई वायदा नहीं कर सकते, किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पद मदों पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए उठाये गये कदम

1985. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य तेलों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी॰ शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) कमी को पूरा करने के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। इनमें परम्परागत तिलहनों और ग्रीष्म कालीन मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने, सूर्यमुखी और सोयाबीन जैसे अपारम्परिक तिलहनों की कृषि को बढ़ावा देने, बिनौले के तेल, चावल के छिलकों के तेल और पेड़ों से प्राप्त होने वाले गौण तिलहनों के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास सम्मिलित है। इसके अलावा, जहां तक उचित है तोरिया, सोयाबीन के तेल, खजूर के तेल और टैलों जैसे तिलहनों। तेल का भी आयात करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

वर्ष 1972 के दौरान केरल को सेला और अन्य प्रकार के चावल (रा राइस) की सप्लाई

1986. श्री के० पी० उन्नी कृष्णन :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केरल को केन्द्रीय पूल से अन्य प्रकार का चावल अधिक मात्रा में सप्लाई किया गया था, सेला चावल नहीं, जिसका राज्य सरकार ने अनुरोध किया था ;

(ऊ) जनवरी से अक्तूबर, 1972 तक केरल को कितना सेला तथा अन्य प्रकार का चावल सप्लाई किया गया ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पीं० शिंदे) : (क) से (ग) भारत सरकार केरल की यथा सम्भव अधिक से अधिक सेला चावल सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है । केन्द्रीय पूल में उपलब्ध सेला चावल के सीमित स्टाक में से केरल को जनवरी से अक्तूबर, 1972 तक लगभग दो लाख मीटरी टन सेला चावल सप्लाई किया गया है । उक्त अवधि के दौरान सप्लाई किए गए कच्चे चावल की मात्रा लगभग 4.64 लाख मीटरी टन थी । देश में सेला चावल का उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

केरल में नकदी फसलो के मूल्य में गिरावट

1987. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान केरल में नारियल, सुपारी, काली मिर्च और अदरक सरीखी नकद फसलों के मूल्य में लगातार हो रही गिरावट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस संकट फो दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या केरल सरकार ने हाल में इस प्रश्न को कृषि मन्त्रालय के समक्ष उठाया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पीं०शिंदे) : (क) जी हां । सरकार को इन जिन्सों के मूल्यों के रुख के बारे में जानकारी है ।

(ख) मूल्यों में गिरावट मुख्यत: हाल ही के वर्षों में उत्पादन में वृद्धि होने किन्तु मांग में उतनी वृद्धि न होने के कारण है । काली मिर्च जैसे निर्यात जिन्सों के मूल्यों पर भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है । नारियल के सम्बन्ध में, राज्य के महत्वपूर्ण नारि-

यल उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादकों को प्राप्त होने वाले नारियल के मूल्यों के रुख को मुख्यरूप से ध्यान में रखते हुए नारियल की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मन्त्रालय ने मार्च, 1972 में अधिकारियों के एक दल की नियुक्ति की। उसकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महसूस किया है कि उपयुक्त विपणन सहायता देने में नारियल निगम की स्थापना सहायक सिद्ध होगी और मालूम हुआ है कि इस मामले की ओर केरल सरकार ध्यान दे रही है। कोप्रा का आयात हाल ही के वर्षों में काफी कम हो गया है और दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भावी आयात नीति निश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्य के महत्वपूर्ण नारियल उत्पादक क्षेत्रों में नारियल परिष्करण के लिए इकट्ठे कारखाने लगाने के प्रश्न के बारे में केरल सरकार को लिखा है। प्रति एकक क्षेत्र की उत्पादकता की वृद्धि और नारियल के रुग्ण पौधों को ठीक करना आदि सुझाए गए कुछ दीर्घकालीन उपायों की ओर भारत सरकार और केरल सरकार ध्यान दे रही है।

सुपारी के सम्बन्ध में भी विपणन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केरल सरकार ने सुपारी की स्थिति पर ध्यान देने और उपायों का सुझाव देने के लिए हाल ही में एक समिति नियुक्त की है। काली मिर्च और अदरक के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां। केरल सरकार ने कुछ समय पहले राज्य की मुख्य नकदी फसलों के मूल्यों में गिरावट के बारे में मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित किया था।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अन्य शहरों में लागू करना

1988. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के देश को अन्य शहरों में भी लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये शहर कौन कौन से हैं ; और

(ग) क्या चौथी योजना के दौरान कुछ और शहरों में भी योजना लागू की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केंद्रीय स्वास्थ्य योजना को सबसे पहले 1954 में दिल्ली में चलाया गया था। द्वितीय वेतन आयोग, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी चलाया गया है।

(ख) 1954 में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना को दिल्ली में चलाने के उपरान्त, दिल्ली/नई दिल्ली के अतिरिक्त निम्नलिखित शहरों में भी कुछ योजना को चलाया गया है :—

(i) बम्बई : यह योजना 7 नवम्बर, 1963 को लागू की गई।

(ii) इलाहाबाद : यह योजना 25 मार्च, 1969 को लागू की गई।

(iii) मेरठ : यह योजना 17 जुलाई, 1971 को लागू की गयी ।

(iv) कानपुर : यह योजना 17 जुलाई, 1972 को लागू की गई ।

(v) कलकत्ता : यह योजना पहली अगस्त, 1972 को लागू की गई ।

(ग) उपरोक्त शहरों में इस योजना के विस्तार / समेकन के अतिरिक्त इसे चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शहरों में भी लागू किया जायेगा :—

(i) मद्रास

(ii) नागपुर

जामा मिलिया नई दिल्ली के छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए उठाये गये कदम

1989. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामिया मिलिया, नई दिल्ली के छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इस संस्था को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरूल हसन) : (क) जामिया के प्राधिकारियों ने जामिया मिलिया के छात्रों के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त हुई मांगों पर, प्रतिनिधियों के साथ 28 अगस्त, 1972 को विचार विमर्श किया था। आपसी पमामर्श के फलस्वरूप सभी जायज मांगें स्वीकार कर ली गई थीं। उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान भत्ते में वृद्धि

1990. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान भत्ते में वृद्धि करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या सरकार ने अब तक अंतिम निर्णय ले लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियजोन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) सामान्य पूल में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों की कमी तथा भूमि, निधियों तथा भवन-निर्माण सामग्री आदि की कमी के कारण अधिक

मकानों के निर्माण की परिसीमाओं के संदर्भ में उन लोगों का मकान-किराया भत्ता बढ़ाने के लिए कुछ सुझावों पर विचार किया गया था, जिन्हें सरकारी मकान नहीं दिये गए हैं। तथापि, क्योंकि इस प्रश्न की तीसरे वेतन आयोग द्वारा जांच किये जाने की आशा है, इसलिए उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी।

रामेश्वरम् द्वीप को मिलाने वाला पाम्बन के ऊपर सड़क पुल

1991. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रामेश्वरम् द्वीप को मिलाने वाले पाम्बन के ऊपर सड़क पुल के निर्माण की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) योजना की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) पामबन के ऊपर रामेश्वरम् द्वीप से जोड़ने वाले सड़क पुल की निर्माण संबंधी परियोजना, 532.87 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई है। मुख्य पुल के लिये टेंडर मांगे गये हैं। टेंडरों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख 24 जनवरी, 1973 है। इनके फैसले के बाद ही पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा।

तमिलनाडु के रामनाड जिले में सेतुसमुद्रम परियोजना

1992. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के रामनाड जिले में सेतुसमुद्रम परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कार्य कब शुरू होगा ; और

(ग) इस परियोजना की लागत क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। परियोजना की शक्यता अभी तक स्थापित नहीं की गई है और यही कारण है कि इसे चौथी योजना के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं की परियोजना में स्थान नहीं मिल पाया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

1972 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई वसूली गोदामों के लिये व्यवस्था

1993. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी वसूली की गई है ;

(ख) क्या उन्हें गोदामों में रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) कीड़ों तथा चूहों से होने वाली हानि को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां, तथापि, भारी अधिप्राप्ति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक खरीदारी करने के कारण अतिरिक्त अस्थायी भण्डारण स्थान की आवश्यकता होती है जिसके लिए कवर एण्ड प्लिथ स्टोरेज की व्यवस्था की जाती है।

(ग) तथा सम्भव खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों तथा केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगमों में रखा जाता है। ये गोदाम चूहे तथा नमी से सुरक्षित होते हैं। अन्य कीड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए तकनीकी दृष्टि से योग्य व्यक्तियों द्वारा नियतकालिक निरीक्षण किये जाते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है, स्वीकृत कीटनाशक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

चालू वर्ष में अब तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई अधिप्राप्ति को बताने वाला विवरण।

	(हजार मी० टन में)
	खरीफ के खाद्यान
खाद्यान्न	(1-11-72 से 15-11-72 तक)
चावल तथा चावल के हिसाब से धान	230.3
मक्का	1.7
बाजरा	—
दालें (उरद तथा मूंग)	5.0
जोड़ :—	237.0
	रबी के खाद्यान्न
	(अप्रैल 72 से 15 नवम्बर, 1972 तक)
गेहूं	1556.7
जौ	7.8
चना	65.5
दालें (अरहर, तर तथा मसूर)	5.6
जोड़ :—	1635.5

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना

1994. **श्री वेंकटासुब्बया :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की एक योजना बनाई गई है, यदि हां, तो इसके लिए कितना रुपया नियत किया गया है ;

(ख) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। अक्तूबर 1971-72 में एक योजना बनाई गई थी तथा 4.41 करोड़ रुपये का निर्धारण रखा गया था। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना

	1971-72		1972-73
	स्वीकृत	नियुक्त किए गए	स्वीकृत
प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक	30,000	27,950	30,000
स्कूलों के निरीक्षक	240	164	240
कार्य अनुभव के अध्यापक	1,000	367	1,000

टिप्पणी : राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को 1972-73 के लिए ये निर्धारण जून, 1972 में किये गए थे तथा वे इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा कोचीन पत्तन में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने का सुझाव

1995. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कोचीन पत्तन को पत्तन के रूप में बनाये रखने के लिए वहाँ उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) ज्ञात हुआ है कि केरल सरकार के अनुरोध पर, विदेश व्यापार के भारतीय संस्थान ने केरल सरकार के

निर्यात संबंधी संभावनाओं का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया था और इससे संबंधित रिपोर्ट अगस्त 1972 को राज्य सरकार को पेश की थी जिसके बारे में भारत सरकार को अभी तक कोई सीधी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

संस्थान से पिछले सप्ताह रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ कोचीन पत्तन के विकास के लिये कुछ योजनाओं का सुझाव दिया गया है। कोचीन पत्तन संबंधी पांचवीं पंच वर्षीय योजना कार्यक्रम तैयार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

Distribution of Land to Unemployed Agricultural Graduates

1996. **Shri R. V. Bade :**
Shri Ishawar Chaudhury :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to allot land to the unemployed Agricultural Graduates for agricultural purpose and thus remove unemployment among them ; and

(b) if so, the names of the States where land is proposed to be allotted ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

1997. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी को भारत लाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसके मार्ग में आई कौन सी रुकावटों को दूर करना अभी शेष है और लाइब्रेरी को शीघ्रातिशीघ्र लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) अब क्योंकि बंगला देश एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है, क्या इस लाइब्रेरी में उसका भी भाग होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). इंग्लैंड सरकार से प्राप्त मध्यस्थता करार के मसौदे की अभी भी जांच की जा रही है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

एम० वी० धनलक्ष्मी जहाज की दुर्घटना की न्यायिक जांच

2000. **श्री राम सहाय पांडे : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली में कुछ महिने पूर्व हुई एम० वी० धनलक्ष्मी जहाज की दुर्घटना की न्यायिक जांच करने का अनुरोध मंत्रालय से किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह निश्चय किया गया है कि वाणिज्य नौवहन अधिनियम 1958 की धारा 360 के अधीन जांच की जाये जो 31 मई 1972 को एम० वी० धनलक्ष्मी के डूबने की परिस्थितियों की जांच करें। जांच चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता करेगा जिसको जल परिवहन विभाग, कलकत्ता के प्रधान अधिकारी ने इस प्रयोजन के लिये आवेदन दिया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बंगला देश से मछली का आयात करने में मत्स्य निगम की कथित असफलता

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, मैं कृषि मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भारत-बंगला देश व्यापार करार के अनुसार बंगला देश से मछली का आयात करने में मत्स्य निगम की कथित असफलता।"

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 28 मार्च, 1972 को भारत-बंगला देश व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गए। इस करार के लागू रहने की अवधि के दौरान 9 करोड़ रुपये तक के मूल्य की मछली आयात करने की व्यवस्था थी। यह अवधि इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से एक वर्ष तक के लिये है। जून 1972 में ढाका में हुई बातचीत के दौरान बंगला देश सरकार ने ऐसे संगठनों की स्थापना करने के विषय में सहमति प्रकट की थी जो मछली की सप्लाई के लिये केन्द्रीय मीन उद्योग निगम से ठेका कर लेंगे। तदनुसार जुलाई, 1972 के अन्त में एक संस्था का गठन किया गया और बाद में निर्यातकों की कुछ सहकारी समितियां भी बनाई गई। दोनों देशों में लागू विनियमों के अनुसार बंगलादेश से मछली के निर्यात पर विक्रय कर और भारत में आयात पर आयात शुल्क लगना था। अतः दोनों देशों में शुल्कों से छूट के प्रश्न पर विचार किया गया था और बंगलादेश से मछली के निर्यात तथा भारत में आयात पर क्रमश: विक्रय कर और आयात शुल्क लगाने से छूट दे दी गई थी। मछली के आयात पर आयात शुल्क से छूट के विषय में 19 अगस्त को अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय मीन उद्योग निगम ने बंगलादेश के निर्यात करने वाले प्राधिकृत निकायों से बातचीत आरम्भ की, उनके साथ अनुबन्ध किये और इसे लागू करने की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया। करार की शर्तों के अनुसार मछली का व्यापार 2 अक्तूबर, 1972 को आरम्भ हुआ। नारायणगंज से प्रतिदिन एक ट्रक मछली (लगभग पांच मीटरी टन) उठाने की व्यवस्था की गई थी। चूंकि नारायणगंज में मछली सप्लाई की स्थिति में सुधार की आशा है, अतः अब प्रतिदिन दो ट्रक मछली उठाने की

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

व्यवस्था की गई है बशर्ते कि यह उपलब्ध हो। बंगलादेश के कई संभावित सप्लाई केन्द्रों में परिवहन और बर्फ तथा पैक करने के सामान की उपलब्धि की कठिनाइयां है। आपसी समस्याओं को सुलझाने के लिये अक्तूबर, 1972 में बंगलादेश सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी और व्यापार बढाने की दृष्टि से दोनों पक्षों की ओर से आवश्यक उपायों के बारे से सहमति प्रगट की गई। उसके बाद खुलना में एक और केन्द्र खोल दिया गया है और इस केन्द्र से हाल ही में प्रतिदिन लगभग 7 मीटरी टन मछली आने लग गई है। परिवहन सुविधओं की उपलब्धि और बर्फ की सप्लाई की दृष्टि से अन्य केन्द्रों से मछली आयात करने की संभावना को लगातार ध्यान में रखा जा रहा है। आशा है ग्वालांदो तथा कुछ अन्य केन्द्रों से शीघ्र ही आयात आरम्भ करना सम्भव हो जायेगा। चूंकि मछली का व्यापार अभी अक्तूबर 1972 में ही आरम्भ हुआ है, अतः जितनी रकम की मछली का आयात करने का करार किया गया है उससे काफी कम आयात किए जाने की संभावना है। यदि कलकत्ता और अन्य बाजारों में उचित मूल्यों पर बिकने वाली दर पर बंगलादेश में मछली उपलब्ध होती रही तो आशा है कि किये गए उपायों के फलस्वरूप आयात की गति में काफी वृद्धि हो जायेगी।

श्री समर गुह : बंगलादेश के साथ किये गये करार के अनुसार, बंगलादेश से आयात की जाने वाली वस्तुओं में तम्बाकू के बाद दूसरा नम्बर मछली का है। एक साल के अन्दर बंगलादेश से 9 करोड़ रु० मूल्य की मछली का आयात किया जाना था, परन्तु पिछले आठ महीने के दौरान केवल 3.5 लाख रुपये की मछली का ही आयात किया गया है। कलकत्ते की मण्डी में प्रतिदिन 10,000 मन मछली की मांग है, परन्तु स्थानीय स्रोतों से केवल 2,000 मन मछली ही उपलब्ध हो पाती है। पिछले 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मछली विक्रेताओं ने कलकत्ता की मण्डी में 340 करोड़ रुपये की मछली बेची है। इन राज्यों के एकाधिकार प्राप्त मछली विक्रेता भारतीय मत्स्य निगम पर दबाव डाल रहे हैं ताकि बंगलादेश से अपेक्षित मात्रा में मछली का आयात नहीं किया जा सके।

विवरण-पत्र में यह कहा गया है कि मछली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाई है और कि पैंकिंग सामग्री की कमी है।

बंगलादेश की स्वाधीनता के बाद मछली पकड़ने में अवश्य ही कुछ कठिनाई थी, क्योंकि मछली पकड़ने के जाल, नौकायें आदि 'याह्या शासन' ने नष्ट कर दी थीं। परन्तु एक-दो महीने के अन्दर ही बंगलादेश सरकार ने 800 मछुओं को लाइसेन्स जारी कर दिये। हमारे मत्स्य निगम ने 800 मछुओं से व्यापार करने में कठिनाई अनुभव की। तत्पश्चात् बंगलादेश सरकार ने दो सहकारी समितियां बना दीं, जिससे मत्स्य निगम को सुविधा हो सके। अब बंगलादेश में काफी मछली है। 1965 से पहले पश्चिम बंगाल को 17 केन्द्रों से मछली सप्लाई की जाती थी। लेकिन मेरी सूचना के अनुसार इस समय केवल तीन केन्द्रों —नारायण गंज, गोलनन्दा और चान्दपुर से ही मछली का आयात कर रहे हैं। बंगलादेश में पर्याप्त मात्रा में मछली इकट्ठी हो जाने के कारण वहां मछली $1\frac{1}{2}$ रु० और 2 रु० प्रति सेर बिक रही है।

श्री सिद्दीक ने स्वयं बताया है कि बर्फ की कमी जैसी वहां कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह आशंका भी व्यक्त की कि भारत-बंगलादेश करार की अवधि समाप्त होने में केवल

चार महीने रहते हैं और इस अवधि में 8.50 करोड़ रुपये की मछली का आयात होना मुश्किल है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात का पता करने के लिए जांच करेंगे कि कहीं पश्चिम, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के एकाधिकारी मत्स्य विक्रेताओं ने गुप्त रूप से मत्स्य निगम को इस बात के लिए प्रभावित तो नहीं किया कि वह बंगलादेश से मछली का आयात न करे, जिससे कलकत्ता में मछली की ऊंची कीमत रह सके और यहां के व्यापारी अधिक फायदा कमा सकें? इन मछली व्यापारियों ने भारत-बंगलादेश करार में मछली के आयात को शामिल करने का विरोध किया था।

दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या बंगलादेश के वाणिज्य मन्त्री ने यह आशंका व्यक्त की थी कि करार के अनुसार भारत द्वारा बंगलादेश से 7.8 करोड़ रु० मूल्य मछली का आयात न करने के कारण बंगला देश के व्यापार सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो करार की शर्तों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

क्या 1965 के भारत पाक युद्ध से पूर्व बंगलादेश से कलकत्ता और अन्य स्थानों को वहां के अधिकारी स्वयं मछली सप्लाई करते थे, यदि हां, तो क्या बंगलादेश के वाणिज्य मन्त्री ने यह कहा है कि अगर भारतीय मत्स्य निगम बंगलादेश से मछली का आयात करने में असमर्थ है, तो 1965 से पूर्व की व्यवस्था फिर से चालू कर दी जाये?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक भारतीय मत्स्य निगम के क्रियाकलापों का सम्बन्ध है, उस बारे में कोई सन्देह की गुंजाइश नहीं है। यह सच है कि एक वर्ष के दौरान 9 करोड़ रु० की मछली का आयात करने की करार में व्यवस्था है। बाद में यह पाया गया कि 5000 मछली व्यापारियों से मछली की खरीद करनी होगी और इतने लोगों के साथ करार करना असम्भव था। हमने बंगलादेश सरकार को सहकारी समितियां बनाने के लिए लिखा। अब इस समय दो सहकारी समितियां और एक संगठन है और 2 अक्तूबर से कुछ मछली का आयात किया जा रहा है।

कीमतों के निर्धारण में भी कुछ कठिनाई हुई। अभी तक कुछ क्षेत्रों के लिए वहां के मत्स्य शासन निदेशक ने निर्यात की जाने वाली मछली का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया है। लेकिन अब दो अथवा तीन केन्द्रों से आयात की जाने वाली मछली की मात्रा में वृद्धि हो गई है और प्रति दिन 7 टन मछली का आयात किया जा रहा है। तीन चार अन्य केन्द्रों से आयात शुरू कर देने पर आयात की जाने वाली मछली की मात्रा बढ़कर 40 टन प्रतिदिन हो जायेगी। परन्तु यह सही है कि मार्च के अन्त तक 9 करोड़ रुपये मूल्य की मछली का आयात करना सम्भव नहीं हो सकेगा। परन्तु अगली बार करार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि जितनी मछली के आयात का करार हो, उतनी मछली का आयात अवश्य ही हो।

बंगलादेश के मन्त्री ने जब मछली के निर्यात के बारे में वक्तव्य दिया था, तब वह भारत के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत नहीं थे।

श्री समर गुह : वाणिज्य मन्त्री श्री सिद्दीकी ने श्री एल० एन० मिश्र से यह प्रस्ताव किया था कि बंगलादेश कलकत्ता की मण्डी में सीधे ही मछली सप्लाई करेगा और वहां नीलाम करेगा। इस प्रकार परिवहन और पेकिंग आदि की कोई समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : माननीय सदस्य कुछ गलत फहमी में हैं। यह आश्वासन दिया गया था कि 14 सप्लाई केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, परन्तु 2 अथवा 3 केन्द्र ही स्थापित किये गये। हमारे ट्रक ही मछली का आयात कर रहे हैं। अभी हाल में हमने मछली के आयात पर 65 प्रतिशत शुल्क हटा दिया है और बंगलादेश ने भी 20% बिक्री कर हटा दिया है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आयात करने में हम किसी भी प्रकार असफल नहीं रहे हैं।

श्री समर गुह : एक आखिरी बात,......**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह : **

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर ध्यानाकर्षण सूचना पर बहस के समय मन्त्री सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं देता या उत्तर देना भूल जाता है, तो क्या सदस्य अपना ध्यान इस ओर नहीं दिला सकता जिससे आप मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिए आदेश दें ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का अवसर दिया जा चुका है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बार-बार बीच में बोलकर वह मुझे कठोर कार्यवाही करने के लिए बाध्य न करें।

श्री समर गुह : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय . माननीय सदस्य को बार-बार खड़े होने की आदत नहीं डालनी चाहिये। वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे है इसलिये वह जो कुछ बोलेंगे वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह : ** *

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह हम पर भी लागू होता है। अतः आप मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिये क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : वह सभा के सदस्य हैं और उन्हें प्रक्रिया नियमों का पालन करना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय को भी प्रतिक्रिया नियमों का पालन करना चाहिये।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मंत्री महोदय को भी प्रक्रिया नियमों का पालन करना चाहिये उन्हें प्रश्न का उत्तर देना चाहिये ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्होंने सीधा सा प्रश्न पूछा है । मंत्री महोदय को 'हां' या 'नहीं' में उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे ऐसा करने को नहीं कहूंगा । वह अध्यक्ष-पीठ की अवहेलना कर रहे हैं । वह बार-बार खड़े होते हैं । इसकी अनुमति कभी नहीं दी जा सकती ।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने एक प्रश्न बहुत स्पष्ट रूप से पूछा था । यदि मंत्री महोदय उत्तर टालें अथवा उत्तर न दें तो क्या उपाय है ?

अध्यक्ष महोदय : जिस बात पर मंत्री महोदय ने उत्तर टाला उसके बारे में माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे सकते हैं,

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप किन्ही कारणों से माननीय सदस्य को उनके अधिकार से वंचित कर सकते हैं परन्तु क्या सभा को भी उत्तर जानने के अधिकार से आपको वंचित करना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत यह प्रक्रिया है कि अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का हक नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यह सुझाव तो नहीं दे रहे हैं कि कार्य-सूची में जिन सदस्यों के नाम हैं उनके अतिरिक्त शेष सदस्य सभा से बाहर चले जायें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या आप यह चाहते हैं कि जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो तो अन्य सभी सदस्य सभा से बाहर चले जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह विरोध दल के माननीय सदस्य हैं । उन्हें अध्यक्ष महोदय के लिये सिर-दर्द पैदा नहीं करना चाहिये ।

श्री एच० एम० पटेल (ढ़ंढ़ुका) : जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो और प्रश्न पछा जाये तो मंत्री महोदय को उसका उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया था ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम

कृषि मंत्री (**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**) : मैं वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8घ की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

[श्री फखरूद्दीन अली अहमद]

संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत सरकार के राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 2107 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3805/72]

मोटरगाड़ी अधिनियम और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं तथा मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन संसदीय कार्य तथा नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) दिल्ली मोटरगाड़ी (तीसरा संशोधन) नियम, 1972, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 3 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 3(12)/72-टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे।

(ख) पंजाब मोटरगाड़ी (चण्डीगढ़ पहला संशोधन) नियम, 1972, जो चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या 7212-एच 11(2)-72/9122 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3806/72]

(2) (एक) वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) वाणिज्य पोतपरिवहन (भारतीय पोतों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 1969, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1970 (अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 29 अप्रैल, 1972 (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 751 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) वाणिज्य पोतपरिवहन (पोत-टन-माप) संशोधन नियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 जून 1970 (अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 29 अप्रैल, 1972 (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 897 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपयुक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3807/72]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी०-3808/72]

(ख) (एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नौवहन लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए।** देखिये संख्या एल० टी०-3809/72]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की पिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिये** संख्या एल० टी०-3810/72]

बाजार ऋणों के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसम्बर, 1972 में जारी किये जाने वाले बाजार ऋणों के बारे में अधिसूचना संख्या.5 (12)—डब्लू एण्ड एम/72 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-3811/72]

केन्द्रीय भांडागारण निगम का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (II) के अन्तर्गत केन्द्रीय भांडागारण निगम के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-3812/72]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 445 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे]

(दो) उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 460 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3813/72]

मुल्की नियमों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MULKI RULES

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस सदन को पिछले सप्ताह आन्ध्र प्रदेश में मुल्की नियमों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर मिला था। उस राज्य के कुछ हिस्सों में तीव्र हिंसा की कार्रवाईयां हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप जानी नुकसान और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंची है। इससे इस सदन को और देश के सभी लोगों को गहरी व्यथा पहुंची है। मैंने राज्य के सभी वर्गों तथा सभी राजनैतिक पार्टियों से अपील की थी कि वे सार्वजनिक शांति की पुनः स्थापना करने तथा आत्मविश्वास का वातावरण तैयार करने के प्रयास में मदद करें।

2. हमें आशा थी कि राज्य के नेता आपस में विचार-विमर्श के द्वारा ही कोई समझौता कर लेंगे। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और उनके सहयोगी यह चाहते थे कि केन्द्रीय सरकार मुल्की नियमों से सम्बन्धित सभी मामलों में निर्णय लें।

3. पिछले कुछ सप्ताहों में मैंने तथा मेरे सहयोगियों ने आन्ध्र प्रदेश के नेताओं तथा जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है। इन चर्चाओं से यह पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश की जनता की यह प्रबल इच्छा है कि वे वर्तमान अखण्ड राज्य के ढाँचे के भीतर ही इसका कोई हल निकाला जाय। इस प्रश्न पर पूर्ण गहनता के साथ विचार करने के पश्चात् हमने कुछ निर्णय लिए हैं, जिन्हें मैं इस विवरण के दौरान सदन के सम्मुख रखना चाहूंगी।

4. वर्ष 1956 में आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन के समय, यह महसूस किया गया था कि तेलंगाना की जनता सरकारी रोजगार के सम्बन्ध में कुछ संरक्षण चाहेगी और आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा एक ऐसा फारमूला तैयार किया गया जिस पर सभी की सहमति थी। राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकारी रोजगार के लिए निवासीय अर्हता को अन्य क्षेत्रों के लिए हटा दिया गया। तेलंगाना क्षेत्र के अधीनस्थ सेवाओं के पदों को भरे जाने के लिए उस क्षेत्र में निवास की आवश्यकता की शर्त की व्यवस्था करने के लिए, फिर भी संसद ने सरकारी रोजगार (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, 1957 पारित किया। इस नियम को अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था जिसकी अवधि मार्च, 1974 में समाप्त होनी थी। किन्तु इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा 1969 के प्रारम्भ में ही रद्द कर दिया गया। तब से राज्य की सरकारी सेवाओं में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उपयुक्त उपाय ढूंढ निकालने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें ध्यान देती रही है।

उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय से नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे पहले सोचे गए उद्देश्यों को कार्यरूप देने के लिए आगे और उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

5. यह सर्व विदित है कि मुल्की नियम राज्य सरकार के अधीन केवल कुछ ही पदों पर लागू होते हैं और अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के पदों एवं केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पदों पर लागू नहीं होते हैं।

6. जिन उपायों का निर्णय किया गया वे इस प्रकार हैं :—

(i) मुल्की नियमों में निर्धारित निवासीय अर्हता केवल तेलंगाना क्षेत्र में अराजपत्रित पदों तथा तहसीलदार, सिविल सहायक सर्जन तथा जूनियर इंजिनियर के पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए लागू होगी। तथापि, संयुक्त (कम्पोजिट) कार्यालयों के बारे में उदाहरणतः, सचिवालय, राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों तथा सामान्य संस्थाओं के सम्बन्ध में ये नियम अराजपत्रित पदों में होने वाली प्रत्येक तीन सीधी भर्ती की रिक्तियों की इकाई में दूसरी रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए लागू होंगे।

(ii) ये संरक्षण तेलंगाना क्षेत्र में दिसम्बर, 1980 के अन्त तक लागू रहेंगे। किन्तु हैदराबाद और सिकन्दराबाद के शहरों में ये संरक्षण केवल दिसम्बर, 1977 के अन्त तक ही जारी रहेंगे। यह अन्तर इसलिए रखा गया है, क्योंकि राज्य की राजधानी इन्हीं शहरों में स्थित है।

(iii) इन दो क्षेत्रों में से प्रत्येक में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा-काडरों को प्रथम अथवा द्वितीय राजपत्रित स्तर तक क्षेत्रीकृत किया जाएगा। तथापि, यह बात उन सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सीधी फीडर सेवाओं का काम करती हैं।

(iv) हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के शहरों में तेलंगाना के छात्रों को तकनीकी तथा व्यवसायी क्षेत्रों में प्राप्त सुविधाओं समेत, जो शैक्षिक सुविधाएं इस समय प्राप्त हैं उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन शहरों में दी गई सुविधाओं का उचित रूप से विस्तार किया जायेगा और इस प्रकार दी गई अतिरिक्त सुविधाओं पर निवास के आधार पर कोई पाबन्दियां नहीं लगाई जायेंगी।

(v) हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के शहरों के लिए एक मिश्रित पुलिस बल होगा जिसके ब्यौरे राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किए जायेंगे।

इन उपर्युक्त निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक विधान, संसद में शीघ्र ही लाया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ऐसी उपयुक्त व्यवस्था ढूंढ़ निकालेगी जिससे इन प्रबन्धों को सुचारु रूप से चलाये जाने के लिए निश्चित व्यवस्था हो सके।

7. उपर्युक्त निर्णय अखंड राज्य की आवश्यकताओं, सरकारी रोजगार तथा शिक्षा के मामले में दोनों क्षेत्रों के लोगों के न्यायोचित हितों, तथा इस सदन में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। सरकार आशा करती है कि इन निर्णयों को राज्य में आम

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

स्वीकृति प्राप्त होगी तथा उन्हें उदारता, सहयोग तथा सहनशीलता की भावना से कार्यान्वित किया जाएगा ।

मैं विशेषकर संसद के सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश के सभी भागों में शान्ति बनाए रखने में सहायता करें ।

श्री के० रघुरामैया (गुन्टूर) :*

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, क्या ये सब बातें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित की जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं देता । बाद में यदि आप चर्चा करना चाहें तो उस पर कोई रोक नहीं होगी । मंत्री महोदय के वक्तव्य देने के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा ऐसा स्पष्ट नियम है ।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : मेरा निवेदन है कि मैंने प्रधान मंत्री को बोलते हुए सुना······

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है ।

डा० जी० एस मेलकोटे : मैं भी यही कह रहा हूं । यदि श्री रघुरामैया का वक्तव्य सम्मिलित किया गया···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

19वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

> "कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

Shri Shyamnandan Mishra : I have to make a submission about it.

Mr. Speaker : The procedure decided by the House which we implement is that all the hon. Members can give suggestions on the deny the hon. Minister declares business for the following week. But when the report of the Business Advisory Committee is recieved that motion is placed straightway for acceptance.

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* Not recorded.

Shri Shyamnandan Mishra : It is my submission that the report which is placed should be complete. The report of Business Advisory Committee is about only the official business. We decided something in Business Advisory Committee about non-official business.

Mr. Speaker : This report is about the allotment of time and always comes in this shape.

Shri Shyamnandan Mishra : But we could not know about this week's private business even on Monday. After all how will we prepare ?

Mr. Speaker : A separate statement will be given about that ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस सप्ताह के कार्य के बारे में पिछले शुक्रवार को मन्त्री महोदय द्वारा दिये गए वक्तव्य पर कार्य मंत्रणा समिति की विशेष बैठक में पुन: चर्चा हुई थी उसमें कुछ संशोधनों के सुझाव दिये गए थे । वह संशोधित कार्यक्रम क्या होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें संशोधित किया गया था तो जो निर्णय क्रियान्वित किये जायेंगे वे उसमें होंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने हमें बताया कि नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा हेतु जिन सभी सदस्यों ने सूचना दी है वे कार्य मंत्रणा समिति में उपस्थित नहीं थे और हम शीघ्र ही दूसरी बैठक बुला सकते हैं । यह भ्रांतिपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले इस प्रस्ताव को रखने दें ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सामान्यत: यद्यपि हम कार्य मंत्रणा समिति द्वारा जो कुछ भी रखा जाता है उसे स्वीकार कर लेते हैं तथापि सभा को बताने का अधिकार है । मैंने नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दी थी परन्तु मुझे कुछ भी करने को नहीं कहा गया है ।

श्री समर गुह : पिछले अवसर पर जब वक्तव्य दिया गया था तो कहा गया था कि इस सप्ताह में बिजली की कमी और अन्य मामलों पर चर्चा होगी तब हम असहमत हुए थे और हमने चाहा था कि दो गैर-सरकारी प्रस्ताव लिये जाये । उनका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : ब्योरा परिचालित कर दिया जायेगा ।

श्री राज बहादुर : अभी-अभी श्री बसु ने कहा है कि कार्य मन्त्रणा समिति ने यह इच्छा प्रकट की थी जिन सदस्यों ने नियम 193 के अधीन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें आमंत्रित किया जायेगा । जहां तक नियम 189 का सम्बन्ध है, यह नियम स्पष्ट है । कुछ सदस्यों ने कार्य मन्त्रणा समिति में कुछ सुझाव दिये थे । मुझे किसी प्रस्ताव को उत्तर के लिये स्वीकार करने हेतु सम्बन्धित मंत्री से परामर्श लेना पड़ता है कि वह प्रश्नों का उत्तर देने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं । नियम 190 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को सभा के नेता से परामर्श लेना पड़ता है कि चर्चा के लिये कौन से वार और कौन सी तारीख निर्धारित की जाय । मैं सम्बन्धित मन्त्रियों से पूछ कर सरकार के लिये जो उचित समय होगा उसके बारे में अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दूंगा ।

नियम 190 बिल्कुल स्पष्ट है । मुझे सभा के नेता अथवा सम्बन्धित मंत्री से पूछकर सभा का कार्य निर्धारित करना पड़ता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक तारीख और वार निर्धारित करने का प्रश्न है, मन्त्री महोदय का कहना ठीक ही है कि उन्हें उनके सहयोगियों से परामर्श लेना पड़ता है परन्तु उस दिन कार्य मन्त्रणा समिति इस बात पर सहमत हुई थी कि कौन सा विषय लिया जाये, तारीख बाद में बता दी जायेगी। अब वह यह अधूरी सूचना क्यों देते हैं ?

श्री राज बहादुर : मैंने सुझाव दिया था कि मैं अपने सहयोगियों से पूछ कर सूचना दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब मन्त्री महोदय किसी विषय पर चर्चा के लिये सहमत नहीं होंगे तो हम उस विषय पर कभी चर्चा नहीं कर सकेंगे। क्या यही स्थिति होगी।

यदि यह बात सरकार पर ही छोड़ दी गई कि चर्चा के लिये जिस विषय पर वह सहमत हो तो असुविधा वाले विषयों को छोड़ दिया जायेगा। हम इस पर किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हो सकते हैं।

यदि मन्त्री महोदय यही दृष्टिकोण अपनाते हैं कि ऐसी चर्चा के लिये उनके पास समय नहीं है तो इससे सरकार और विरोधी पक्ष के बीच सहयोग का प्रश्न पैदा हो जायेगा और ऐसी स्थिति हो जायेगी कि सरकारी कार्य निष्पादित करना कठिन हो जायेगा।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इन सभी वर्षों में जिस प्रथा का पालन किया जा रहा है, यह उससे अलग बात है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि ऐसे प्रस्तावों के लिये समय निकालने के लिये उन्हें मन्त्रियों से पूछना पड़ेगा। पहले कार्य मंत्रणा समिति की एक उप-समिति हुआ करती थी जो इन सभी प्रस्तावों को पढ़कर प्रस्तावक माननीय सदस्यों से पूछ कर तीन-चार प्रस्तावों को ले लेती थी। अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि किसी विशेष प्रस्ताव को वह ही चुन सकते हैं।

श्री राज बहादुर : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री सेझियान : उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा है कि वह सहयोगियों से पूछकर निर्णय करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछले सत्र में हमने निर्णय किया था कि प्रत्येक सप्ताह में या तो नियम 193 के अधीन दो प्रस्तावों पर या 193 के अधीन एक प्रस्ताव और 184 के अधीन एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी परन्तु दो सप्ताह बीत गए एक भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है...

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे व्यवस्था के प्रश्न को लेने दीजिए। आप इसे बाद में रख सकते हैं।

उस दिन कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में चर्चा के बाद इस व्याख्या को स्वीकार किया गया था कि अध्यक्ष प्रस्ताव गृहीत करता है परन्तु एक बार यदि वे गृहीत किये गए तो उन्हें स्वीकार करने अन्यथा न करने का प्रश्न नहीं उठता है। उसका एक पहलू यह था कि वार सरकार निर्धारित करेगी।

एक बार जब वे प्रस्ताव गृहीत हो जाते हैं तो वे नो-डे-यट-नेम्ड मोशन्स कमेटी में जाते हैं। वे कुछ प्रस्तावों को चुनते हैं फिर उन्हें बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है फिर उन पर चर्चा होती है।

मान लीजिए किसी सदस्य के छह-सात प्रस्ताव हैं तो उनसे यह पूछा जायेगा कि वह किस प्रस्ताव को प्राथमिकता देना चाहते हैं।

फिर हमने उस बैठक में यह निर्णय किया था कि सोमवार अथवा ठीक उसके बाद आने वाले काम के दिन सदस्यों से सम्पर्क स्थापित किया जायेगा कि वे कौन से प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं। हमने उनमें से कुछ प्रस्तावों को चुन लिया है। अब उन चुने हुए प्रस्तावों के लिये कोई मंत्रणा समिति से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शेष उन प्रस्तावों को, जिनके लिये हमने निर्णय किया था कि कार्यालय अथवा आप स्वयं सदस्यों से पूछेंगे कि उनमें से किस प्रस्ताव पर वे चर्चा चाहते हैं, सभा के कार्य में रखा जायेगा। किसी ने यह तो विरोध किया नहीं है कि दिन के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई मालिक है, यही कहा गया है दिन निर्धारित किया जाये। क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्री राज बहादुर : सबसे पहले मैं उनके दिमाग से यह बात निकालना चाहता हूं कि सरकार किसी विषय पर चर्चा टालना चाहती थी। परन्तु प्रश्न यह है कि सैकड़ों 'नो-डे-यट-नेम्ड मोशन्स' हैं। ज्यों ही आप कहते हैं कि 'आप इसे गृहीत कीजिए' त्यों ही दिन और तारीख के निर्धारण का प्रश्न आ जाता है।

आपने यह भी कहा कि सदस्यों से पूछा जाना चाहिये। सद्भावना के रूप में मैं ऐसा कर सकता हूं परन्तु नियमों के अनुसार ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं हूं।

मैं दिन के लिये पूछ रहा हूं। हम इन तीन विषयों में से एक इस सप्ताह, एक अगले सप्ताह और अगले सत्र ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह विधेयक न केवल अपूर्ण है वरन् इससे अन्य कर्मचारियों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ेगा । अन्य बहुत से सरकारी कर्मचारी है जैसे रेलवे डाक और तार विभागों में काम करने काले कर्मचारी हैं, इन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा । देश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाले, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने वाले लाखों कर्मचारी बोनस के लाभ से वंचित रह जायेंगे । इन राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकार को और अधिक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा दल और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु मैं एक विशेष कारण से इस विधेयक का सांकेतिक रूप से विरोध करता हूं । क्योंकि इस विधेयक और अध्यादेश के उपबन्धों के कारण केन्द्रीय सरकार के सब विभागों के कर्मचारियों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है । अत: सरकार को इस विधेयक में ऐसा संशोधन करना चाहिए जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी इससे लाभ हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं भी इस विषय में कुछ बोलना चाहता हूं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जब हम इस पर वाद-विवाद करेंगे तब हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मुझे पहले से सूचना देते तो इसमें उनकी क्या हानि होती थी ? एक ओर तो आप नियम बनाते हैं और दूसरी ओर आप उन्हें तोड़ते हैं । इसलिए यदि आपको बोलना होता है तो आप पहले से लिखकर दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो आपसे अनुमति मांग रहा हूं, क्योंकि धार्मिक संघ के आन्दोलन से मेरे दल का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रथा तो यह है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोलने की अनुमति दी जाती है जिनके नाम पहले से मेरे पास आ जाते हैं ।

ज्योतिर्मय बसु : आप किस नियम के अन्तर्गत अन्य सदस्यों को बोलने की अमुमति दे रहे हैं।

Mr. Speaker : It is your decision that only those members should be allowed to speak who send their names in advance and state they want to speak on this matter. I agreed to that decision. I shall go according to the rules. I shall permit only those members who have sent their names in advance.

श्री आर० के० खाड़िलकर : जैसा कि स्पष्ट किया गया है बोनस पुनर्विलोकन समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के पश्चात् ही इस विधेयक में उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वयं ही यह संशोधन पेश कर रही है, क्योंकि लगभग 28 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह विधेयक बोनस पुनर्विलोकन समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के आधार पर ही लाया गया है। मुख्य प्रतिवेदन आने पर ही हम संशोधन करने की बात सोच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDING PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं अपने सहयोगी श्री बालगोबिन्द वर्मा की ओर से बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन अपेक्षित है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till a quarter past fouteen of the clock.

माध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 20 मिनट म० प० पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at twenty minuites past fourteen of the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य कार्य आरम्भ करने से पहले विदेश मंत्री महोदय एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देना चहाते हैं।

पश्चिमी क्षेत्र पर पकड़े गये भारतीय युद्ध बन्दियों की पाकिस्तान द्वारा रिहाई

STATEMENT RE. RELEASE OF INDIAN PRISONERS OF WAR BY PAKISTAN CAPTURED ON WESTERN FRONT

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : रेडियो पाकिस्तान के एक प्रसारण के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने 617 भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का निर्णय किया है। ये लोग पश्चिमी सीमा क्षेत्र में बंदी बनाए गए थे। भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है। जैसा कि आपको याद होगा शिमला सम्मेलन में भारत सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में पकड़े गए सभी पाकिस्तानी युद्धबंदियों को, जिनकी संख्या 540 है, छोड़ने की पेशकश की थी परन्तु उस समय पाकिस्तान सरकार ने इस पेशकश में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। भारत सरकार पश्चिमी क्षेत्र में पकड़े गये सभी युद्धबंदियों को छोड़ने की अपने पेशकश को दोहराती है।

दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में

RE : SWEEPER'S STRIKE IN DELHI.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The sweepers in Delhi are on strike for the last one month and the city has become very dirty. Lakhs of people are coming here to visit exhibition every day. The authorities in Municipal Corporation of Delhi have failed to resolve this issue. I request the hon. Home Minister to interveen in this regard and try to bring an end to the strike or the Corporation should be dissolved because it has failed completely.

श्री एस० एम० बनर्जी : सफाई कर्मचारियों पर कल अश्रु गैस छोड़ी गई थी। मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस समस्या का कोई समाधान निकालें।

Shri Ramavatar Shastri : There is no electricity in North Avenue and we are in the dark since yesterday 9. A.M. I request the hon. Minister of Irrigation and Power that some action should be taken to restore electricity in the area.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यद्यपि सफाई कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रिया में नहीं आते, फिर भी यदि नगर साफ-सुथरा नहीं रहेगा तो यह सम्भावना है कि औद्योगिक श्रमिकों जैसे अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर गन्दगी का बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः सरकार को यह बात दृष्टि में रखनी चाहिए और इस संबन्ध में तत्काल कोई कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथ न्याय हो।

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री० राजबहादुर) : यह एक ऐसा मामला है जो सारे शहर की सफाई एवं स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखता है। हम इससे किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहते। हम अवश्य ही सम्बन्धित मंत्रियों को माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत करायेंगे।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1972-73

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)—1972-73

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : I was saying yesterday that Rajasthan is facing serious draught conditions. Out of 26 districts 23 districts are affected with serious draught situation involving about 25,000 villages. I want to draw the attention of the hon. Finance Minister to the critical economic situation of Rajasthan Government. Rajasthan is under heavy debt. Rajasthan Government is unable to solve this critical situation. Prices of foodstuff particularly. Coarse foodgrains have gone very high. Therefore the condition of poor people are becoming worse day by day. Rajasthan needs special assistance Relief measures have been completely stopped because Rajasthan Government have no money even fcr material components. Therefore special assistanee should be given to Rajasthan.

Though Rajasthan is in the grip of several famine, yet relief measures are not being taken there. The Central Government spend crores of rupees on relief measures for famine-striken areas but they did not give any money for material components. Due to scarcity of material components the works of permanent nature cannot be completed early. So I request that serious thinking should be given to this factor also. As regards the fodder problem, it has become acute, Some special measures should be taken to provide fodder to the State so that good breed of livestock can be saved from destruction. There is great need to supply coarse grains to the State, because the people there, especially in the Western part of the State are mainly depend on these grains.

One more point I would like to stress. Unfortunately, two natural calamities have fallen on Rajasthan State. On the one hand there is famine while on the other districts like Bharatpur and Sawai Madhopur have suffered heavily on account of floods. The assistance given so far to these districts is inadequate. Moreover, proper arrangements for the supply of seeds and fertilizers have not been made uptil now. Seeds are being supplied at higher rates. Government should pay attention to all these things and more money should be made available for relief works in the State.

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : I support these Supplementary Demands for Grants. But at this occasion I would like to make a mention of some important problems facing Uttar Pradesh. In the year 1972 it is seen that there is a wave of economic unrest in the country. One of the causes of this economic crisis is the natural calamities like drought in some areas and floods in other areas. At the same time I would like to say that the steps taken to meet this economic crises have not proved effective.

Now I want to draw the attention of Govenment to the north-eastern regions of Uttar Pradesh. It is a Tarai region. There are no tube-wells. while there is great necessity of tube-wells. Inspite of great insistence tube-wells have not been installed in that area. It is told by Government Departments that the land there is not too strong to allow the boring of tube-wells and that they have not big machines required for deep-boring. Here it is suggested that exploratory tube-wells should be constructed and the deep-boring required for the purpose can be undertaken with the help of rig machines reported to be available with Geological Survey of India. But when this Department is approached, the deny that they have rig machines. It is, therefore, necessary to obtain rig machines at the earliest and instal Tube-wells in Tarai region as early as possible.

In the financial year 1971-72 a sum of rupees three lakhs was provided for connecting Bichia with Kaudiala Ghat on the North Eastern Railway. But only survey has been done so far. If funds allocated for a particular purpose are not utilised therefor there is no justification for putting a supplementary demand for grant. There is a proposal of nationalisation of trade in foodgrains. This is undoubtedly a good scheme. The Food

[Shri B. R. Shukla]

Corporation of India procures foodgrains at cheaper rates but the same is not supplied to poor people at cheap rates through fair price shops. Thus some schemes meant for the benefit of weaker sections of the society do not prove fruitful. So all the programmes should be task-oriented, reward-oriented and punishment oriented. All the schemes should beimplemented honestly and strictly.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। जिन परिस्थितियों में ये अनुपूरक अनुदाने रखी गई हैं, उनका उल्लेख कई माननीय सदस्य पहले ही कर चुके हैं। मूल्य स्थिति पर विचार करते समय सभा में देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार किया गया था। कृषि मंत्री ने कृषि स्थिति के बारे में विस्तार से बताया था। श्री बीरेन्द्र सिंह राव ने कहा है कि हमारी कृषि नीति पूर्णतः असफल रही है। यह कथन ठीक नहीं है जैसा कि कृषि मंत्री के उस दिन के वक्तव्य से स्पष्ट है उन्होंने बताया था कि सरकार की कृषि नीति के परिणामस्वरूप सरकार के पास 90 लाख टन का अनाज का भंडार हो गया था। किन्तु देश में भयंकर सूखा पड़ा और प्रलयंकारी बाढ आई। क्या इन प्रकृति के प्रकोपों के लिए भी सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है ? यह तो दावा नहीं किया जा सकता कि हरित-क्रांति पूर्णतः सफल हो गई है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में कुछ समस्याएं अभी भी हल करनी हैं। किन्तु यह कहना एकदम गलत है कि हरित-क्रान्ति पूर्णत: असफल रही है। भूमि सुधारों और अधिक उपज देने वाले बीजों या कृषि सम्बन्धी नयी तकनीक सम्बन्धी जो समस्याएं हैं उनकी ओर सरकार ध्यान दे रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जितनी बार संकट आये हैं उनका मुकाबला उसने दृढ़तापूर्वक किया है। बंगलादेश के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है और उसका सामना भी दृढ़ता से किया है। वर्तमान संकट का सामना करने के लिए हमें देशीय संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। इस संकट को दूर करने के लिए हमने द्रुत-कार्यक्रम बनाये हैं।

जहां तक राजस्थान को केन्द्रीय सहायता दिये जाने का सम्बन्ध है, केन्द्र ने राजस्थान को पर्याप्त सहायता दी है और यदि आवश्यक होगा, तो उस राज्य को और अधिक सहायता देने का प्रयास किया जायेगा। द्रविड़ मुनेत्र कषगम के एक सदस्य ने सलेम इस्पात कारखाने का प्रश्न उठाया था। इस कारखाने के 6 वर्ष में अर्थात 1978 या 1979 के आरम्भ तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। ये मांगे ऐसे मदों के लिये है जिनसे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इन शब्दों के साथ मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इनका अनुमोदन करे।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये थे जिनका उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार उगांडा अथवा कीनिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की ब्रिटेन के पास-पोर्ट या ब्रिटेन/भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की सलाह दी है ? दूसरी बात द्रुत कार्यक्रम के लिए नियत 150 करोड़ रुपये की राशि से सम्बन्धित है। इस राशी से राजस्थान नहर पूरा करने में लाभ क्यों न उठाया जाये। गंडक और कोशी नहरें भी पूरी की जा सकती है जिससे लाभ दुगना और स्थायी होगा। तीसरी बात यह

कही गई थी कि कृषि मंत्री ने अपने मामले में भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का उल्लंघन किया है। मंत्री द्वारा इस आरोप का खंडन आदि करना चाहिए।

श्री के० आर० गणेश : मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि सदस्य महोदय यह प्रश्न क्यों रख रहे हैं। यदि उगांडा निवासियों को ऐसी सलाह देनी है तो फिर उनके लिए सभा से राशी स्वीकृत कराने का लाभ होगा। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या हमारी सरकार ने उन्हें किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने की सलाह दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं। यह एक बड़ा प्रश्न है।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह बताया है कि दिया गया धन खर्च नहीं किया गया।

श्री के० आर० गणेश : योजना आयोग इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा है। कृषि मन्त्री पर यह आरोप लगाना गलत है कि वे भूमि सुधारों को कार्य रूप देने में बाधा डालना चाहते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : यह बात आसाम के राजस्व मन्त्री की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति द्वारा एक मत से कही गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आरोप पहले भी लगाया गया है। इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा आरोप बिना सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित किये लगाना नियमानुकूल नहीं है। परन्तु यह आरोप लगाया गया है यह रिकार्ड में है। सरकार इस पर ध्यान देगी और समुचित जांच करेगी। इस समय वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री से इसका उत्तर देने के लिए कैसे कहा जा सकता है।

श्री भोगेन्द्र झा : सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह आरोप श्री भोगेन्द्र झा द्वारा नहीं लगाया गया है। यह तो आसाम विधान सभा की समिति द्वारा लगाया गया आरोप है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक ही बात है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता (**व्यवधान**)। अब मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं। मैं उन्हें एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (सामान्य), 1972-73 मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Supplementary Demands for grants (General), 1972-73 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
53	उद्योग	2,16,79,000
63	पुनर्वास विभाग	1,000
113	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	2,18,00,000
129	इस्पात और खान मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	48,51,' 3,000
131	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	6,89,00,000
136	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	1,000

विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1972

APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1972

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : दो सदस्यों ने बोलने के लिए अपना नाम दिया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम संख्या एक की ओर दिलाता हूं। इस समय भाषणों में

केवल वे ही मुद्दे उठाए जायें जिन्हें पहले नहीं उठाया गया है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने अध्यक्ष को लिखा है और सूचना भेजी है तथा सभा के पटल पर रखने के लिए एक पत्र की प्रति भी भेजी है। उन्होंने प्रस्ताव में दो कागज भेजे हैं। एक के सम्बन्ध में अध्यक्ष ने अनुमति दे दी है पर दूसरा उन्होंने नहीं देखा है। अतः आप पहला कागज सभा पटल पर रख सकते हैं। दूसरा कागज रखने की मैं अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि अध्यक्ष ने उस पर विचार नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने वास्तव में दो सूचनाएं भेजी थीं। एक थी विदेश व्यापार मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा दिये गये विदेशी निर्यात के आंकड़ों में अन्तर के सम्बन्ध में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के सम्बन्ध में तथा दूसरी सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का दलगत हितों के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : उचित सूचना दिए बिना यह प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए······(**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सवेरे दो सूचनाएं दी थी। मैं नहीं जानता कि इसे अध्यक्ष महोदय ने देखा है अथवा नहीं। मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है। मेरे इस अधिकार को आप केवल इस कारण नहीं छीन सकते कि इसके कारण प्रधान मंत्री परेशानी में पड़ती है *** (**व्यवधान**)

श्री राज बहादुर : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा···(**व्यवधान**) नियमों के अनुसार मैं आपको पहला कागज सभा पटल पर रखने की अनुमति दे सकता हूं पर दूसरे की नहीं क्योंकि उसे अध्यक्ष महोदय ने नहीं देखा है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक माननीय सदस्य का सम्बन्ध है उन्होंने सभा-पटल पर रखने से पूर्व जो कुछ भी उन्हें पेश करना था अध्यक्ष के पास भेज दिया था। अब इस सम्बन्ध में कोई निर्णय देना उनका काम है। और जहां तक हमारा सम्बन्ध है जो भी व्यक्ति अध्यक्ष पीठ पर बैठा है वह अध्यक्ष है। इसलिए अब जबकि आप अध्यक्ष पीठ पर बैठे है आप अपना निर्णय लें। सदस्य की ओर से सब कागजात समय पर दिये गये हैं, उनकी ओर से कोई ढील नहीं बरती गई है। अतः अब यह चाहते हैं कि वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जाये। अतः अब आपको अपना मत देना है। वक्तव्य में कुछ भी आपत्ति-जनक नहीं है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। मैंने भी उस वक्तव्य को देखा है।

श्री एस एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है और दोनों कागजात का सभा-पटल पर रखा जाना आवश्यक है। विधेयक के पारित होने

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the chair.

[श्री एम० एस० बनर्जी]

पर उसका रखा जाना बेकार है । अतः जब तक कागजात को रखने की अनुमति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाये विधेयक को स्थगित रखा जाये । मैं इस बारे में आपका निर्णय चाहता हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहला कागज इस कारण सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि निर्देश 115 के अन्तर्गत मुझे अध्यक्ष महोदय की उसके समय सम्बन्ध में कहने के लिए बुलाया जाना चाहिए और आज वह सम्भव नहीं है। और दूसरा मैंने स्वयं सचिवालय के एक जिम्मेदार अधिकारी को दिया है तथा उसे श्री के० आर० गणेश ने भी देखा है । यदि आप मुझे उसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं देते तो यह अपना महत्व खो देगा । अतः क्या आप इस सदन और उन लोगों के हितों को ध्यान में रखेंगे जिन्होंने हमें भेजा है और उचित कार्रवाई करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह एक बड़ा सरल मामला है । यदि दूसरा कागज अध्यक्ष महोदय ने नहीं देखा है तो आप उसकी जांच कर सकते हैं और स्वयं निर्णय ले सकते हैं ।

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य ने निर्देश 115 का हवाला दिया है । इस निर्देश के अनुसार मामला तब उठाया जाता है जब कोई मन्त्री गलत वक्तव्य दे । पहले वक्तव्य तो देने दिया जाये । फिर उसमें कोई गलती हो तो सदस्य महोदय उस गलती की बात उठाए जब इस मामले पर चर्चा हो नहीं हो रही तब मैं नहीं जानता माननीय सदस्य किस नियम अथवा निर्देश के अन्तर्गत यह सब कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने दोनों कागजों को आपस में मिला दिया है । यह मामला दूसरे कागज के सम्बन्ध में है । वे इसे सभा-पटल पर रखना चाहते हैं । श्री श्यामनन्दन मिश्र और श्री एस० एम० बनर्जी ने दो बातें उठाई हैं । पहली यह कि पीठासीन व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम है । यदि सही है । पर मैं ऐसे महत्व पूर्ण दस्तावेज को पढ़ने के साथ-साथ इस सभा का कार्य भी नहीं देख सकता । मुझे इसे अपने कक्ष में शान्ति से देखना होगा ऐसा किए बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता ।

दूसरी बात जो कही वह थी कि श्री बसु ने कागजात समय पर भेज दिये थे अतः कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए क्योंकि उसके अभाव में यह चर्चा बेकार है । इसलिए, उनका कहना है कि चर्चा को स्थगित किया जाये, जिससे अध्यक्ष महोदय को निर्णय का समय मिल जाये। यह निर्णय मैं स्वयं नहीं ले सकता । अतः इस सम्बन्ध में मैं संसद कार्य मन्त्री की मदद चाहता हूं । सभा इस सम्बन्ध थ जो निर्णय चाहे ले सकती है ।

श्री राज बहादुर : इसका मांगों से कोई सम्बन्ध नहीं है । हम तो कहीं किसी प्रकार इसमें आते ही नहीं । हमने कागज को नहीं देखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम इतने व्यापक हैं कि यह कहना बड़ा कठिन है कि यह मांगों से सम्बन्धित है अथवा नहीं ।

अब बात केवल इतनी है कि सभा इस विधेयक पर चर्चा स्थगित करने पर सहमत है अथवा नहीं ।

श्री राज बहादुर : हम इससे सहमत नहीं हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपने यह पूछा है कि क्या माननीय सदस्य नियमों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं अथवा नहीं। पर अब हमारा कहना यह है कि अध्यक्ष पीठ द्वारा चर्चा के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने दोनों कागज संसद सूचना कार्यालय में 10 बजे 27-11-72 को दिए। पहले के साथ उन्होंने एक पत्र भेजा है तथा दूसरे के साथ कोई पत्र नहीं है। कम से कम मेरे सामने नहीं है। यदि उन्होंने दूसरे कागज के साथ में पत्र भेजा है तो मुझे कृपया इसकी पुष्टि करने दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह 10 बजे दिया था। यह मेरे पास कार्यालय प्रति है। यदि आप इस सदन के एक सदस्य की ईमानदारी पर विश्वास करते हैं तो आप इस प्रति को देख सकते हैं।

मैं इस कागज को सभा पटल पर रख एक विशेष प्रश्न उठाना चाहता था ········· **(व्यवधान)**

मैंने दोनों पत्र एक साथ भेजे थे। यदि किसी ने इसको गलत······ **(व्यवधान)** इससे पहले भी एक दिन एक कागज सभा-पटल पर नहीं लाया गया था······**(व्यवधान)** मैं समझता हूं कि आपने नियम नहीं देखा है। ऐसा कहने के लिए मैं माफी चाहता हूं। नियम 369 बिल्कुल साफ है। मैंने नियम के अनुसार कार्य किया है। यदि आप अपने अधिकार का उचित उपयोग करते हैं तो मुझे भी नहीं रोक सकते। यदि आप उनसे बाहर जाते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां कोई नियम स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता वहां अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता है। हमें इस नियम के अनुसार चलना चाहिये।

पहले यह तय करना है कि आपने दूसरा पत्र कब दिया था। आपने अध्यक्ष पीठ पर गम्भीर आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त स्थिति यह है कि जब अध्यक्ष इसकी अनुमति नहीं देते तो यह सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप जानबूझ कर कागजात को नजरअन्दाज कर रहे हैं। यह तो जानबूझ कर आंखें बन्द करना है।

श्री राज बहादुर : कृपया 'जानबूझ कर आखें बन्द करना' शब्द कार्यवाही से निकाले जाये···**(व्यवधान)** उन्हें इनको वापिस लेना चाहिए···**(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में रहने दें। **(व्यवधान)** मैं गैर जिम्मेदार तरीके से काम नहीं कर सकता। मैं कागज को सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निर्देश संख्या 115 के अन्तर्गत कोई सदस्य अपने भाषण के दौरान बिना कोई पूर्व सूचना दिए यदि कोई कागज सभा पटल पर रखना चाहता है तो वह उसकी प्रति अध्यक्ष को दे सकता है। पर मुझे वह अवसर भी नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब आप बोलेंगे तब आपसे कागज को देने को कहूंगा।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : श्री मिश्रा ने अध्यक्ष पीठ के लिए जो शब्द कहे हैं उनके बारे में उचित अनुचित का निर्णय करना अध्यक्ष पीठ का अधिकार है। पर क्या उनके लिए अध्यक्ष पीठ को ऐसा कहना ठीक था? (**व्यवधान**)।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि अध्यक्ष पीठ एक मामले में निर्णय लेती है और दूसरे में नहीं तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि वे लापरवाही बरत रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : इन अनुदानों की मांगों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, जबकि श्री के० आर० गणेश ने यह बताया था कि वेतन आयोग इस वर्ष के अन्त तक अपना प्रतिवेदन दे देगा। यहां बढ़े हुये वेतनों के लिए कोई उपबन्ध न करने से यह लगता है कि यह वेतन आयोग का समय बढ़ाया जा रहा है। अतः कर्मचारियों का यह डर सही निकला कि प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक नहीं आएगा।

मैं श्री के० आर० गणेश से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति की गम्भीरता को समझें। यदि वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक भी नहीं देता, तो स्थिति कितनी नाजुक हो जायेगी। चूंकि इन मांगों में इस मद के लिए किसी राशि की मांग नहीं की गई है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वेतन आयोग अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला नहीं है, इसलिए मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दें। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यह मांग उचित है कि वेतन आयोग रिपोर्ट शीघ्र दे और सरकार उसकी क्रियान्विति शीघ्र करे, क्योंकि महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार मूल्य स्थिर करने में असफल रही है। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि वेतन आयोग की सिफारिशें पीछे की किसी तारीख से लागू की जाये ताकि नवम्बर या दिसम्बर 1972 में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी उनका लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त मैं यह चाहता हूं कि वेतन आयोग के कर्मचारियों को अन्यत्र काम देने की व्यवस्था की जाये ताकि वे रिपोर्ट शीघ्र दे दें। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यद्यपि अनुपूरक मांगों की परम्परा अस्वाभाविक है किन्तु हमारी सरकार बार बार अनुपूरक मांगें सभा के सामने लाती है। खाद्यान्न के आयात के बारे में मैं चिन्तित हूं। सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि वह कितना अनाज बाहर से मंगाना चाहती है और उसके लिए कितना अतिरिक्त मूल्य देना चाहती है। खाद्यान्न-आयात के सम्बन्ध में जो नया समझौता हुआ है, उसकी शर्तें क्या हैं? काले धन की समस्या भी बहुत बड़ी है और यह अपने आप में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था बनाती जा रही है।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य विनियोग विधेयक पर बोल रहे हैं, जिस पर बहस का क्षेत्र सीमित होता है। समानान्तर अर्थ-व्यवस्था, काला धन आदि के प्रश्न इसकी सीमा से परे है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक मांगों पर विचार करते समय काले धन, समानान्तर अर्थ-व्यवस्था अनाज का आयात-निर्यात जैसे मूल प्रश्नों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ये विषय इस चर्चा की सीमा में नहीं आते। मैं चाहूंगा कि आप जो कहें, वह तर्कसंगत, संदर्भसंगत और प्रभाव-पूर्ण हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था का संबंध है, वर्ष 1970-71 में यह 431 करोड़ रुपये की थी और वर्ष 1971-1972 में यह राशि बढ़कर 631 करोड़ रुपये हो गई। इस समम्बन्थ में रिजर्व बैंक ने भी चेतावनी दी है, मुद्रा-विस्तार को सीमित रखा जाये और समाज में बचत की प्रवृत्ति बढ़ाई जाये, साथ ही एकाधिकार को भी सीमित रखा जाये, इससे सरकारी क्षेत्र में घाटे की अर्थव्यवस्था से बचा जा सकेगा। वर्ष 1971-72 में युद्ध हुआ, भारी संख्या में शरणार्थी आये और राष्ट्र के पुनःनिर्माण पर भारी खर्च हुआ। परिणामतः घाटे की अर्थ-व्यवस्था 700 करोड़ रुपये तक जा पहुंची। यह स्थिति सचमुच चिन्तनीय है। जहां तक सरकार के गैर विकास खर्च का संबन्ध है, वह सभी मदों पर बढ़ा है। देश में एकाधिकार भी बहुत अधिक बढ़ा है। उदाहरणार्थ वर्ष 1966 में टाटा का कारोबार 505 करोड़ रुपये का था जो 1969-70 में बढ़कर 638 5 करोड़ रुपये का हो गया था। इसी अवधि में मफतलाल का कारोबार 93 करोड़ रुपये से बढ़कर 115 करोड़ रुपये हो गया। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1500 कम्पनियों की आस्तियां 4319 करोड़ रुपये से बढ़कर 6439 करोड़ रुपये की हो गयी। वर्ष 1968-69 में विदेशी कम्पनियों की आस्तियां 1234 करोड़ रुपये के मूल्य की थी जो दो वर्ष में 25 गुना बढ़ गई हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। एक अन्य बात की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 1969 तक तो प्रधान मंत्री द्वारा किये गये सरकारी दौरों का खर्च ही सरकार देती थी किन्तु उससे बाद में प्रधान मंत्री के दल की ओर से किये गये निर्वाचन सम्बन्धी दौरों का खर्च भी सरकार ने देना आरम्भ कर दिया।

श्री के० आर० गणेश : श्रीमन्, यह तर्कसंगत नहीं है। वह अपनी बात दूसरे ढंग से कहने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम संख्या 353 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम यह है : "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोचक आक्षेप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मन्त्री को भी ऐसा करने की पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।"

[उपाध्यक्ष महोदय]

यदि आप आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अध्यक्ष और सम्बन्धित मन्त्री अर्थात वित्त मन्त्री को नोटिस देने चाहिये थे। आपने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आज 12 बजे यह नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सभा पटल पर पत्र रखने का नोटिस दिया है। किन्तु यदि आप इसे आरोप के रूप में रखना चाहते हैं तो······

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आरोप नहीं लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरी राय है है कि आपने अपमानकारक आरोप लगाया है। आप इस पर बल न दें, अन्यथा मुझे यह आदेश देना होगा कि इसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं एक सरकारी परिपत्र पढ़ सकता हूं ?

श्री के० आर० गणेश : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **(अन्तर्बाधाएं)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्राय: देखता हूं कि जब मन्त्री महोदय बोलते हैं तो विपक्ष के सदस्य खड़े हो जाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं और मंत्री उनकी बातें सुनते हैं। इसी प्रकार यदि किसी प्रतिपक्ष के सदस्य के भाषण के दौरान कोई मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए।

यह संसदीय प्रतिक्रिया है और केवल शिष्टाचार की बात है कि जब एक सदस्य बोल रहे हैं तो मंत्री महोदय को व्यवधान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे यह प्रकट होता है कि आप तथ्यों को सुनना नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

श्री के० आर० गणेश : मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य के भाषण का अनुमानों अथवा मांगों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आपको अपनीं शक्तियों के अधीन इस वाक्य को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह विनिर्णय दिया है कि इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं वित्तीय मामलों के बारे में एक सरकारी प्रपत्र को पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि इस प्रपत्र को सभा-पटल पर रखे जाने का मामला अध्यक्ष के विचाराधीन है अत: यह सामान्य प्रपत्र नहीं है। सभा-पटल पर रखे जाने के बाद यह सार्वजनिक दस्तावेज हो जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, सरकार का पक्ष लेने की भी सीमा होती है। यदि आप मुझे यहां से भगाना चाहते हैं तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है **(व्यवधान्)** आप सरकार को बचाना चाहते हैं। मैं इसे सीधे रिकार्ड पर रखता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता था कि यदि यह सरकारी प्रपत्र है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । किन्तु यह मामला अध्यक्ष के विचाराधीन है अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । खेद है मुझे बाध्य होकर इसे कार्यवाही वृतांत से निकालना पड़ेगा । (**व्यवधान**)

श्री एम० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो पत्र प्रस्तुत किया है उसे अध्यक्ष महोदय ने देख लिया है । वास्तव में इस प्रपत्र में नियमों का सारांश है जिसका सम्बन्ध प्रधान मंत्री की सुरक्षा से है । यह दस्तावेज गोपनीय भी नहीं है (**व्यवधान**, महोदय आपको याद होगा कि डा० लोहिया ने 'प्रधान मन्त्री पर 25000 रुपया प्रति दिन व्यय' सम्बन्धी एक पुस्तक प्रकाशित की थी । उस समय श्री मोरारजी देसाई ने इस बात का खण्डन किया था । अब श्री ज्योतिर्मय बसु को हम दस्तावेज को पढ़ने की अनुमति न देने से यह आभास होता है कि अवश्य इस सम्बन्ध में कुछ घुटाला है । अतः इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गए :

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । मैं प्रत्येक की बात सुनूंगा । मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा । मन्त्री महोदय भी इसे ध्यान से सुने तथा हमें इस बात का निर्णय करना चाहिये कि अब किया क्या जाए ।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : श्री ज्योतिर्मय बसु प्रधान मन्त्री की सुरक्षा आदि पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित नियम को पढ़कर सुनाना चाहते हैं । मेरे विचार से इस दस्तावेज के नियम 353 के अन्तर्गत सभा पटल पर रखने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि इस दस्तावेज में किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी विषय वस्तु का उल्लेख न करें ।

श्री जी० विश्वनाथन : यह कोई निजी दस्तावेज नहीं है । यह प्रपत्र स्वयं सरकार ने जारी किया है । मेरे विचार में इसे पढ़ने का प्रत्येक सदस्य अधिकारी है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यद्यपि इस प्रपत्र में प्रधान मन्त्री द्वारा चुनाव सभाओं के लिये विमानों के उपयोग की व्यवस्था है तथापि इस आधार पर इस प्रपत्र को सभा-पटल पर रखे जाने से रोका नहीं जाना चाहिये इस मामले में किसी के ऊपर आरोप लगाने का आशय नहीं है ।

यदि यह प्रधान मन्त्री की सुरक्षा का विषय है तो इसका चुनाव सभाओं से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । माननीय सदस्य सदन के समक्ष केवल यह बात रखना चाहते हैं कि पहले नियमों में सशोधन किया गया है । इस समय केवल यही समस्या है कि क्या किसी सदस्य को सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाने का है कि पूर्व नियमों में संशोधन किया गया है । सम्भव है यह संशोधन बहुत सोच विचार के बाद किया गया होगा किन्तु माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान दिलाने की अनुमति मिलनी चाहिये तथा इनमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री आर० वी० बडे (खारगोन) मेरे विचार से यह मामला अत्यन्त सामान्य है तथा मन्त्री महोदय को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अतः यह संसद का कर्तव्य है कि उक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखाए ।

श्री एच० एम० पटेल (ढुंढका) : जिस सरकारी प्रपत्र पर गोपनीय आदि कुछ नहीं लिखा है तथा जो सार्वजनिक दस्तावेज है तुमको सभा पटल पर रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मेरे विचार से उसका उल्लेख करने का सभी को अधिकार है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : All citizens of our Country should be aware of the rules regarding the security of the Prime Minister. He should be allowed to read out this paper.

श्री के० आर० गणेश : इस पत्र सभा पटल पर रखने में दो कारणों से आपत्ति उठाई गई है। पहला कारण तो यह है कि यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है तथा दूसरा कारण यह कि माननीय सदस्य उसी मामले को दूसरे रूप में यहां उठाना चाहते हैं। दस्तावेज प्रधान मन्त्री की सुरक्षा से सम्बन्धित हैं तथा इसमें कोई गोपनीयता भी नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि इस मामले का मांगों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय भाषण देना एक बात है तथा एक दस्तावेज को सभा पटल रखना दूसरी। मैं सरकारी प्रपत्र के आधार पर यह बनाना चाहता हूं कि सरकारी धनराशि का सत्तारूढ़ दल के हितों के लिये किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। जो नियम 1969 तक लागू था उसमें अब परिवर्तन किया गया है जिससे उक्त दल को लाभ हो सके। क्या प्रजातंत्र प्रणाली के अन्तर्गत मुझे या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि ऐसी बातों का भण्डाफोड़ किया जाए ? यदि आप मुझे इसकी अनुमति नहीं देते तो—नियम 353 यहां लागू नहीं होता क्योंकि इसमें किसी की भर्त्सना का प्रश्न ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कोई पत्र अध्यक्ष महोदय को दिया था तथा यह अनुमति मांगी थी कि उसे सभा पटल पर रखने दिया जाये। वह पत्र अभी अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। इस विषय पर पहले चर्चा हो चुकी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने इसे अब तक देख लेना चाहिये था।

श्री के० एस० चावडा : चर्चा समाप्त होने के पश्चात उसका क्या उपयोग है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब उसी दस्तावेज को श्री ज्योतिर्मय बसु रिकार्ड में लाना चाहते हैं जो अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। मैं विनिर्णय दे चुका हूँ कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य ने उस दस्तावेज को अध्यक्ष महोदय को देना पहले उपयुक्त समझा था और बाद में उन्होंने यह सोचा कि उस दस्तावेज के बारे में अनुमति लेने की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि वह दस्तावेज सरकारी नियमों का सारांश है तथा सार्वजनिक दस्तावेज है, तो क्या माननीय सदस्य को

दुबारा सोचने का अधिकार नहीं है । अब आपको केवल इतना ही निर्णय करना है कि क्या माननीय सदस्य उस दस्तावेज को पढ़कर सुना सकते हैं या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्याम नन्दन मिश्र ने इस मामले को अतिशय साधारण और सरल बताने का प्रयास किया है किन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं । श्री ज्योतिर्मय बसु उसी दस्तावेज का उल्लेख करना चाहते हैं जो अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय सदस्य उसे वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अभी अभी निर्णय किया गया है कि उस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी । अध्यक्ष महोदय के निर्णय से पूर्व इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री के० एस० चावडा : नियम 10 के अन्तर्गत आपको भी वही अधिकार प्राप्त है जो अध्यक्ष महोदय को प्राप्त है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आपने श्री ज्योतिर्मय का भाषण गम्भीरता से सुना होता तो आपको ज्ञात हो जाता कि इस दस्तावेज से कोई हानि नहीं होती ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं किन्तु वह रिकार्ड में नहीं आएगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमें इस पर गम्भीर आपत्ति होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह विनिर्णय होगा कि इन परिस्थितियों में उसे रिकार्ड पर नहीं जाने दिया जाएगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस दस्तावेज को तथा उसके निहित विषय को अध्यक्ष महोदय के निर्णय से पूर्व रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : सम्भवतः आपको पता होगा कि उस दस्तावेज को सभा में खुले आम परिचालित किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको उनकी एक प्रति दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं ।

श्री एच० एम० पटेल : सम्भवतः आपके विनिर्णय का आशय यह है कि इस सरकारी प्रपत्र को सभा में पढ़कर नहीं सुनाया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । मैंने केवल यह कहा है कि इन परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपने स्वयं ही कहा है कि अध्यक्ष महोदय ने अभी तक उस दस्तावेज को नहीं देखा । कुछ समय पहले आपने यह भी कहा था कि यह मेरा अन्तिम निर्णय नहीं है कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी । अतः जब अध्यक्ष महोदय ने इसे देखा ही नहीं है तो यह उनका विचाराधीन नहीं है इसलिये अब केवल आपने यह निर्णय करना है कि क्या इसकी अनुमति दी जाए या नहीं ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गए

उपाध्यक्ष महोदयय : यदि अध्यक्ष महोदय ने उसे देखा नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं कि यह उनके विचाराधीन नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने नियम 353 का हवाला देते हुए मुझे इस प्रपत्र का उल्लेख करने से रोका था । मेरा आपसे यही अनुरोध है कि क्या इस प्रपत्र में आपने कोई ऐसी बात देखी जिससे किसी की भर्त्सना होती हो क्योंकि आपके पास भी इसकी एक प्रति है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय देते समय किसी भी दस्तावेज को बड़ी सावधानी से देखना पड़ता है **(व्यवधान)** इस विषय में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । **(व्यवधान)** अब अधिक नहीं । **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मेरा यह सुझाव है कि श्री ज्योतिर्मय बसु को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाए । आपने कई बार विषय परिस्थितियों में अपने स्वविवेक से काम लिया है । यह दस्तावेज तो केवल चार पंक्तियों का है । इसका सम्बन्ध प्रधान मंत्री की सुरक्षा के उपायों से है **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि सभा ही इस बात का निर्णय करें कि **(व्यवधान)** कि क्या श्री ज्योतिर्मय बसु उस दस्तावेज को यहां प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा नहीं **(व्यवधान)**

श्री के० एस० चावडा : यह तो बहुत गलत उदाहरण होगा ।

Shti Hukam Chand Kachwal : **

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में विपक्ष के सदस्यों ने अत्याधिक जोर देकर कहा है कि श्री ज्योतिर्मय बसु को उस दस्तावेज का जिक्र करने का अवसर दिया जाय जो कि अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है । अब सभा स्वयं इस बारे में निर्णय करें । संसदीय कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजबहादुर : हमारी कठिनाई यह है कि हमने उस कागज को देखा तक नहीं है और न ही हमें मालूम है कि उसमें क्या लिखा है । फिर बिना उचित सूचना के हम इस बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं ?

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : बड़ी विचित्र बात है कि मंत्री महोदय को यह नहीं मालूम कि वह नियम 71(6) के लिये संशोधन है.........(**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि : (चिरयिंकील) उन्हें उसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : श्री बसु ने उसे अध्यक्ष महोदय को दिया था और वह उस पर विचार कर रहे हैं। अत: इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ही निर्णय करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री राज बहादुर कहते हैं कि उन्होंने उक्त कागज को देखा तक नहीं है। गणेश ठाकुर कहें कि उन्होने इसे पढ़ा है अथवा नहीं। श्रीमन आपके टेबल आफिस ने भी एक कॉपी श्री गणेश को देने के लिये ली थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है। हम तो उनकी सहायता चाहते हैं। यदि मन्त्री महोदय भी ऐसा कहते हैं तो फिर स्थिति बड़ी जटिल है। अब स्वयं सभा ही इस बारे में निर्णय करे। मैं तो अपना निर्णय पहले भी दे चुका हूं। अब सभा की जो इच्छा हो।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जी नहीं। पीठासीन अधिकारी अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो रहा हूँ। इस पत्र के बारे में मैं अपना विनिर्णय नहीं दे चुका हूं और उसे बदलूंगा नहीं क्योंकि मेरे विचार से मेरा विनिर्णय सही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वस्तुत: तो आप उसे बदल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर तो मैं यह भी कहूंगा कि मैं यहां सभा के सहयोग से ही कार्य कर सकता हूं। मैं अपने विनिर्णय को चाहे जितना सही मानूं, तो भी मुझे सभा में मत का ध्यान रखना होगा। मैंने निर्णय दिया था कि जब तक अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करके अपना निर्णय नहीं दे देंगे मैं इसे सभा में पेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। आगे सभा की जो इच्छा हो। वैसे संसदीय कार्य मन्त्री ने मेरे विनिर्णय को स्वीकार कर लिया है और अब यही निर्णय बना रहेगा। यदि आप इसे चुनौती देते हैं तो मैं सभा में मतदान कराऊंगा···(**व्यवधान**)

श्री के० एस० चावड़ा : **

उपाध्यक्ष महोदय : ये शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किये जायेंगे। मैं अपने विनिर्णय पर मतदान नहीं कराऊंगा। श्री बसु अपना भाषण जारी रख सकते हैं परन्तु वह इस पत्र का कोई जिक्र नहीं करेंगे और न ही इसमें से कुछ पढ़ेंगे जो अन्य उक्त उद्धरण सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किये जायेंगे।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the Chair.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढ़ुका) : इसके इलावा, सभा में विपक्ष, तो कि सदैव अल्पसंख्य होता है, को अध्यक्ष-पीठ द्वारा ही संरक्षण मिल जाता है । अब यदि आप इसे भी सभा के निर्णय पर छोड़ दें तो इससे विपक्ष के हितों की रक्षा नहीं हो सकती । हां, आप अपने विनिर्णय पर दृढ़ रह सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं अपने विनिर्णय पर दृढ़ हूं । परन्तु जब अत्यधिक जोर दिया जाता है तो फिर मुझे कहना होता है कि सभा निर्णय करे । अतः अब मैं श्री बसु से कहूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें परन्तु इस पत्र का जिक्र न करें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी समझ में नहीं आता कि अब आप मानते हैं कि विपक्ष ने एक ठोस तर्क पेश किया है, फिर भी आप अपने दायित्व से बचकर हमें बहुमत के सामने झुका देते हैं । इस प्रकार तो विपक्ष को अध्यक्ष-पीठ से उचित व्यवहार नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अनुपूरक मांगों के बारे में बोलिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानता हूं मुझे क्या बोलना चाहिये और क्या नहीं ।

वर्ष 1969 से पूर्व, प्रधान मंत्रियों के देश के दौरे के खर्च को सरकार वहन किया करती थी और चुनाव सम्बन्धी दौरों का खर्च उनका दल वहन करता था । केवल सुरक्षा का प्रबन्ध सरकार की ओर से होता था । परन्तु न जाने अब वह प्रक्रिया क्यों बदल दी गई तथा नवम्बर 1969 से अब तक उक्त खर्च सरकार को देना पड़ रहा है......आज देश बाशियों की जेब से पार्टी के हितों की पूर्ति की जा रही है । अब प्रधान मन्त्री की बैठकों के खर्च को चोरी चोरी सरकारी धन से पूरा किया जा रहा है । इसीलिये हमें बड़ा बुरा लगता है । यह पैसा हमारे देश की निर्धन जनता की जेब से जाता है । वैसे तो यह दल प्रधान मन्त्री की 20 बैठकों के लिये एक लाख रुपया एकत्रित करता है । परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधान मन्त्री की प्रत्येक बैठक पर कम से कम 5 लाख रुपया खर्च होता है और इतने प्रबन्धों को देखते हुए वस्तुतः तो ये 5 लाख रुपये भी बहुत ही कम होते हैं । इस प्रकार यह दल 2500 रुपये को छोड़ कर शेष सारा धन जनता की जेब से लेता है । इस सर्कयूलर से मैं यही प्रमाणित करना चाहता था......

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह उस पत्र में से पढ़ेंगे तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार के लिये आज का दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे अध्यक्ष पीठ की ओट में स्वयं को बचना पड़ रहा है । मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार के लिये राशि की कोई भी सीमा पर्याप्त नहीं है क्योंकि धन की चोरी करना उसकी आदत बनी हुई है और यह चोरी दल के लाभ के लिये राजस्व की चोरी किसी भी सीमा पर आकर नहीं रुकेगी ।

श्री के० आर० गणेश: मैं सभी प्रकार की असंगत बातों को छोड़ते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जिस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में आये हैं उससे वह अपने साथ हर प्रकार की गन्दगी भी लेते आये है । इसीलिये वह ऐसी बातें कह रहे हैं......(व्यवधान)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मन्त्री महोदय के उक्त शब्द अपमान-जनक हैं वह स्वयं भी यहां एक मन्त्री तथा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। श्रीमन मैं इसपर आपका विनिर्णय चाहता हूं कि क्या उक्त शब्द संसदीय हैं······(**व्यवधान**) :

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह, मेरी कठिनाई यह है कि आप एक प्रोफेसर हैं और दुर्भाग्य से मैं भी इस वर्ग का व्यक्ति हूं। हम लोग सदैव ही साधारण बातों को अत्यधिक जटिल बनाकर छात्रों को भ्रम में डालते रहते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष पीठ की ओर से इस टिप्पणी का घोर विरोध करता हूं। यह सारे अध्यापक वर्ग पर दोषारोपण है।

श्री समर गुह : श्रीमन मैं जानता हूं कि आप भी अध्यापन वर्ग से सम्बन्धित हैं परन्तु मैं विज्ञान पढ़ाता हूं और यदि मैं एक क्षण के लिये भी असंगत बात करूं तो छात्रगण मुझे कतई क्षमा न करें······

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा अब आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाइये।

श्री समर गुह : मन्त्री महोदय ने एक सदस्य पर राजनीति में प्रवेश से पूर्व यहां गन्दगी लाने का आरोप लगाया है, यह बड़ी गम्भीर बात है। वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और यह देखना जनता का काम है कि वह गन्दगी ले गये हैं अथवा नहीं। यहां शासक दल तथा मंत्रियों के पास भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया तथा भारतीय लोगों को मरवाया। आगे वे शासक दल के सदस्य हैं······(**व्यवधान**) अतः मन्त्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि वह स्वयं साम्राज्यवादियों के साथ मिले रहे······(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री समर गुह : यदि आप इस प्रकार के अपमान जनक शब्द बोलने की अनुमति देंगे तो यह सर्वथा अनुचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सारा झगड़ा शायद "गन्दगी" शब्द को लेकर खड़ा हुआ है और श्री समर गुह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मेरा इस पर विनिर्णय यह है कि प्रत्येक सदस्य जहां तक संभव हो सम्मान जनक भाषा का उपयोग करें। कुछ समय पूर्व श्री बसु ने भी 'चोरी' शब्द का प्रयोग किया था वह भी उचित नहीं था। ऐसे शब्द बड़े कड़ुवे होते हैं। यदि श्री बसु अपना शब्द "चोरी" वापस ले लें तो श्री गणेश भी अपना शब्द "गन्दगी" वापस ले लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : 'चोरी' शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं बल्कि सरकार के लिये कहा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार भी तो व्यक्तियों का समूह है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं इस शब्द का सरकार के विरुद्ध हजार बार प्रयोग करूंगा और उपाध्यक्ष महोदय को सभा के कार्यकरण के मूल उद्देश्य का बिल्कुल

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

पता नहीं है······(व्यवधान) संसद को यह कहने का पूरा अधिकार है कि सरकार लूट मचा रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है तथा नागरिक अधिकारों की हत्या कर रही है। ये सभी बातें यहां कही जा सकती हैं। अत: पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहा जाना गलत होगा कि कोई सदस्य "चोरी" शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता······(व्यवधान)

अत: यह आपकी उदारता नहीं है। हम यह शब्द बोलेंगे और बोलते रहेंगे। दूसरे, मन्त्री महोदय ने उक्त शब्द एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध प्रयोग किया है। क्या आप उक्त शब्द को प्रधान मन्त्री के विरुद्ध उपयोग में लाने की अनुमति देंगे ? कभी नहीं। परन्तु यहां आप "चोरी" शब्द की "गन्दगी" शब्द के साथ तुलना कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय द्वारा कहा गया शब्द "गन्दगी" कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये। यदि नहीं तो हम सभा से उठकर चले जायेंगे (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हम यहां अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं परन्तु वे संगठनों के विरुद्ध होते हैं। अत: सरकार तथा व्यक्ति विशेष के बीच अन्तर किया जाना चाहिये और इसीलिये सरकार के विरुद्ध आरोपों को व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोपों के समान दर्जा नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री राजबहादुर : मैं अपने दल की ओर से कहना चाहूंगा कि हम सब यहां अपने मित्रों के प्रति शिष्टतापूर्ण, सभ्य तथा अच्छे व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। हम सब प्रजातत्र को मानने वाले हैं। मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वह अपना शब्द वापस ले लें परन्तु यदि आप हमें कालेधन का नेता, चोर तथा लुटेरा कहें तो क्या इनसे सदभावना बनती है। लोकतंत्र का अर्थ बात चीत और विचार विमर्श की स्वाधीनता है, गाली गलौच का तो नहीं। मैं वायदा करता हूं कि मेरे दल के लोग यहां की परम्परानुसार सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे परन्तु माननीय सदस्य भी हमें चोर या झूठे न कहें।

मन्त्री महोदय क्रोध में कोई शब्द नहीं कह गये हैं बल्कि इन्हें चोट पहुंची थी। मैं श्री बसु से अपील करूंगा, क्योंकि केवल वही एक ऐसे सदस्य हैं जो यहां इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने भी आप जैसा निरर्थक मन्त्री आज तक नहीं देखा।

श्री राज बहादुर : इस प्रशंसा के लिये धन्यवाद क्योंकि दर्शन शास्त्र में जीरो का बड़ा महत्व है। उसका अर्थ शून्य से लेकर अनन्त तक होता है। वैसे इस सभा में जीरो शब्द उचित रूप से श्री पीलू मोदी पर लागू होता है जोकि इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं।

परन्तु मैं पूछना हूं कि क्या आप हम अपने व्यवहार से इस संसद को और अधिक प्रतिष्ठा योग्य नहीं बना सकते ? मैं सब से अपील करता हूं कि यहां हम कभी भी कोई असभ्य भाषा नहीं बोलेंगे। विपक्ष से भी मुझे यही आशा है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सभ्य और शिष्ट भाषा के प्रयोग के बारे में मैं

मन्त्री महोदय के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं परन्तु मुझे आश्चर्य है कि स्वयं संसदकार्य मन्त्री मन्त्री ने भी "विटियेटिंग" शब्द का प्रयोग किया है जो कि असंसदीय है।

श्री राजबहादुर : मैं इस शब्द को भी वापस लेने में सकोच नहीं करता जबकि "विटियेटिंग द एटमोस्फीयर" शब्द कहना असंसदीय नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं दो बातें कहना चाहता था। एक तो यह की मन्त्री महोदय श्री गणेश ने अपने भाषण के आरम्भ में माननीय सदस्य पर असंगतता का आरोप लगाया तथा फिर बाद में स्वयं भी असंगत ढंग से बोलने लगे।

दूसरे, स्वयं पीठासीन अधिकारी भी क्या चर्चा के राजनैतिक प्रश्न पर भाग लेना शुरू कर देता है?

मैं उक्त दोनों बातों पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री राजबहादुर की अपील के पश्चात मैं तो अब यही कहूंगा कि मन्त्री महोदय श्री के० आर० गणेश अपना शब्द वापस ले लें।

श्री वयालार रवि : अपने भाषण में श्री बसु ने भी "आपका नेता काले धन का नेता है" जैसे शब्द कहे हैं, फिर मन्त्री महोदय के शब्दों से कष्ट क्यों पहुंचा? शब्द वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० आर० गणेश : यदि श्री बसु अपने शब्द वापस नहीं लेते तो मैं भी वापस नहीं लूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय सभा की कार्यवाही पढ़ लें तथा जो श्री गणेश ने असंसदीय कहा है, उस भाग को सभा की कार्यवाही से निकाल दें। श्री बसु ने जो कुछ कहा है वह किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं प्रत्युत सरकार के लिए कहा है। विपक्षी तथा शासकीय दल के सदस्यों के लिये अतः यहां पर समान मानदण्ड अपनाये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताता हूं कि समान मानदण्ड क्या हैं। पहला तो यह कि सभा के प्रत्येक सदस्य को चाहे वह विपक्षी हो अथवा शासकीय दल का हो, सभा में परस्पर नम्रता पूर्ण तथा संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरकार भी व्यक्तियों का ही समूह है यदि उसे भी कुछ कहा जाता है तो स्वभावतः ही मंत्रियों के दिल को ठेस पहुँचती है। अतः कडुवी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। श्री बसु ने प्रधान मंत्री को काले बाजार का नेता कहा है। प्रधान मंत्री भी एक व्यक्ति हैं। अब यदि वे शब्द कार्यवाही में रहते हैं तो मैं यह भी कहूंगा कि शब्द "गन्दगी" भी रहेगा। मेरी यह टिप्पणी शब्द "चोरी" के लिये भी है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय आपने तो यह बड़ी विचित्र ही बात कही है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध टिप्पणी को सरकार

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

के विरुद्ध की गई टिप्पणी के समान माना जाये। हम इस बात पर अपना विरोध प्रकट करते हैं और यदि आप फिर भी अपने विरोध पर अड़े रहते हैं। तो हम पीठासीन अधिकारी के हर व्यवहार के विरुद्ध सभा भवन से बाहर चले जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा भवन से बाहर चले जाना तो संसदीय प्रक्रिया के अनुसार विरोध प्रकट करने का सही तरीका है

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब पीठासीन अधिकारी की ओर से ऐसा विचित्र व्यवहार होता है तो हमें अपना विरोध प्रकट करना ही होगा। अब यह बात कार्यवाही में आनी चाहिए कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कतिपय नियमों का पालन न किये जाने के विरोध में............

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई शब्द भी कार्यवाही बृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : **

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

प्रो० मधु दण्डवते : **

डा० कैलाश : **

श्री राजबहादुर खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में उस समय व्यवस्था नहीं है अतः कोई शब्द भी कार्यवाही बृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है.........

(तत्पश्चात् श्री ज्योतिर्मय बसु तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Jyotirmoy Bosu and some other Members then left the House)

श्री पी० जी० मावलंकर : एक निर्दलीय सदस्य के नाते क्या मैं कुछ कह सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कहेंगे। आपका नाम एक महान संसद्विज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है जो कि संसदीय प्रक्रिया के प्रकाण्ड पंडित थे। उस समय तो मंत्री महोदय बोल रहे थे। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

आपने अभी कहा था कि कुछ भी सभा के कार्यवाही बृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। यह एक अलग बात है। संसदीय मंत्री ने अपील की थी कि सभा में हमें परस्पर दोषारोपण नहीं करना चाहिये अन्यथा उसे कार्यवाही बृताम्त से निकाल दिया जायेगा। मेरा कहना है कि विपक्षी सदस्य पर किया गया व्यक्तिगत दोषारोपण भी वापस लिया जाना चाहिये। आपने निर्णय दिया है कि हम सरकार के विरुद्ध कड़े शब्द नहीं कह सकते... **(व्यवधान)** इसके विरुद्ध हम अपनी असहमति प्रकट करना चाहते हैं। हम एक दूसरे को गन्दे शब्द कहने में

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

विश्वास नहीं करते, परन्तु सरकार की यथासंभव कड़े शब्दों में आलोचना तो की ही जायेगी और हमें इसके लिये किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने जो कुछ शब्द कहे हैं वह उन सबको वापस लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि क्या विरोधी पक्ष के सदस्य को कठोर भाषा में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है ? वह कहते हैं कि ऐसा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा कि विरोधी सदस्यों को आलोचना करने का अधिकार है । परन्तु मैंने इतना ही कहा है कि उन्हें संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मंत्रीगण भी व्यक्ति हैं और कठोर वचनों से उन्हें आघात पहुँचता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री गणेश मेरे निकट हैं......

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते । श्री मिश्र ने 'संविधान पर बलात्कार' शब्दों का प्रयोग किया है । ऐसे शब्दों का तुरन्त परिणाम निकलता है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : आपने ठीक ही कहा है कि एक सदस्य द्वारा सदन का त्याग किया जाना संसदीय प्रक्रिया से मेल नहीं खाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मुझे ठीक से नहीं सुना है । मैंने ऐसा नहीं कहा है । मुझे स्पष्ट अंग्रेजी बोलने का अभ्यास है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं क्षमा चाहता हूं । यदि सदन त्याग प्रक्रिया के अनुकूल है तो क्या इस सदन में विरोध प्रकट करना समान रूप से संसदीय नहीं है ?

(श्री एस० एम० बनर्जी तथा कुछ और सदस्य सभा से उठ कर चले गये)

(Shri S. M. Banerji and some hon. Members left the House)

श्री राज बहादुर : विरोधी सदस्य कठोर भाषा का प्रयोग कर सकते है परन्तु उन्हें गालियों पर नहीं उतरना चाहिये ।

श्री के० आर० गणेश : मुझे केवल वेतन आयोग के बारे में कुछ कहना है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि आयोग वर्ष के अंत तक अपनी रिपोर्ट दे देगा । इन शब्दों के साथ मैं सदन को प्रस्ताव स्वीकार करने को करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अति-

[उपाध्यक्ष महोदय]

रिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयकपर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : 'कि खण्ड 2, और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

"खण्ड 2 और 3 अनुसूची खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।"

clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें—1970—71

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS—(1970-71)

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष के सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री के० आर० गणेश : अतिरिक्त मांगें सांविधानिक हैं लोक लेखा समिति ने इनका ध्ययन किया है। सरकार ने समिति की आलोचना को नोट कर लिया है।

इन शब्दों के साथ मैं अतिरिक्त मांगों को सभा में रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 के लिये रक्षा मन्त्रालय को निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईतथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of Ministry of Defence for the year 1970-71 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रक्षा मन्त्रालय	3,12,480
2	रक्षा सेवाएं, सक्रिय—थल सेना	16,21,33,723
4	रक्षा सेवायें, सक्रिय—वायु सेना	4,01,43,088
6	शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय	26,501
8	पुरातत्व	85,927
14	वित्त मन्त्रालय	4,12,197
25	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	33,71,060
34	विदेश व्यापार मन्त्रालय	1,40,962
39	लोक निर्माण कार्य	4,92,71,770
42	गृह मंत्रालय	5,67,599
43	मंत्रिमण्डल	10,499
45	पुलिस	84,32,443
48	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	27,825
51	चण्डीगढ़	3,05,877
53	आदिम जाति क्षेत्र	49,81,977
54	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	2,33,505
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	10,818
73	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,91,372
77	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	4,24,293
78	सड़कें	1,34,74,536
89	उड्डयन	3,06,115
96	डाक और तार, विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश, प्रारक्षित निधियों में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिए गये ऋणों की वापसी	7,76,29,884
105	रक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	4,87,25,688
115	अन्न तथा रासायनिक खाद की खरीद	11,90,25,875
119	दिल्ली पूंजी परिव्यय	21,53,445
127	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	62,335
137	संचार विभाग का पूंजी परिव्यय	31,31,539

विनियोग (संख्या 6) विधेयक

APPROPRIATION (No. 6) BILL

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मार्च, 1971 के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1971 के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों में से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मार्च, 1971 के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1971 के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों में से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2, और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

विमान वहन विधेयक

CARRIAGE BY AIR BILL

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० करण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन से संबंधित कतिपय नियमों के एकीकरण के लिए वारसा में सन् 1929 के अक्तूबर, के बारहवें दिन हस्ताक्षरित अभिसमय का तथा सन् 1955 के सितम्बर, के अट्ठाईसवें दिन हेग प्रोटोकोल द्वारा यथासंशोधित उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए और उक्त अभिसमय में उसके, मूल तथा संशोधित रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को (अपवादों, अनुकूलों और उपान्तरों के अधीन) ऐसे विमानवहन पर, जो अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन नहीं हैं, लागू करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन की अत्यन्त जटिल प्रक्रियाओं से संबंध रखता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण कल जारी रखें।

भारतीय चलचित्रों तथा संगीत के रिकार्डों की विदेशों में तस्करी*

SMUGGLING OF INDIAN FILMS AND RECORDED MUSIC TO FOREIGN COUNTRIES**

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : भारत को तस्करों का स्वर्ग कहा जाता है।

{श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए}
{(Shri K. N. Tewari *in the Chair*)}

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कोई आँकड़े नहीं दिये हैं। मेरा अनुमान है कि प्रति वर्ष भारतीय चलचित्रों एंव संगीत के रिकार्डों की 5 से 6 करोड़ रुपए तक की तस्करी होती है।

* आधे घन्टे की चर्चा

**Half an hour discussion

[श्री के० लकप्पा]

इससे हमें छः या सात वर्षों से राजस्व की काफी हानि हो रही है।

बहुत से देशों में भारतीय चलचित्रों की मांग है। ये देश हैं दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, वैस्ट इन्डीज, मारीशस, मलैइया, सिंगापुर, ईरान, लेबनान, ईराक, मिश्र, सऊदी अरब, मध्य पूर्व, और पश्चिम एशिया के देश और फारस की खाडी के देश। हाल ही में भारतीय चलचित्रों का अवैध निर्यात दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से वन्जवेला, और स्वीडन, डैनमार्क, हालैण्ड और जमंनी सहित अनेक यूरोपीय देशों को भी होने लगा है।

16 एम एम के सादे चलचित्रों की तस्करी पिछले 20 वर्षों से चल रही है। अमरीका में ऐसे चलचित्रों की तस्करी निजी क्लबों के लिये होती है। 1957 के पश्चात् भारतीय चलचित्र बहुत ही लोकप्रिय हो गये हैं। रुपये के अवमूल्यन के कारण दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और कुछ और देशों को भारतीय चलचित्रों का निर्यात रोक दिया गया था। तस्करों ने तुरन्त ही अपना कारोबार शुरू कर दिया और उन्हें तैयार बाजार भी मिल गया।

तस्करी किये जाने वाले भारतीय चलचित्र अधिकांशतः 35 मिली मीटर के रंगीन चलचित्र हैं। उनमें 90 प्रतिशत हिन्दी चलचित्र हैं और 10 प्रतिशत तमिल। यह अवैध व्यापार दुबई, हांगकांग, कुवैत और लन्दन में किया जाता है। वहाँ से सोना तथा अन्य कीमती वस्तुओं की तस्करी की जाती है।

भारत द्वारा चलचित्रों के निर्यात से लगभग 7 करोड़ रुपया अर्जित किया जाता है। इसमें से 2 करोड़ रुपए ब्रिटेन से प्राप्त होते हैं। जिन देशों से 20 लाख रुपए से अधिक अर्जित होते है उनके नाम है, अरब की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, सिंगापुर और थाईलैण्ड। इस तस्करी से देश को लगभग 5 करोड़ रुपए की हानि होती है।

उद्योग ने 1971 में 433 चलचित्रों का निर्माण किया इनमें से आधे चलचित्र विदेशों में प्रदर्शित हुए। ऐसे प्रदर्शन पाकिस्तान में भी हुए।

भारतीय चलचित्र निगम के चेयरनेन ने बताया है कि हम लगभग 6 करोड़ रुपए की हानि तस्करी के कारण उठा रहे हैं। परन्तु सरकार की ओर से उत्तर में कहा गया है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

विदेशों में भारतीय चलचिचों के बहुत से वितरक है। इनके बारे में मंत्रालय के अधिकारियों को जानकारी है। मैं मन्त्री महोदय से इस तस्करी को समाप्त करने के लिये आग्रह करता हूं।

इसमें विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन का मामला भी निहित है। रिजर्व बैंक...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें। वह अन्य तथ्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : दूसरे इस मामलें में रिजर्व बैंक भी अन्तर्ग्रस्त है। कुछ नियमों का उल्लंघन रिजर्व बैंक अधिकारियों से साठ गाँठ करके किया गया है। साथ ही आयात निर्यात का

विदेशी मुद्रा अनुभाग भी इसमें अन्तर्ग्रस्त है। इस मामले की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए।

विदेशों में भारतीय चलचित्रों के थोडे से वितरक कई वर्षों से लाभ अर्जित कर रहे हैं। चलचित्र निगम अपना कार्य भेदभाव की नीति से कर रहा है और वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तस्करी के मामले की जांच करवाने के लिये आग्रह करता हूं।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It is surprising that smuggling is on the increase and the Government has failed to check it.

How many Indian Films were smuggled during the last three years ? How much Foreign exchange is lost every year due to that ? When a smuggler is caught what action is taken against him ?

Shri M. C. Dage (Pali) : Has the hon. Minister caught hold of any persons involved in smuggling ?

Mr. Chairman : You want to ask from the Foreign Trade Minister or Information and Broadcasting Minister ?

Shri M. C. Dage : How much Foreign Exchange has so far been lost during the years the smuggling has been in operation ? Has the Government taken any action against any Government servant in this regard ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल): मैं नहीं कह सकता कि तस्करी के कुछ मामले पकड़े गये हैं। सरकार यह नहीं बता सकती कि कितनी तस्करी हुई है और इससे कितनी हानि हुई है। किन्तु हम इतना कह सकते हैं कि वर्ष 1961 से 1971 तक तस्करी का व्यापार करते हुए कितने मूल्य की तस्करी पकड़ी गई। 1969 में 64, 1970 में 28, 1971 में 4 और 1972 में 9 चलचित्र बरामद किये गये। इस वर्ष इनका मूल्य 9,25,000 से 86,000 रु० के बीच में होगा। बम्बई में सीमा शुल्क विभाग ने पोशीपिट राक (पंजू) में 3,48,000 रुपए के मूल्य की 174 रीलें बरामद की गई। ये रीलें भारतीय चलचित्रों के विभिन्न शीर्षकों से सम्बन्धित हैं।

मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाये। मैं स्वीकार करता हूं कि तस्करों द्वारा विभिन्न तकनीकी का उपयोग होता है। मेरा समस्या से सीधा वास्ता नहीं अतएव उनके कथन की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं।

सभापति महोदय : वह इस मामले के विशेषज्ञ हैं।

श्री आई० के० गुजराल : जब कभी प्रवर्तन निदेशालय ने लोगों को तस्करी करते हुए पकड़ा, तभी उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। ऐस दो मामले हैं जिनमें उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियां करने वाले दो व्यक्तियों को पकड़ा। सरकार इस तस्करी को रोकने के लिये तो कदम उठा ही रही है साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि यह व्यापार सुनियोजित ढंग से किया जाये। इस लिये हाल ही में यह निर्णय लिया गया

[श्री आई० के० गुजराल]

कि देश से चलचित्रों के निर्यात का सारा व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जायेगा। आशा है कि इससे ऐसी गतिविधियों को रोकना संभव हो सकेगा।

यह धारणा गलत है कि समूचा चलचित्र उद्योग इस तस्करी में अन्तर्ग्रस्त है। भारत की इस संबन्ध में निर्यात की स्थिति बहुत अच्छी है। वर्षानुवर्ष हमारे निर्यात की स्थिति अच्छी होती जा रही है। 1971-72 में इससे 5 करोड़ रुपए की आय हुई। सुनियोजित ढंग से निर्यात किए जाने से आय बढ़ने की काफी संभावना है। भारतीय चलचित्रों के लिए, न केवल उन क्षेत्रों में ही जहां भारतीय उद्भव के लोग रहते हैं, अपितु उन क्षेत्रों में भी जहां लोग अच्छे चलचित्रों में रुचि रखते हैं, अच्छा बाजार है।

Shri M. C. Dage : I want to know whether cases have been registered against any person.

Shri I. K. Gujral : Action is beng taken against two persons on charges of smuggling.

Enquiry has been conducted by C. B. I., but the allegations made by shri Tariq could not be proved.

Every year films are caught. So it is not that vilgiance is not there or that our enforcement authorities are not functioning. Sometimes they are caught; sometimes they escape.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 नवम्बर, 1972, 7 अग्रहायण 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, November 28, 1972/ Agrahayana 7, 1894 (Saka).